रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 1979 (वैशाख 8, 1901)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28, 1979 (VAISAKHA 8, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 22 मार्च 1979

सं० ए० 12019/1/75-प्रशा०-II—सचिव, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में निम्नलिखित सहायक अधीक्षकों (हाल०) को आयोग के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (त० सं०) के पद पर तदर्थ आधार पर 2-3-1979 से 31-5-1979 तक अथवा, आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त करते हैं :—

1. श्री एस० पी० बन्सल
2. श्री एम० एम० शर्मा
3. श्री बी० आर० गुप्ता

एम० बालचन्द्रन
अवर सचिव,
कृते सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 22 मार्च 1979

सं० ए० 12019/1/75-प्रशा०-II—अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में निम्नलिखित अधीक्षकों (हाल०) को आयोग के कार्यालय में सहायक नियन्त्रक (तथ्य संसाधन) के पद पर स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर कार्य करने के लिये 2-3-1979 से 31-5-79 तक, अथवा अगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

1. श्री जे० एल० कपूर
2. कु० सन्तोष हांडा

एम० बालचन्द्रन
अवर सचिव
कृते अध्यक्ष
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 मार्च 1979

सं० ए० 32013/1/79-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को, राष्ट्रपति, द्वारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिये, अथवा आगामी आदेश, तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में

तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

क्रम सं०	नाम	अवधि
1.	श्री बी० बी० मेहरा (के०स० स्टे०से० के ग्रेड क के स्थायी अधिकारी)।	1-3-79 से 18-4-79 तक
2.	श्री बी० एस० कपूर (के० स० सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी)।	1-3-79 से 9-4-79 तक।

एस० बालचन्द्रन
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

का० एवं प्र० सु० विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1979

सं० ए०-19014/4/78-प्रशा०-5—राष्ट्रपति, अपने प्रसाद से गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवग के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री रिपुदमन सिंह को दिनांक 16-8-1978 (पूर्वाह्न) से दिनांक 28-12-78 तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते है।

राष्ट्रपति अपने प्रसाद से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री रिपुदमन सिंह को दिनांक 29-12-78 से अगले आदेश होने तक के लिये केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

सतीश कुमार झा
उपनिवेशक (प्रशा०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1979

सं० पी० एफ० /पी०-91/70-प्रशा०-I—पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस में प्रत्यावर्तन हो जाने पर पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में निरीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त श्री पी० एस० चटर्जी, को दिनांक 12-3-1979 के अपराह्न में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आर्थिक अपराध स्कंध, कलकत्ता में शाखा में अपने पद को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

जरनैल सिंह,
प्रशासनिक अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 1979

सं० ए-19036/13/76-प्रशा०-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद द्वारा सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी श्री ए० चक्रवर्ती को दिनांक 21-3-1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस उप-अधीक्षक नियुक्त करते हैं।

रिपुदमन सिंह
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 अप्रैल 1979

सं० ओ० दो०-1052/77-स्थापना—इस महानिदेशालय की अधिसूचना सम संख्या दिनांक 3 फरवरी, 1977 के सन्दर्भ में।

राष्ट्रपति ने डा० शैतन्जय गुप्ता को जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड-I (सहायक कमान्डेंट) के पद पर दिनांक 17-1-1977 से 18-2-1977 तक तदर्थ रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड-I में उनकी वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगी।

डा० शैतन्जय गुप्ता जनरल ड्यूटी आफीसर ग्रेड-I (सहायक कमान्डेंट) की नियुक्ति, सी० आर० पी० फोर्स (मडिकल आफीसर्स कैडर) रूल्स 1976, के अनुसार पंजीकरण के बाद चार वर्ष का व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करने पर, दिनांक 19-2-1977 से नियमित की गई है।

ए० के० बन्द्योपाध्याय,
सहायक निदेशक (प्रशासन)

महा निरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 अप्रैल 1979

सं० ई-16013(2)/1/78-कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित होने पर, कर्नल एन० एम० पुरी के स्थान पर श्री एस० के० चटर्जी आई० पी० एस० (एम० टी०-एस० पी० एस०) ने 8 मार्च, 1979 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट फरक्का बांध परियोजना के कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया और कर्नल एन० एम० पुरी ने होशंगाबाद को स्थानान्तरित होने पर उक्त पद का कार्यभार उसी तारीख से छोड़ दिया।

सं० ई-38013(2)/1/79-कार्मिक—फरक्का से स्थानान्तरित होने पर कर्नल एन० एम० पुरी ने 21 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट एम० पी० एम० होशंगाबाद के कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 6 अप्रैल 1979

सं० ई-38013(3)/2/78-कार्मिक—कलकत्ता से स्थानान्तरित होने पर श्री बी० ए० देवाया ने श्री के० ए० बेलियप्पा के स्थान पर 12 फरवरी, 1979 के अपराह्न से

के० औ० सु० ब० यूनिट में मोर्मुगोवा पोर्ट ट्रस्ट के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया और श्री के० ए० बेलियप्पा सहायक कमांडेंट ने थुम्बा के लिये स्थानान्तरित होने पर उसी तारीख से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

ह० अपठनीय
महानिरीक्षक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 अप्रैल 1979

सं० 11/66/79-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब संवर्ग के अधिकारी श्री डी० एन० धीर को 31 मार्च, 1979 के अपराह्न से अगले आदेशों तक पंजाब, चण्डीगढ़ में जनगणना कार्य, निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री डी० एन० धीर का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा।

पी० पद्मनाभ
भारत के महापंजीकार

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 1979

सं० 48 पी० एस० टी० 4—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा श्री कृष्ण लाल मल्होत्रा, स्थाई अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, को 19 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से आयोग में स्थानापन्न रूप से अवर सचिव नियुक्त करते हैं ।

आर० के० शर्मा
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बैंक नोट मुद्रणालय,

देवास, दिनांक 27 मार्च 1979

सं० बी० एन० पी०/सी०/5/79—श्री व्ही० वैंकटरमणी, स्थायी कनिष्ठ पर्यवेक्षक (इंटेग्लियो) को रुपये 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में बैंक नोट मुद्रणालय में तकनीकी अधिकारी (मुद्रण) एवं प्लेट निर्माण (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में दिनांक 27-3-1979 से तीन माह के वास्ते अथवा इस पद नियमित होने तक, जो भी पहले हो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

इस तदर्थ नियोजन से नियुक्ति को इस पद पर बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिये कोई भोगाधिकार प्रदत्त नहीं होंगे। यह तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है ।

पी० एस० शिवराम
महा प्रबन्धक

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

महालेखाकार द्वितीय का कार्यालय

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

कलकत्ता-1, दिनांक 5 फरवरी, 1979

सं० स्था० ले०/प्रशासन/96—महालेखाकार द्वितीय, पश्चिम बंगाल ने इस कार्यालय के लेखा परीक्षा विभाग के एक स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी श्री उपेन्द्र नाथ घोसाल को 5 फरवरी, 1979 के पूर्वाह्न से स्थानीय लेखा परीक्षा, पश्चिम बंगाल में स्थानापन्न रूप से अगला आदेश मिलने तक रु० 840-40-1000-द० रो०-40-12000 के वेतनमान में स्थानीय लेखा, पश्चिम बंगाल का सहायक परीक्षक नियुक्त किया गया है ।

पी० एन० दत्त चौधुरी
स्थानीय लेखा का परीक्षक
पश्चिम बंगाल

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1979

आयात एवं निर्यात व्यापार नियन्त्रण

(स्थापना)

सं० 6/485-58-प्रशासन (राज०)/2637—सेवा निवर्तन की आयु होने पर श्री एस० के० मण्डल ने 31 जनवरी 1979 की अपराह्न से संयुक्त मुख्य नियन्त्रक आयात-निर्यात के कार्यालय कलकत्ता में, उप मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० 6/1251/78-प्रशासन (राज०)/2645—मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात एतद् द्वारा श्री ए० के० नूरमुहम्मद को 26-2-79 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, बम्बई में स्थानापन्न रूप से नियन्त्रक आयात-निर्यात के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री ए० के० नूरमुहम्मद नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे ।

राजिन्दर सिंह
उप-मुख्य नियन्त्रक, आयात निर्यात
कृते, मुख्य नियन्त्रक, आयात निर्यात

इस्पात और खान मंत्रालय

खान विभाग

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 2 अप्रैल 1979

सं० ए-19011/242/78-स्था० ए—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश से राष्ट्रपति श्री दिपंकर नाग को दिनांक 14-3-79 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में सहायक खान नियन्त्रक के पद पर सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

सं० ए-19011(251)/78-स्था० ए—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश से श्री शंकरायर हरिहरन, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-I, वायु शास्त्र निरीक्षण स्कन्ध, खमारिया, जबलपुर (मध्य प्रदेश) को दिनांक 19 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न से भारतीय खान ब्यूरो, में स्थानापन्न रूप में प्रशासन अधिकारी के पद पर नियुक्ति की जाती है।

दिनांक [illegible] 1979

सं० ए-19011/15/71-स्था०-ए—लोक उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय में उप सलाहकार (उत्पादन) के पद पर खपा लिए जाने पर, श्री आई० एम० आगा का भारतीय खान ब्यूरो में, उप खान नियन्त्रक के पद का हक दिनांक 7 मार्च, 1978 से समाप्त किया जाता है।

सं० ए-19011/238/78-स्था०-ए—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा श्री डी० के० कुण्डू सहायक खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो, को 26 फरवरी 1979 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

एस० बालगोपाल
कार्यालय अध्यक्ष
भारतीय खान ब्यूरो

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

कलकत्ता-12, दिनांक 3 अप्रैल, 1979

सं० एफ० 92-118/76-स्था०/5830—डा० ए० सी० मिश्रा, सहायक प्राणि विज्ञानी, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, कलकत्ता ने राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पूना के अन्तर्गत 1100 रु० वेतन पर 1100 रु०-50-1600 रु० के वेतनमान में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्य भार ग्रहण करने के लिए 15-3-1979 (अपराह्न) से भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के सहायक प्राणि विज्ञानी के पद से कार्य भार त्याग दिया है।

डा० टी० एन० अनन्तकृष्णन
निदेशक
भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल, 1979

सं० 5(100)67-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री एस० पी० लोखंडे, प्रसारण, निष्पादक, आकाशवाणी, इन्दौर को आकाशवाणी, पोर्टब्लेयर में 17 मार्च, 1979 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

ओ० वी० शर्मा
प्रशासन उप निदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल, 1979

सं० 10/15/79-एस-III—महानिदेशक आकाशवाणी, आकाशवाणी के वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक के संवर्ग के श्री नजीर अहमद को सहायक इंजीनियर संवर्ग में स्थानापन्न रूप में पदोन्नत करते हैं और अगले आदेश होने तक उन्हें 28-2-79 (पूर्वाह्न) से आकाशवाणी हैदराबाद में नियुक्त करते हैं।

जनकराज लिखी
प्रशासन उप निदेशक
कृते महा निदेशक

(सिविल निर्माण स्कंध)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 मार्च 1979

सं० ए-12023/1/78-सी० डब्ल्यू-I—महा निदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली श्री विमलकुमार सिंह को दिनांक 5 फरवरी, 1979 (पूर्वाह्न) से रुपये 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियन्ता (विद्युत) सिविल निर्माण स्कन्ध, आकाशवाणी, जालन्धर के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री सिंह की नियुक्ति, अन्य शर्तों के साथ-साथ उनको पहले ही जारी किए गये नियुक्ति पत्र की शर्तों द्वारा नियन्त्रित होगी।

एस० रामास्वामी
अपर मुख्य अभियन्ता (निर्माण)
के अभियन्ता अधिकारी
कृते महा निदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 अप्रैल 1979

सं० ए-12026/5/79-स्था०—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक, श्री डी० एल० घोशाल, वितरण सहायक, को श्री अमर सिंह, सहायक वितरण अधिकारी, जो अवकाश पर है, के स्थान पर इस निदेशालय में 14-3-79 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सहायक वितरण अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 6 अप्रैल 1979

सं० ए० 20012/8/70-प्र० (ए)—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक, श्री एस० एस० सेहरा, को इस निदेशालय के कोहीमा स्थित क्षेत्रीय प्रदर्शनी कार्यालय में 5-1-1979 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक स्थानापन्न क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० नारायण
उप निदेशक (प्रचार)
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

फिल्म समारोह निदेशालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 7 अप्रैल 1979

सं० 2/7/78-एफ एफ डी—एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि फिल्म समारोह निदेशालय की अधिसूचना संख्या 2/5/78-एफ एफ डी दिनांक 21 दिसम्बर, 1978 में प्रकाशित राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 1979 की नियमावली के नियम 9 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने दो राष्ट्रीय जूरियों द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित फिल्मों/निर्माताओं/निर्देशकों/आर्टिस्टों/तकनीशियनों को पुरस्कार देने का निर्णय किया है, अर्थात् :—

क्रम संख्या	फिल्म का नाम व भाषा	पुरस्कार पाने वाले का नाम	पुरस्कार
1	2	3	4
		1. कथा चित्र	
1.	व्यापक प्रभाव वाले स्वस्थ मनोरंजन और कलात्मक सौन्दर्य वाले सर्वोत्तम कथा चित्र के लिए पुरस्कार		
	गणदेवता (गंगला) . . .	निर्माता सूचना और संस्कृति विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, राइटरस बिल्डिंग, कलकत्ता-700001	'स्वर्ण कमल'
		निदेशक श्री तरुण मजूमदार, 25/4-बी एम० एन० सेन लेन, कलकत्ता-700040।	'रजत कमल'
2.	राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम कथा चित्र के लिए पुरस्कार		
	ग्रहण (कन्नड़) . . .	निर्माता मैसर्स हर्ष पिक्चर्स, नं० 94, पहली मेन रोड, हनुमन्थ नगर, बंगलौर-19	'रजत कमल' और 30,000 रु० (केवल तीस हजार रु०) का नकद पुरस्कार।
		निदेशक श्री टी० एस० नागभरण नं० 9 श्री राममन्दिरम रोड, बंगलौर-560004।	'रजत कमल' और 10,000 रु० (केवल दस हजार रु०) का नकद पुरस्कार।
3	प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में सर्वोत्तम कथा चित्र के लिए पुरस्कार		
	दूरत्व (बंगला)	निर्माता श्री बुद्धदेव दासगुप्ता, 29, जतीन दास रोड कलकत्ता- 700029	'रजत कमल' और 10,000 रु० (केवल दस हजार रु०) का नकद पुरस्कार
		निदेशक श्री बुद्धदेव दासगुप्ता, 29, जतीन दास रोड, कलकत्ता-700029।	'रजत कमल' और 5,000 रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार।
4.	कस्तूरी (हिन्दी) (जुनून के साथ)	निर्माता श्री बिमल दत्त, 13-बी, "त्रिलोक" डा० अम्बेडकर रोड, बादरा, बम्बई-50	'रजत कमल' और 5,000 रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार।

(1)	(2)	(3)	(4)
		निदेशक श्री बिमल दत्त, 13-बी, "त्रिलोक" डा० अम्बेडकर रोड, बांदरा, बम्बई-50 ।	'रजत कमल' और 2,500 रु० (केवल दो हजार पांच सौ रु०) का नकद पुरस्कार
	जुनून (हिन्दी) (कस्तूरी के साथ)	निर्माता श्री शशि कपूर, 112-ए एटलस अपार्टमेन्ट, हार्कनेस रोड़, बम्बई-400006	'रजत कमल' और 5,000/- रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
		निदेशक श्री श्याम बेनेगल, 103, संगम जी० देशमुख मार्ग, बम्बई-400026।	'रजत कमल' और 2,500/- रु० (केवल दो हजार पांच सौ रु०) का नकद पुरस्कार ।
5.	ओन्डनीन्डु कलादाल्ली (कन्नड़) . .	निर्माता मैसर्स एल० एन० कम्बाइनस नं० 4, मालिनी, चौथा क्रास, लक्ष्मी रोड शान्ति नगर, बंगलौर	'रजत कमल' और 10,000 रु० (केवल दस हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
		निदेशक श्री गिरीश करनाड, 18, सारस्वतपुर, धारवाड़-580002	'रजत कमल' और 5,000 रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
6.	थाम्प (मलयालम) . . .	निर्माता श्री के० रविन्द्रनाथन, नायर जनरल पिक्चर्स, क्विलों-691001, (केरल)	'रजत कमल' और 10,000 रु० (केवल दस हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
		निशदेक श्री जी० अरविन्दन, 26/89, उप्पलम रोड, त्रिवेन्द्रम-695001।	'रजत कमल' और 5,000/- रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
7.	निमाज्जनम (तेलुगु) . . .	निर्माता मैसर्स रैड रोज आर्ट फिल्मस, नं० 1, जर्नलिस्ट कालोनी, रोड नं० 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034	'रजत कमल' और 10,000/- रु० (केवल दस हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
		निदेशक श्री बी० एस० नारायण, 2-सी राजाराम कालोनी, कोडमबक्कम, मद्रास-600024	'रजत कमल' और 5,000- रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
8.	सर्वोत्तम बाल चित्र के लिए पुरस्कार : जीवे बाबा फैलुनाथ (बंगला) . .	निर्माता श्री आर० डी० बंसल, 45, लेबिन सरणी, कलकत्ता-700013	'स्वर्ण कमल' और 15,000 रु० (केवल पन्द्रह हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
		निदेशक श्री सत्यजीत रे, 1/1 बिशप लेफराय रोड, कलकत्ता-700020	'रजत कमल' और 10,000/- रु० (केवल दस हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	सर्वोत्तम निर्देशन के लिए पुरस्कार :		
	थाम्प (मलयालम) . . .	निदेशक श्री जी० अरविन्दन, 26/89, उप्पलम रोड़, त्रिवेन्द्रम- 695001.	'रजत कमल' और 20,000/- रु० (केवल बीस हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
10.	सर्वोत्तम पटकथा के लिए पुरस्कार :		
	ग्रहण (कन्नड़)	पटकथा लेखक : श्री टी० एस० रंगा और श्री टी० एस० नागभरण, नं० 9, श्रीराममन्दिरम रोड़, बंगलौर-560004.	'रजत कमल' और 5,000 रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
11.	सर्वोत्तम अभिनय के लिए पुरस्कार (अभिनेता) :		
	परशुराम (बंगला) . . .	श्री अरुण मुकर्जी मार्फत सूचना और संस्कृति विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार राइटरस बिल्डिंग, कलकत्ता-700001.	'रजत कमल' और 10,000/- रु० (केवल दस हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
12.	सर्वोत्तम अभिनय के लिए पुरस्कार :		
	निमज्जनम (तेलुगु) . . .	अभिनेत्री श्रीमती शारदा, 3, सरस्वती स्ट्रीट, महालिंगपुरम, मद्रास-600034.	'रजत कमल' और 10,000/- रु० (केवल दस हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
13.	सर्वोत्तम बाल अभिनय के लिए पुरस्कार :		
	गणदेवता (बंगला) . . .	बाल अभिनेता : मास्टर कंचन दे विस्वास मार्फत कटिक-च-डी-विस्वास, 17-बी, भान्यानाथ सेन स्ट्रीट, कलकत्ता-700004.	'रजत कमल' और 5,000/- रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
14.	सर्वोत्तम सिनेमाटोग्राफी (रंगीन) के लिए पुरस्कार:		
	जुनून (हिन्दी)	कैमरामैन : श्री गोविन्द निहालानी मार्फत सह्याद्री फिल्मस् 19/20ए, एवेरस्ट, तार देव रोड बम्बई-400034.	'रजत कमल' और 5,000/- रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
15.	सर्वोत्तम सिनेमाटोग्राफी (सादी) के लिए पुरस्कार :		
	थाम्प (मलयालम) . . .	कैमरामैन : श्री शाजी, 24, शान्ति नगर, त्रिवेन्द्रम-695001.	'रजत कमल' और 5,000/- रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
16.	सर्वोत्तम ध्वनि आलेखन के लिए पुरस्कार :		
	जुनून (हिन्दी)	ध्वनि आलेखक : श्री हितेन्द्र घोष, मार्फत श्याम बेनेगल 103, संगम जी० देशमुख मार्ग, बम्बई-400026.	'रजत कमल' और 5,000/- रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।

(1)	(2)	(3)	(4)
17. सर्वोत्तम सम्पादन के लिए पुरस्कार :			
परशुराम (बंगला)	. . .	सम्पादक : श्री गंगाधर नस्कर, 3, हरिमभा रोड़, कलकत्ता-700041.	'रजत कमल' और 5,000/- रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
18. सर्वोत्तम संगीत निर्देशन के लिए पुरस्कार :			
गमन (हिन्दी)	. . . .	संगीत निर्देशक : श्री जयदेव, लिली कार्ने०, ग्राउन्ड फ्लोर रिट्ज होटल के समीप चर्च गेट, बम्बई ।	'रजत कमल' और 10,000/- रु० (केवल दस हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
19. सर्वोत्तम पार्श्व गायक के लिए पुरस्कार :			
[काडु कुदरे (कन्नड़)	. . .	पार्श्व गायक : श्री शिवमोंगा सुब्बन्ना, 75, बानशंकरी मार्किट जे० एम० रोड़, बंगलौर-2.	'रजत कमल' और 10,000/- रु० (केवल दस हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
20. सर्वोत्तम पार्श्व गायिका के लिए पुरस्कार :			
गमन (हिन्दी)	. . . .	पार्श्व गायिका : श्रीमती छाया गांगुली, मार्फत श्री जयदेव लिल्ली कार्ने०, ग्राउण्ड फ्लोर रिट्ज होटल के समीप, चर्च गेट, बम्बई ।	'रजत कमल' और 10,000/- रु० (केवल दस हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
ज्यूरी द्वारा विशेष सराहना :			
परशुराम (बंगला)	श्री मृणाल सेन		
गमन (हिन्दी)	श्री मुजफ्फर अली		
		2. लघु चित्र	
1. सर्वोत्तम सूचना फिल्म (वृत्तचित्र):			
[रमटेक-ए मोनास्टरी रीदड़ इन ए हन्ड्रेड थाउजेन्ड रेनबोज : [(अंग्रेजी) ।		निर्माता : श्री रमेश शर्मा राज एम्पोरियम कालिमपोंग-734301. (दार्जिलिंग) । निदेशक : श्री रमेश शर्मा, राज एम्पोरियम कालिमपोंग-734301 (दार्जिलिंग)	'रजत कमल' और 5,000/- रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार । 'रजत कमल' और 4,000/- रु० (केवल चार हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
2. सर्वोत्तम शैक्षिक/निर्देशात्मक चित्र :			
दि मैजिक हैन्डस (अंग्रेजी)	. . .	निर्माता : मैसर्स लिटिल सिनेमा, (कलकत्ता) प्रा० लि०, 9/1 लवलाक प्लेस कलकत्ता-700019. निदेशक : श्री शान्ति पी० चौधरी, मार्फत, लिटिल सिनेमा, (कलकत्ता) प्रा० लि० 9/1 लवलाक प्लेस कलकत्ता-700019.	'रजत कमल' और 5,000/- रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार 'रजत कमल' और 4,000/- रु० (केवल चार हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म (अव्यावसायिक/व्यावसायिक):			
इट इज इण्डियन इट इज गुड (अंग्रेजी)		निर्माता : फिल्म प्रभाग भारत सरकार 24, डा० जी० देशमुख मार्ग, बम्बई-400026. निदेशक : श्री बी० डी० गर्ग, मार्फत फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, डा० जी० देशमुख मार्ग, बम्बई-400026.	'रजत कमल' 'रजत कमल'
4. सर्वोत्तम न्यूजरील कैमरामैन :			
डान ओवर गुराईम (आई एन आर नं० 1568)		कैमरामैन : श्री सी० एल० कौल, फिल्म प्रभाग भारत सरकार, 24, डा० जी० देशमुख मार्ग, बम्बई-400026.	'रजत कमल' और 5,000/- रु० (केवर पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
5. सर्वोत्तम भारतीय समाचार समीक्षा :			
उत्तर प्रदेश समाचार, 54 (हिन्दी) ।		निर्माता : सूचना और जन सम्पर्क निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।	'रजत कमल' और 5,000/- रु० (केवल पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार ।
ज्यूरी द्वारा विशेष सराहना .			
दि बर्निंग स्टीम (अंग्रेजी)		निर्माता : फिल्म प्रभाग, भारत सरकार निदेशक : श्री लोकसेन लालवाणी फिल्म प्रभाग, 24, डा० जी० देशमुख मार्ग, बम्बई-400026.	
3. दादा साहब फाल्के पुरस्कार :			
		श्री आर० सी० बोरल, 1/1 प्रेमचन्द बोरल स्ट्रीट, कलकत्ता-700012.	'स्वर्ण कमल' और 40,000 रु० (केवल चालीस हजार रु०) का नकद पुरस्कार और एक शाल ।

के० विक्रम सिंह, संयुक्त निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1979

सं० 33-15/75-प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सफदरजंग, अस्पताल, नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट के पद पर कार्य कर रही कुमारी पुष्पा देवी शर्मा का इस्तीफा 13 जनवरी, 1978 के अपराह्न से मंजूर कर लिया है ।

2—36GI/79

दिनांक 7 अप्रैल 1979

सं० 12023/1/77-प्रशासन-I—अपने मूल विभाग अर्थात आपूर्ति एवं निपटान, महानिदेशालय, दिल्ली में अपना परावर्तन हो जाने के फलस्वरूप श्री एन० रामासुब्रामणियन, ने 20 फरवरी, 1979 के अपराह्न से बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिन्डी, मद्रास में प्रशासनिक अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

सं० ए० 12026/25/78-प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री बुद्धसिंह को लेडी हार्डिंग, मेडिकल एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी, अस्पताल, नई दिल्ली में 18 दिसम्बर, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

शाम लाल कुठियाला
उप निदेशक, प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1979

सं० ए०-19019/2/78-के० म०स्वा० योजना-I—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद में बदली हो जाने के फलस्वरूप होम्योपैथी के कार्यचिकित्सक डा० (कुमारी) राज मेहरा ने 16 अक्तूबर 1978 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन होम्योपैथी के कार्यचिकित्सक के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा 10 जनवरी, 1979 पूर्वाह्न में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद में होम्योपैथी, के कार्यचिकित्सक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

सं० ए०-19019/3/79-के० म० स्वा० योजना-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० (कुमारी) अमर बीर को 15 दिसम्बर, 1978 के पूर्वाह्न से निदेशालय के अधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में होम्योपैथी के कार्यचिकित्सक के पद पर विशुद्ध अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है।

एन० एन० घोष
उप निदेशक, प्रशासन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 1979

सं० 5-40/79-स्वा०-I—श्री अमृतराय पुरी, विस्तार निदेशालय, कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय में स्थानापन्न अधीक्षक (कोटि प्रथम), समूह "बी" (राजपत्रित) सेवा निवृत्ति की आयु के होने पर 31 मार्च, 1979 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये।

बद्रीनाथ चड्ढा,
निदेशक प्रशासन

परमाणु उर्जा विभाग

विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग

बम्बई, दिनांक 6 मार्च 1979

सं० पी० पी० ई०डी०/3(283)/76-प्रशा०/2941—विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग बम्बई के निदेशक एतद्द्वारा इस प्रभाग के स्थायी प्रवरण कोटि लिपिक एवं स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी श्री एम० के० अय्यर को, 5 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न से 25 अप्रैल, 1979 के अपराह्न तक के लिए उसी प्रभाग में लेखा अधिकारी-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते है। यह नियुक्ति लेखा अधिकारी-II श्री आर० जी० मसूरकर के स्थान पर की जा रही है, जो छुट्टी पर चले गये है।

दिनांक 23 मार्च 1979

सं० पी० पी० ई०डी०/3(283)/76-प्रशासन—परमाणु विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग के निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी निम्न श्रेणी लिपिक तथा इस प्रभाग के स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी श्री बी० डी० ताम्बे, को 26 फरवरी, 1979 के पूर्वाह्न से 18 अप्रैल, 1979 के अपराह्न तक उसी प्रभाग में लेखा अधिकारी-II नियुक्त करते है। यह नियुक्ति लेखा अधिकारी-II, श्री सी० पी० जोशी के स्थान पर की गई है, जो छुट्टी पर गए हैं।

बी० पी० थट्टे
प्रशासन अधिकारी

क्रय एवं भंडार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 6 अप्रैल 1979

सं० डी० पी० एस०/21/1(2)/78-संस्थापन/10197—निदेशक, क्रय एवं भंडार, श्री डी० डी० नायक, अस्थायी क्रय सहायक, को सहायक य अधिकारी, के पद पर स्थानापन रूप में रुपये 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतन क्रम में, क्षेत्रीय क्रय यूनिट दिल्ली में, इसी निदेशालय के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों अथवा दिनांक 8 मार्च, 1979 (पूर्वाह्न) से 31 दिसम्बर, 1979 (अपराह्न) जो भी पहले हों, तब तक तदर्थ रूप से नियुक्त करते हैं।

के० पी० जोसफ
प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1979

सं० ए० 12025/1/79-ई० सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित तीन अधिकारियों को नागर विमानन विभाग के वैमानिक संचार संगठन में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से उसी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है और तैनाती स्टेशन प्रत्येक के नाम के सामने दिए गए हैं :—

क्रम सं०	नाम व पदनाम	तैनाती स्टेशन	जिस तारीख से नियुक्त किए गए
1	2	3	4
1.	श्री भूपेन्द्रसिंह कोचर तकनीकी अधिकारी	रेडियो निर्माण एवं विकास एकक नई दिल्ली।	1-3-1979 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
2.	श्री देवेन्द्रनाथ त्रिपाठी तकनीकी अधिकारी	रेडियो निर्माण एवं विकास एकक नई दिल्ली	13-3-79 (पूर्वाह्न)
3.	श्री संजीवकुमार सेठ संचार अधिकारी	वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई	7-3-1979 (पूर्वाह्न)

दिनांक 3 अप्रैल 1979

सं० ए० 32013/9/78-ई० सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित दो सहायक तकनीकी अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से छः माह की अवधि के लिये अथवा रिक्तियों के उपलब्ध होने तक जो भी निर्णय पहले हो, तदर्थ आधार पर तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	नाम व पदनाम	तैनाती स्टेशन	कार्यभार संभालने की तारीख
1.	श्री के चन्द्रचुदन तकनीकी अधिकारी	वै० संचार स्टेशन, मद्रास	22-1-79 (पूर्वाह्न)
2.	श्री पी० एम० वेंकटरमण तकनीकी अधिकारी	वै० संचार स्टेशन नागपुर	22-1-79 (पूर्वाह्न)

सं० ए० 32014/4/78-ई०सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने निम्नलिखित चार संचार सहायकों को उनके सामने दी गई तारीखों से और अन्य आदेश होने तक नियमित आधार पर सहायक संचार अधिकारी के ग्रेड में प्रत्येक के नाम के सामने दिए गए स्टेशनों पर नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	नाम	मौजूदा तैनाती स्टेशन	उस स्टेशन का नाम जहां तैनात किया गया है	कार्यभार संभालने की तारीख
1.	श्री जी० पी० सेन गुप्ता	वै० संचार स्टेशन, कलकत्ता	वै० संचार स्टेशन, कलकत्ता	1-3-79 (पूर्वाह्न)
2.	श्री जी० के० गुहाराम	वै० संचार स्टेशन, कलकत्ता	वै० संचार स्टेशन, कलकत्ता	26-2-79 (पूर्वाह्न)
3.	श्री बी० के० बोस	वै० संचार स्टेशन, कलकत्ता	वै० संचार स्टेशन, कलकत्ता	26-2-79 (पूर्वाह्न)
4.	राधाकिशन गुप्ता	महानिदेशक नागर विमानन (मुख्यालय)	वै० संचार स्टेशन, सफदरजंग, एयरपोर्ट, नई दिल्ली	26-2-79 (पूर्वाह्न)

सं० ए० 38012/1/79-ई०सी०—निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर निम्नलिखित दो अधिकारियों ने अपने नाम के सामने दी गई तारीखों को और स्टेशनों पर अपने पद का कार्यभार त्याग दिया था :—

क्रम सं०	नाम व पदनाम	तैनाती स्टेशन	सेवा निवृत्त की तारीख
1.	श्री आर० सी० पन्त. सहायक तकनीकी अधिकारी	वै० संचार स्टेशन, कलकत्ता	28-2-79 (अपराह्न)
2.	श्री आर० सुब्रह्मण्यम, सहायक संचार अधिकारी	वै० संचार स्टेशन, नई दिल्ली	28-2-79 (अपराह्न)

सत्य देव शर्मा
उप निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1979

सं० ए० 12025/16/77-ई०एस—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने सर्वश्री हरिहर प्रसाद और ए० के० राय को दिनांक 22-1-79 से और अन्य आदेश होने तक नागर विमानन विभाग में स्थानापन्न विमान नरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ।

सुरजीत लाल खण्डपुर,
सहायक निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन

सं० ए-32043/8/77-ई०-I—महानिदेशक नागर विमानन ने इस विभाग की दिनांक 5 फरवरी, 1979 की अधिसूचना सं० ए० 32013/8/77-ई० I के क्रम में इस विभाग के स्थायी लेखापाल श्री एम० आर० भाटिया को 26-2-1979 (अपराह्न) से 31-5-1979 तक या पद के नियमित रूप से भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नागर विमानन विभाग में तदर्थ आधार पर लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है ।

सं० ए-32013/1/79-ई-I—राष्ट्रपति ने नागर विमानन विभाग के उप निदेशक, अनुसंधान एवं विकास, श्री पी० आर० चन्द्र शेखर को दिनांक 16 मार्च, 1979 से छः माह की अवधि के लिये अथवा पद के नियमित रूप से भरे जाने तक जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर निदेशक, अनुसंधान एवं विकास के पद पर नियुक्त किया है ।

वी० वी० जौहरी
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 2 अप्रैल 1979

सं० 1/4/79-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा नई दिल्ली शाखा के पर्यवेक्षक श्री डी० डी० मलहोत्रा को अल्पकालिक खाली जगहों पर 1/9/78 से 30-9-78 तक और 4-12-78 से 22-12-78 तक तदर्थ आधार पर और

23-12-78 से आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से उप परियात प्रबन्धक नियुक्त करते हैं।

सं० 1/28/79-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतदद्वारा कलकत्ता शाखा के तकनीकी सहायक श्री बी० के० मण्डल को तदर्थ आधार पर 12-12-1978 से 30-1-79 तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते है।

सं० 1/478/79-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतदद्वारा श्री पी० चन्द्रशेखर को 15 जनवरी, 1979 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से नई दिल्ली शाखा में सहायक अभियंता नियुक्त करते है।

सं० 1/479/79-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतदद्वारा श्री सैबल चटर्जी को 15 जनवरी, 1979 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों पक अस्थायी रूप से नई दिल्ली शाखा में सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

सं० 1/480/79-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतदद्वारा श्री राजीव कुमार अग्रवाल को 6 फरवरी, 1978 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से नई दिल्ली शाखा में सहायक अभियंता नियुक्त करते है।

एच० एल० मल्होत्रा
उप निदेशक (प्रशा०)
कृते महानिदेशक

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी लॉ बोर्ड

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मेसर्स मेकमुल्लास गैरेज (प्राईवेट) लिमिटेड के विषय मे

बम्बई, दिनांक 26 मार्च 1979

सं० 7942/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण मे एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेकमुल्लास गैरेज (प्राइवेट) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया गया तो रजिस्टर मे काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 एव मैसर्स रेलाक्मा टैक्सटाइल एण्ड गारमेंट प्रायवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 26 मार्च 1979

सं० 17299/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रेलाक्मा टैक्सटाइल एण्ड गारमेंट प्रायवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एल० एम० गुप्ता,
कम्पनियो का अतिरिक्त रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं ओमेगा केबल्स लिमिटेड (इनलिक्वीडेशन) के विषय में

मद्रास, दिनांक 31 मार्च, 1979

सं० 3987/को० लिक्वि०/445/78—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 445 के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि न्यायालय कार्यवाही स० 50/77 और 89/77 में उच्च न्यायालय, मद्रास की फाइल पर दिए गए दिनांक 2-3-1978 के आदेश द्वारा कम्पनी ओमेगा केबल्स लिमिटेड को समाप्त कर दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम 1156 एवं दि नेल्लिकुप्प इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (इन लिक्विडेशन) के विषय में

मद्रास, दिनांक 3 अप्रैल 1979

सं० 1787/लिक्वि०/560/79—यतः दि नेल्लिकुप्पं इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (इन लिक्वीडेशन) जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय कुडिलांगी, नेल्लिकुप्पं में है, का सामापन किया जा रहा है।

और यतः अधोहस्ताक्षरी को यह विश्वास करने का युक्ति युक्त हेतुक रखता है कि कोई समापक द्वारा कार्य नही कर रहा है और यह कि लेखा विवरणियो से समापक द्वारा दिए जाने के लिए अपेक्षित है, यह छः क्रमकता मासों के के लिए नही हो गयी है,

अतः जब कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (4) के उपबंधो के अनुसरण मे एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास के अवसान पर दि नेल्लिकुप्पं इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नही किया जाता है तो रजिस्टर से काट दिया जाए और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

य० सत्यनारायण,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार

बम्बई, दिनांक 4 अप्रैल 1979

8473/लिक्वि०/560(4)—यत् मेसर्स केडी वावानी कुपन्न प्राईवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 499, कालबादेवी, बम्बई-2 में है, का समापन्न किया जा रहा है।

और यतः अधोहस्ताक्षरित यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक रखता है कि कोई समापक का देहांत हो गया है।

अतः अब कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 560 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स के०बी० वासवानी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम, यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया जाता है तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ह० अपठनीय
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार,
बम्बई-2

कम्पनी अधिनियम, 1956 और कैसलेक रेलवे सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, श्रीनगर के विषय में

श्रीनगर, दिनांक 30 मार्च 1979

सं० पी० सी० 379/1058—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर कैसलेक रेलवे सप्लाई कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, श्रीनगर का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ओम प्रकाश जैन,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार,
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और अन्नै नाडु पब्लिकेशन्स लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 4 अप्रैल 1979

सं० 6243/560(5)/78—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अधीन अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अन्नै नाडु पब्लिकेशन्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के० पब्लिकेशन,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सिवा एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1979

सं० 720/87/6076—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सिवा एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्रीमती सी० कपूर,
सहायक रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और रामाकृष्णा स्टील इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक 6 अप्रैल 1979

सं० जी०/स्टेट०/560/3428—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर रामाकृष्णा स्टील इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और जग्गीज एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक 6 अप्रैल 1979

सं० जी०/स्टेट०/560/3662—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर जग्गीज एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और जाम्री एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक 6 अप्रैल, 1979

सं० जी०/स्टेट०/560/2225—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर जाम्री एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सत्य प्रकाश तायल,
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चन्डीगढ़

कार्यालय, आयकर-कर अपील अधिकरण

बम्बई-400020, दिनांक 30 मार्च 1979

सं० एफ० 48-एडी/एटी/78 भाग-II—श्री वाई० बालसुब्रमण्यम, अधीक्षक, आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई जिन्हें

तदर्थ आधार पर अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में छह महीने के लिए अर्थात् दिनांक 1-9-1978 से 28-2-1979 तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति दी गयी थी, देखिए, इस कार्यालय के दिनांक 9 अक्तूबर, 1978 की अधिसूचना क्रमांक एफ० 48-एडी (एटी)/78 भाग II, को उसी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में और तीन महीने के लिए अर्थात् दिनांक 1-3-1979 से 31-5-1979 तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति नही हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री वाई० बालसुब्रमण्यम को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्त के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में परिगणित की जाएगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किए जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी।

2. श्री एम० वी० नारायणन् वरिष्ठ आशुलिपिक, आय-कर अपील अधिकरण, हैदराबाद न्यायपीठ, हैदराबाद, जिन्हें तदर्थ आधार पर, अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, कलकत्ता न्यायपीठ में (अब बम्बई में दिनांक 15-1-1979 से) पिछले छह महीने के लिए अर्थात् दिनांक 1-9-1978 से 28-2-1979 तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की गयी थी, देखिए, इस कार्यालय के दिनांक 9 अक्तूबर, 1978 की अधिसूचना क्रमांक एफ० 48-एडी(एटी)/1978 भाग II, को उसी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में और तीन महीने के लिए अर्थात् 1-3-1979 से 31-5-1979 तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री एस० वी० नारायणन् को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं प्रदान करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में परिगणित की जाएगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किए जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी।

3. श्री निरंजन दास स्थानापन्न सहायक अधीक्षक आय-कर अपील अधिकरण दिल्ली न्यायपीठ दिल्ली जिन्हें तदर्थ आधार पर सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण अमृतसर न्यायपीठ अमृतसर में दिनांक 17-10-1978 (पूर्वाह्न) से 28-2-1979 तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की गयी थी, देखिए, इस कार्यालय के दिनांक 7 दिसम्बर 1978 की अधिसूचना क्रमांक एफ०-48 एडी (एटी)/78 भाग-II, को उसी क्षमता में तदर्थ आधार पर सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण अमृतसर न्यायपीठ, अमृतसर में और तीन महीने के लिए अर्थात दिनांक 1-3-1979 से 31-5-1979 तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्त नहीं जाती जो भी शीघ्रतर हो स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री निरंजन दास को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं प्रदान करेंगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में परिगणित की जायेगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किए जाने की पात्रता ही प्रदान करेंगी।

4. श्री एम० के० दलवी जो आय-कर अपील अधिकरण (उत्तरी क्षेत्र) नई दिल्ली के उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक है जिन्हें तदर्थ आधार पर सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण बम्बई न्यायपीठ बम्बई में दिनांक 14-11-1978 (पूर्वाह्न) से 28-2-1979 तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की गई थी, देखिए इस कार्यालय के दिनांक 7 दिसम्बर 1978 की अधिसूचना क्रमांक एफ 48-एडी (एटी)/78 भाग II को उसी क्षमता में तदर्थ आधार पर सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण बम्बई न्यायपीठ बम्बई में और तीन माहीन के लिए अर्थात दिनांक 1-3-1979 से 31-5-1979 तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति नही हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो स्थानापन्न रूप से कार्य करते को रहने अनुमति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर और यह श्री एम० के० दलवी को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाए न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में परिगणित की जाएगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किए जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी।

पी० डी० माथुर
अध्यक्ष

धन-कर विभाग

(केन्द्रीय)

बम्बई, दिनांक 17 फरवरी 1979

सं० आर० 18 (डब्ल्यूटी)/78-79—केन्द्रीय सरकार का मत है कि वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान धन-कर अधिनयम, 1957 (1567 का 27) के अधीन जिन निर्धारितियों का निर्धारण 10 लाख रु० से अधिक के शुद्ध धन पर हुआ है उनके नाम व संबंधित ब्यौरे प्रकाशित करना जन हित में जरूरी और समयोचित है। अतः उक्त अधिनियम

की धारा 42क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश दिया है कि पूर्वोक्त ऐसे निर्धारितयो के नाम व अन्य ब्यौरे प्रकाशित किए जाएं जिनके मामलों में या तो पहली अपील निपटाई जा चुकी है या पहली अपील पेश करने का समय गुजर चुका है और यह अपील पेश नहीं की गई है तदनुसार उन्हें इस क्रम से प्रकाशित किया जाता है जिसमें (i) हैसियत—व्यक्ति के लिए लिए "व्य" (ii) निर्धारण वर्ष (iii) रिटर्न में दर्शाए गए धन के आंकड़े (iv) निर्धारित धन (v) निर्धारिति द्वारा देय धन-कर (vi) निर्धारिति द्वारा अदा किया गया धन-कर दिखाया गया है।

1. श्री अम्बानी धीरज लाल एच-4थी मंजिल, कोर्ट हाउस, लोकमान्य तिलक मार्ग, धोबी तालाब, बंबई।

(i) व्य (ii) 1973-74 (iii) 6,41,220 (iv) रु० 14,55,420 (v) रु० 28,662 (vi) रु० 28,662 (ii) 1974-75 (iii) रु० 8,36,310 (iv) रु० 20,28,330 (v) रु० 72,266 (vi) 72,266 1975-76 (vii) रु० 14,67,150 (iv) रु० 29,41,580 (v) रु० 1,55,327 (vi) रु० 1,55,327

2. श्री पटेल जे० व्ही० मेवाड़ 40-ए०, पेडर रोड, बंबई।

(i) व्य, (ii) 1974-75, (iii) रु० 12,38,600, (iv) रु० 12,53,018, (v) रु० 22,591, (vi) रु० 22,591 (ii) 1975-76 (iii) 13,40,000 (iv) रु० 13,05, 205 (v) रु० 32,208 (vi) रु० 32,208

एस० एस० कपूर,
धन कर आयुक्त,
(केन्द्रीय-1), बम्बई

कार्यालय आयकर आयुक्त

बम्बई 400020, दिनाक 23 फरवरी 1979

राजपत्रित स्थापना

सं० 834—नीचे लिए अधिकारियों को एतद्द्वारा आयकर अधिकारी, श्रेणी-ख के मौलिक पदों पर 19 फरवरी, 1979 से लगाकर नियुक्त किया जाता है:—

सर्वश्री

1. बी० के० शिवशंकरन
2. आई० एम० आनन्द
3. पी० एन० कृष्णन
4. के० बी० जी० पिल्लै
5. जे० पी० पैठणकर
6. ए० एस० आहुजा
7. एस० बी० कामत
8. कु० आर० ए० माजरेकर
9. ओ० शोमशेखरन
10. एस० जे० जोशी
11. श्रीमती एस० एल० कुलकर्णी
12. के० बी० काणिक
13. के० एच० भुरानी
14. बी० बी० काले
15. पी० के० पटवर्धन
16. एम० एस० परेरा
17. एम० बी० श्रीधरन्।

बी० डी० शिन्दे,
आयकर आयुक्त, बम्बई नगर-1, बम्बई

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास कार्यालय

मद्रास, दिनांक 2 जनवरी 1979

निर्देश सं० 4801—यत, मुझे, टी० वी० जी० कृष्णमूर्ती, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 6/11, कृष्णस्वामी नगर में अवुट है, तथा जो कोयम्बटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारी 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री यू० आर० रामस्वामी और अदरस (अन्तरक)

2. श्रीमती के० चिन्नमाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 6/11, कृष्णस्वामी नगर, कोयम्बटूर (डाकुमेंट सं० 2630/78)।

टी० वी० जी० कृष्णमूर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण,
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 2-1-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर कार्यालय

जलन्धर, दिनांक 7 अप्रैल 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1890—यत, मुझे, बी० एम० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जी०टी० रोड बाई पास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के के अधीन, तारीख 14-8-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री ओम प्रकाश पुत्र जगननाथ मुख्तयार आम कमल कुमार पुत्र जगननाथ और वेद प्रकाश पुत्र जगन नाथ चक हुसैना लम्बा पिंड जलन्धर

(अन्तरक)

वी० के० कैमीकल कोर रबड इंडस्ट्री जी० टी० रोड, बाई पास नजदीक लेम्ब पिंड चौक जलन्धर

(अन्तरिती)

अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान जैसा कि विलेख नं० 3849 में अगस्त 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 31-4-79 जलन्धर में लिखा है

बी० एम. दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
गर्जन रेंज, जलन्धर

तारीख : 31-4-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर कार्यालय

जलन्धर, दिनांक 31 मार्च 1079

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1891—यत, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिस की सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो माडल टाउन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त, अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री भोला नाथ शर्मा पुत्र रिषीकेश शर्मा पिता करनल एच० एस० वरैल 1 कूल रोड जलन्धर

(अन्तरक)

2. श्रीमती आशा पत्नी सुरिन्द्र मोहन 91-एल० माडल टाऊन जलन्धर

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर नं० में में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि है ता हो) वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क म परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 91-एल जो माडल टाऊन में स्थित है जैसा कि विलेख नं० 388को अगस्त 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता -अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

तारीख : 31-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर कार्यालय

जलन्धर, दिनांक 6 अप्रैल 1979

निर्देश सं॰ ए॰ पी॰ नं॰ 1992—यत, मुझे, बी॰ एम॰ दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो सैयां गेट जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरबंस लाल पुत्र मनियां लाल 90 नंद लाल सोहन लाल सबजी मन्डी जलन्धर

(अन्तरक)

2. श्री अवनाश चन्द्र पुत्र मरदारी लाल सुदर्शन रानी पत्नी अविनाश चन्द्र भारत मैटल कंपनी बाजार वीर बोडला जलन्धर

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जैसा कि विलेख नं॰ 3875 अगस्त 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी॰ एम॰ दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

तारी : 6-4-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर कार्यालय

जलन्धर, दिनांक 7 अप्रैल 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1893—यत, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है,

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथाजो शिवराज गढ़ जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1808 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती निर्मल कुमारी बेवा कीर्ती कृष्ण ह० के०-18 1 फगवाड़ा गेट जलन्धर

(अन्तरक)

2. राम लाल पुत्र भगत राम दरशन लाल पुत्र भगवान दास शिवराज गढ़ जलन्धर

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जैसा कि विलेख नं० 4196 अगस्त 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

तारीख : 7-4-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर कार्यालय

जलन्धर, दिनांक 7 अप्रैल 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1894—यत, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो 158 अदर्श नगर जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण म में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बनारसी दास पुत्र ठाकुर दास केयर आफ सा मिल्ल कजी मंडी रेलवे गुडस दफतर के नजदीक जलन्धर (अन्तरक)

2. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी मदन गोपाल 158 अदर्श नगर जलन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आधा हिस्सा मकान नं० 158 का जैसा कि विलेख नं० 3880 अगस्त 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

तारीख: 7-4-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर कार्यालय

जलन्धर, दिनांक 7 अप्रैल 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1895—यत, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो अदर्श नगर जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री बनारसी दास पुत्र ठाकुर दास जलन्धर (अन्तरक)
2. श्री मदन गोपाल गांधी पुत्र मूल चन्द गांधी 158 आदर्श नगर जलन्धर (अन्तरिती)
3. जैसा ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त-सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जैसा कि विलेख नं० 4249 सितम्बर 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

तारीख : 7-4-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर कार्यालय

जलन्धर, दिनांक 7 अप्रैल 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1896--यत, मुझे, बी० एम० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो रमेश कालोनी जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1978

मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा, 269 ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1), के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्--

1. श्रीमती स्नेह लता पत्नी जुगल किशोर गली नं० 2 नमक मंडी जलन्धर

(अन्तरक)

2. श्री विजय कुमार बिकरमजीत सिंह और किरन कुमार नजदीक नई कचहरी जलन्धर

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट जैसा कि विलेख नं० 3893 अगस्त 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है ।

बी० एम० दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

तारीख : 7-4-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर कार्यालय

जलन्धर, दिनांक 9 अप्रैल 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1807—यत, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जी० टी० रोड, जलन्धर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. सतलुज चिट फण्ड एण्ड फाइनेंस (प्रा०) लि० जलन्धर (अन्तरक)
2. श्री अजीत सिंह, रछपाल सिंह कृपाल सिंह डेविड सिंह पुत्र हरबंस सिंह प्रकाश कौर पत्नी हरबंस सिंह सरहाल काजियां और बैंक आफ इंडिया कमर्शियल) जलन्धर (अन्तरिती)
3. जैसा ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग जैसा कि विलेख नं० 4178 अगस्त 1978 क रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, मद्रास।

तारीख : 9-4-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर कार्यालय

जलन्धर, दिनांक 11 अप्रैल 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1898—यत, मुझे, बी० एम० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बस्ती शेख में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नरंजन सिंह पुत्र उधम सिंह पुत्र हीरा सिंह बस्ती मुजा जलन्धर

(अन्तरक)

2. श्रीमती करतार कौर पत्नी लाल सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, गुरबचन सिंह, निर्मल सिंह, राजिन्द्र पाल सिंह पुत्र लाल सिंह, लाल सिंह पुत्र बुद्ध सिंह बस्ती शेख जलन्धर

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जैसा कि विलेख नं० 4151 अगस्त 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है ।

बी० एम० दहिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

तारीख : 11-4-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनाक 11 अप्रैल 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1899—यत, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है, तथा जो राज नगर जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिता द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लछमन सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र दीप सिंह, अमर कौर पुत्री सेवा सिंह कपूरथला रोड जलन्धर संत कौर पत्नी साधू सिंह कपूरथला रोड, जलन्धर

(अन्तरक)

2. श्री मदन मोहन पुत्र गुरदियाल सिंह विद्यावती पत्नी गुरदियाल सिंह मजदोन मदन काहौर जहाज जलन्धर

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जैसा कि विलेख नं० 3898 अगस्त 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

तारीख : 11-4-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 11 अप्रैल 1979

निर्देश सं॰ ए॰पी॰ नं॰ 1900—यत, मुझे:, बी॰ एस॰ दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं॰ जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो ग्राम किशन गढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1978

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री चरन सिंह पुत्र बूर सिंह गांव किशनगढ़ जलन्धर (अन्तरक)
2. श्री मेजर सिंह पुत्र चरन सिंह गांव किशन गढ़ जलन्धर (अन्तरिती)
3. जैसा ऊपर नं॰ 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि विलेख नं॰ 3980 अगस्त 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लिखा है।

बी॰ एस॰ दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जलन्धर

तारीख : 11-4-1979
मोहर :

प्ररूप भाई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर कार्यालय

जलन्धर रेंज, दिनांक 11 अप्रैल 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1901—यत, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो गांव जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

श्री मोहन सिंह पुत्र भगत सिंह गांव मिल जलन्धर

(अन्तरक)

2. श्री संगारा सिंह निरमल सिंह पुत्र मोहन सिंह गांव मिल तहसील जलन्धर

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि विलेख नं० 3550 अगस्त 1978 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

तारीख : 11-4-1979
मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बम्बई कार्यालय

बम्बई, दिनांक 31 मार्च 1979

निर्देश स० ए० ए०आर०/ए० पी०-293/78-79—यत, मुझे, वी० एस० शेषाद्री,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ** है तथा जो माजाय गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-9-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री भगवान दास द्वारकादास कापाडिया
(अन्तरक)

2. अजीत रेडियो कारपोरेशन प्रा० लिमिटेड
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख न० अ० 5873/72/आर० बम्बई उप-रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 1-9-78 को रजिस्टर्ड किया है।

वी० एस० शेषाद्री
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बम्बई

तारीख : 31-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना कार्यालय

पूना, दिनांक 17 मार्च 1979

निर्देश सं० सी० ए० 5/सब रजिस्ट्रार जलगांव/बोलेबर 78/434—यत, मुझे, श्रीमती पी० ललवानी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० आर० एस० क्र० 214-बी०, 1, 2-बी०/ क्र० 7 है, तथा जो जलगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब रजिस्ट्रार जलगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-11-78 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मिश्रीलाल ओंकारदास जोशी एण्ड सन्स भागीदार श्री पुरुषोत्तम मिश्रीलाल जोशी, 195, भवानी पेठ, जलगांव

(अन्तरक)

2. (1) श्री ओम प्रकाश सीताराम अग्रवाल,
(2) श्री राजनारायण जगन्नाथ अग्रवाल
(3) श्री सोमा शिवराम भोले पार्टनर्स मेसर्स हीरा पन्ना बिदार्स
(4) चंद्रकांत केशरीमल राठी, 122, नवी पें, जलगांव

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सेदीकी जमीन : आर० एस० क्र० 214-बी० ½-बी०/ छाट क्र० 7।

क्षेत्रफल : 6104 वर्ग फुट।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० सं० 2436 दिनांक 28-11-78 को सब रजिस्ट्रार जलगांव के दफ्तर में लिखा है)।

श्रीमती पी० ललवानी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 17-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई टी• एन• एस•————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,

60/61 एरंडवना, कर्वे रोड पूना-411004

पूना, दिनांक 17 मार्च 1979

निर्देश सं० सी० ए० 5/सब रजिस्ट्रार जलगांव/नवम्बर 78/433—यत, मुझे, श्रीमती पी० ललवानी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एम० क्र० 214 बी०-1 2-बी० प्लाट क्र० 6 है, तथा जो जलगांव मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब रजिस्ट्रार जलगांव मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-11-1978 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री मिश्रीलाल ओंकारदास जोशी एण्ड सन्स जलगांव भागीदार श्री पुरुशोत्तम मिश्रीलाल जोशी 195, भवानी पेट, जलगांव

(अन्तरक)

2. (1) श्री ओम प्रकाश सीताराम अग्रवाल
(2) श्री राम नारायण जगन्नाथ अग्रवाल
(3) श्री सोमा शिवराम भोले पार्टनर्स मेमर्स हीरा/पन्ना बिल्डर्स
(4) श्री चंद्रकांत केशरीमल राठी, 122, नवी पेठ, जलगांव

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खेती की जमीन : आर० एम० क्र० 214, बी-1, 2-बी०, प्लाट क्र० 6

क्षेत्रफल : वर्ग फुट 6480, जलगांव

(जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 2435, दिनांक 28-11-78 को सब रजिस्ट्रार जलगांव के दफतर में लिखा है)।

श्रीमती पी० ललवानी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 17-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,

60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना-411004

पूना-411004, दिनांक 29 मार्च 1979

निर्देश सं० सी० ए० 5/एस० आर० रहाय/दिसम्बर-78/436—यतः मुझे, श्रीमती पी० ललवानी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी स० सर्वे स० 4/2 ए है, तथा जो शिरडी अहमदनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब रजिस्ट्रार रहासा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्री अण्णासाहेब बाबुराव शेडे शिरडी, तह० अहमदनगर
(अन्तरक)

2. श्री सुरेश मोहनराव गोरडिया केअर आफ सुरेश भोरडिया एण्ड कं० इस्टेट सी० कन्सल्ट्रेट, 24, वीर नरीमन रोड, रेहमान बिल्डिंग, सेकण्ड फ्लोर मुम्बई
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी : सर्वे सं० 4/2 ए, शिरडी, तहसील अहमदनगर क्षेत्रफल : 21520 वर्ग फुट

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 1439 दिनांक 4-12-78 को सब रजिस्ट्रार रहामा के दफ्तर में लिखा है)।

श्रीमती पी० ललवानी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 29-3-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-II, दिल्ली-1

4/14क, आसफ अली मार्ग

नई दिल्ली-1, दिनाक 2 अप्रैल 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू०/II/अगस्त-23/2934/78-79/79/9/4—यत: मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० एम-8 है, तथा जो राजौरी गार्डन नई दिल्ली मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए,

अत. अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सत्या भूषण, तथा श्री सुभाष चन्द्र, सुपुत्र श्री देवकी नन्दन, निवासी ई-3, रतन पार्क, नई दिल्ली-1 (अन्तरक)

2. श्री अशोक कुमार सेठी, सुपुत्र श्री राम प्रकाश सेठी, निवासी जे-12/44, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-1 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसम प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जोकि 202 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बना हुआ है, जिसका न० एम-8, है, निवासी कालौनी राजौरी गार्डन, बसाएदारापुर गाव, दिल्ली मे निम्न-प्रकार से स्थित है —

पूर्व	. प्लाट नं० एम-9
पश्चिम	· प्लाट न० एम-7
उत्तर	: रोड
दक्षिण	प्लाट न० 56 तथा 57 ब्लाक नं० 'ओ'

आर० बी० एल० अग्रवाल
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख 2-4-1979
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1
4/14 क, आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली
नई दिल्ली-1, दिनांक 2 अप्रैल 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/अगस्त-109/3162/78-79/79/9/44—यतः मुझे, आर० बी०एल०अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ए-7/5 है, तथा जो राणाप्रताप बाग, सब्जी मण्डी, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-8-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री माना सिंह, सुपुत्र श्री जवाहर सिंह, निवासी ए-7/5, राना प्रताप बाग, दिल्ली-1
(अन्तरक)
2. (1) श्री राम चन्द, सुपुत्र श्री कीमत राम कालड़ा, निवासी ए-16/1, राना प्रताप बाग, दिल्ली;
(2) श्री अर्जन दास सुपुत्र श्री कीमत राम कालड़ा, द्वारा राजस्थान ज्वैलरस, मालीवाड़ा, दिल्ली,
(3) श्री विशन दास कालड़ा, सुपुत्र श्री राम चन्द, द्वारा राजस्थान ज्वैलरस, मालीवाड़ा, दिल्ली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक ढ़ाई मंजिला बिल्डिंग जो कि 490 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बनी हुई है जिसका नं० ए-7/5 है, राणा प्रताप बाग, सब्जी मण्डी, माधोरा कालान गांव, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : रोड
पश्चिम : जायदाद नं० ए-6/5
उत्तर : रोड
दक्षिण : जायदाद नं० ए-7/4

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 2-4-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 2 अप्रैल 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/अगस्त-57/3044/78-79/79/9/4—यत, मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 39 है, तथा जो पंजाबी बाग, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) श्री यशपाल मदान, सुपुत्र स्वर्गीय डा० सेवा राम मदान, एफ-38, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली,
   (2) श्री सत्या पाल मदान, सुपुत्र स्वर्गीय डा० सेवा राम मदान, निवासी 21, पार्क एरिया, करौल बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. (1) श्री तजीन्द्र धवावन, पत्नी एस० अया सिंह धावन तथा
   (2) श्रीमती निर्मल कौर, पत्नी एस० हरमीन्द्र सिंह, दोनों निवासी 19, वैस्ट एवेन्यू रोड़, पंजाबी बाग, दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट जिसका नं० 39 है और क्षेत्रफल 654.63 वर्ग गज है, नार्थ वैस्ट एवेन्यू रोड़, पंजाबी बाग, बसाएदारापुर गांव , दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : जायदाद नं० 37
पश्चिम : लेन
उत्तर : सर्विस लेन
दक्षिण : नार्थ वैस्ट एवेन्यू रोड़

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 2-4-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 2 अप्रैल 1979

निर्देश सं० आई० [ए० सी०/एक्यू०/11/अगस्त-72/3037/78-79/9/4—यतः मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 5212-5213 है, तथा जो कोहलापुर रोड, सब्जी मण्डी, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-8-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती-(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती प्रसन्ती देवी, पत्नी (स्वर्गीय) गंगा राम शर्मा, निवासी 319, माल टाउन, दिल्ली (अन्तरक)
2. श्री ओम प्रकाश, सुपुत्र श्री जुम्मा मल, निवासी 5212, कोहलापुर रोड, सब्जी मण्डी, दिल्ली (अन्तरिती)
3. श्री मुकेश कुमार रामफूल, श्री लहरी सिंह, श्री हरी राम मेहरा तथा श्रीमती श्याम देवी (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक दो मंजिला वयम दुछती फ्लोर जिसका नं० 5212-5213 है और क्षेत्रफल लगभग 18 वर्ग गज है, और प्लाट नं० 8 है, कोहलापुर रोड, सब्जी मण्डी, इलाका नं० 12-दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : सड़क 20 फुट कोहलापुर हाउस,
पश्चिम : मेन बाजार कोहलापुर रोड़
उत्तर : मकान नं० 5214 चौ० मोहन सिंह
दक्षिण : मकान नं० 5211 श्री काशीराम सहगल

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख 2-4-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अप्रैल 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु/11/अगस्त-130/3231/78-89/79/9/4—यतः, मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 6943/2 प्राईवेट नं० 5 है, तथा जो गली आर्य समाज नं० 2, जयपुरियां बिल्डिंग, कमला नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-8-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

2. श्रीमती गिरजा बेन त्रिवेदी, विधवा पत्नी श्री कान्ती लाल त्रिवेदी, निवासी 6943/2 नं० 2, जयपुरियां बिल्डिंग, कमला नगर, दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री अशोक कुमार चौपड़ा, सुपुत्र स्वर्गीय श्री सतपाल चौपड़ा, निवासी 21-ए, कोहलापुर रोड, कमला नगर, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जिसका प्राईवेट नं० 5, म्युनिसिपल नं० 6943/2 है और क्षेत्रफल 117 वर्ग गज है, गली आर्य समाज नं० 2, जयपुरियां बिल्डिंग, कमला नगर, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : राम नारायण की जायदाद
पश्चिम : रोड
उत्तर : रोड
दक्षिण : रोड

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 9-4-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अप्रैल 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/अगस्त-90/3128/78-79/79/9/4—यत, मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है

और जिसकी सं० बी-231(231) है, तथा जो डी० आई० खान को-आपरेटिव सोसाइटी, मुबारक बाग, जी० टी० रोड, दिल्ली-1 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-8-1978

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डेरा इजमाईल खान को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि०, मुबारक बाग, जी० टी० रोड, दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री गनपत राम, सुपुत्र श्री परमानन्द मादा निवासी बी-2, माडल टाउन, दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट जिसका नं० बी-231 है और क्षेत्रफल 268.22 वर्ग गज है, डेरा इजमाईल खान को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, मुबारक बाग, जी० टी० रोड, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : सर्विस लेन
पश्चिम : प्लाट नं० बी-230
उत्तर : सर्विस लेन
दक्षिण : 30' चौड़ी सड़क

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 9-4-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक 6 मार्च 1979

निर्देश सं० ए० 357/78-79—यत, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मलगी नं० 9 है, तथा जो 5-8-521 धीरा गली लेन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (10081908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 198

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती तारामनी पत्नी गिर्राराव गोयल 5-3-1053/ शेतकर बाग हैदराबाद

(अन्तरक)

2. श्री विजय कुमार घर नं० 10-4-34 माशावर टानल हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलगी नं० 9 घर नं० 5-8-521 में धीरा गली लेन—हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2552/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 6-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक 6 मार्च 1979

निर्देश सं० ए० 358/78-79—यत, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मलगी नं० 7 घर नं० 5व8-521है, तथा जो धीरा गली लेन मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 10-7-1978

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती तारामनी पती स्त्री गिरीराज गोयल 5-3-1053 शंकर बाग उस्मानखान हैदराबाद (अन्तरक)
2. श्री हुसैन अली पति हुसैन अली घर नं० 2/28 करीमाबाद आलोनी हैदराबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलगी नं० 7 घर नं० 6-8-521 जगदीश मारकीट धीरा गली लेन हैदराबाद रजिस्ट्री बहस्तावेज नं० 2638/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 6-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक 6 मार्च 1079

निर्देश सं० 359/78-79——यत, मुझे, के० एम० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मलगी नं० 8 है, तथा जो 5-8-521 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धीरागली लेन, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जुलाई 1978 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती तारामनी पती गीरिराज गोयल 5-3-1053 उस्मान गंज हैदराबाद

(अन्तरक)

2. श्री अली हुसैन (मैनर) जगरानी कार हुसैन अली पिता करीमाबाद बाबिली हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलगी नं० 8 घर नं० 5-8-521 में है धीरा गली लेन; हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2739/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय, हैदराबाद में।

के० एम० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 6-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय; सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक 6 मार्च 1979

निर्देश सं० 368/79-79—यत, मुझे, के० एम० वेंकट-रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मकानी नं० 14 है, तथा जो 5-8-522/2 धीरा गली लेन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री धीरी रतन गोयल घर नं० 5-3-1053 उस्मान गंज हैदराबाद

(अन्तरक)

2. श्री किशन प्रसाद 14-6-9 पीगम बाजार हैदराबाद

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकानी नं० 140 घर नं० 5-8-522/2 धीरा गली लेन में है हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2650/79 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० एम० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 6-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक 6 मार्च 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० 361/78-79—यत, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 13.14 चिराग-अली लेन है, तथा जो हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अपधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1 श्री गिरिराज गोयल मकान न० 5-3ब1053, शंकर बाग, ओस्मानगंज के पास , हैदराबाद

(अन्तरक)

2. श्रीमती डा० सैयद रुथी मकान नं० 10-2-317/31, विजय नगर कालोनी, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दफ्तर कमरा नं० 13 क और 14 प्रेमिसेस नं० 5-8-522/2 में जिराग-आली-लेन हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2967/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में ।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 5-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक 6 मार्च 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 362/78-79—यत, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 15-1-503/25 है, तथा जो अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 1978 पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री दीनाथ मोंदी, हनुमानदास मोदी, (का पुत्र)
21-1-624, वर्द शरीफ, (पटेल मार्केट) हैदराबाद
(अन्तरक;

2. श्री अब्दुल रजाक खानद्व मकान नं० 14-1-358 आगा पुरा, हैदराबाद
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क, में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमी और घर 6, कमदपपा मूदली गली में।

मंजिल नं० 15-1-50/325, प्रेमिसेस नं० 15-1-503, फीलखाना, सिद्धेबर बाजार, हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2976/78, उप रजिस्ट्री कार्यालय, हैदराबाद में।

के० एम० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक 6 अप्रैल 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 383/78-79—यत, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 14, (5-8-622) है, तथा जो चिराग-अली-लेन, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19 अप्रैल 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जगदीश प्रशाद, नं० 21-12-93, रिकाबगंज, हैदराबाद

(अन्तरक)

2. श्री संयद मंजहार हुसैन, मकान नं० 17-6-113 काली मस्जिद, रदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 14 प्रेमिसेस 5-8-622 चिराग-अली-लेन हैदराबाद में, रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2637/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय, हैदराबाद में।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 6-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद कार्यालय

हैदराबाद दिनांक 13 मार्च 1979

निर्देश सं० नं० 364/78-79—यत, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० बीयांग 4-1-413 वा 4.23 है, तथा जो तुरुप बाजार हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

मिसेस होटल पार्कलेन लिमिटेड 4-3-16 राष्ट्रपति रास्ता सिकन्दराबाद

(अन्तरक)

2. श्रीमती विजया देवी पती दनदुयेकाम्बर घर नं० 9/ए, वाकरटीन सिकन्दराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तमाम खुली जमीन वीर्स्तन 115.67 वर्ग मीटर घर का अभी तामीर घर का नं० 4-1-419 ता 423 तुरुप बाजार हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तातेज नं० 2513/78 उप रजिस्ट्रीकर्ता कार्यालय, हैदराबाद में।

के० एस० वेंकट रानन
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 1979

निर्देश सं० 365/78-79—यत, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 233-76 वर्ग मीटर जगा घर नं० 4-1-419 ता 423 है, तथा जो तुरुप बाजार, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स होटल पार्क लेन, प्राईवेट लिमिटेड 4-3-16 आर० पी० रास्ता सिकन्दराबाद (अन्तरक)

2. (2) कुमारी इन्दु कांचना
(2) कुमारी (मैसर्स) इन्दु करुण घर नं० 9/ए वाकर टीन सिकन्दराबाद, ऊका० पिता० आधिकार है। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तमाम जमीन और बीस्तेन 233.76 वर्ग मीटर जमीन और सुपर स्ट्रकचर वीयारा घर नं० 1-1-419 है तुरुप बाजार हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2514/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० एस० वेंकट रामन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 1979

निदेश सं० 366/78-79—यत, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी सं० कुछ बाग की जमीन 4-1-419 ता 423 तुरुप बाजार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई 1978 को

पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा, (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स होटल पार्क लेन प्राईवेट लिमिटेड 4-3-16 आर० पी० रास्ता सिकदराबाद
(अन्तरक)

2. इन्दु प्रवीना 9/ए, वाकर टीन सिकन्दराबाद (मैनर) उनका पिता आधिकार है (डी० यकामबर)
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तमाम घर का विभाग 138.02 वर्ग यार्ड जमीन, और सुपर स्ट्रकचर घर का नं० 4-1-419 ता 423 तुरुप बाजार, हैदराबाद में दस्तावेज नं० 2515/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में ।

के० एस० वेंकट रामन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद ।

तारीख : 13-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 1979

निर्देश सं० 367/78-79—यत, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स गरिन्दर कौर कनदारी पर्ती सुरेन्दर सिंह कन्दारी मैनेजिंग पार्टनर मैसर्स कनधारी कारपोरेशन 15-1-53/3 पीलकाना हैदराबाद

(अन्तरक)

2. श्री के० वीरय्या पिता रामलिंगम 15-2-258 ऊसमान शाही हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खूली जमीन में E-3 प्लाट है गगन महल कोआपरेटिव डिवेलपमेंट सी० सीटी दोमलगुडा हैदराबाद में है—रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3008/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में ।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1979
मोहर :

7—36GI/79

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 1979

निर्देश सं० 368/79-79—यत:, मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० E-3 विभाग नं० दोमलगुडा है, तथा जो हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 1978 पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मैसर्स गरिन्दर कौर कान्धारी, पती सुरेन्दर सिंह कन्धारी मैसर्स कन्धारी कारपोरेशन 15-1-53/3 पीलकाना हैदराबाद

(अन्तरक)

2. श्री के० वीरालक्ष्मी पती के० रामलिंगम 15-5-258 अस्मान शाही हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन और भाग नं० E—3 का है—गगन महल कोआपरेटिव डिवलपमट सोसाइटी दोमलगूडा हैदराबाद में 299 वर्ग यार्ड रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3009/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय, हैदराबाद में ।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1979
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च, 1979

सं० 369/78-79—यतः मुझे के० एस० वेंकट रामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3-5-784/15/1 है, जो कोनरकोटी बशीरबाद-हैदराबाद में स्थित है (और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 78

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सैयद ऊस्मान-अल-इल्याम अजमत अली पिता स्वर्गीय सयद असगर अल्हुसन 3-5-784/15 कोनरकोटी हैदराबाद (अन्तरक)

2. मैसर्स कुशाल अपार्टमेन्ट उसकी चलाने वाली श्रीमती निर्मला देवी डगा, पति एम० एल० डगा, 4-6-489 हैदराबाद (अन्तरिती

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 3-5-784/15/1 कोनरकोटी, बशीरबाग रास्ता हैदराबाद (राजरेडी मार्ग) वैस्टर्न 1222 वर्ग यार्ड रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3012/78 उप रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद में ।

के० एस० वेंकटरामन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 13-3-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 15 मार्च 1979

नं० 370/78/79—यतः मुझे के० एस० वेंकट रामन, राम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० 3-5-170/ए/9 है, जो नारायनगुडा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. डी० नरसिम्मा शरमा पिता डी रामशा घर न० 1 एम ए जी कालोनी मसबीपटनम, हैदराबाद (अन्तरक)

2. श्री भगवती प्रसाद घर नं० 3-5-170/ए/9 नारायनगुडा हैदराबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 3-5-170/ए/9 नारायनगुडा के पास है, हैदराबाद 340 वर्ग यार्ड स्वैर्टन है, दस्तावेज नं० 2823/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद मे।

के० एस० वेंकट रामन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 15-3-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 15 मार्च 1979

नं० 371/78-79—यतः मुझे के० एस० वेंकट रामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 5-9-22/57 और 57/1 है, जो आदर्श नगर हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय के बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री आर० मधुसूदन रेड्डी (2) आर० रघुपति रेड्डी (3) आर० प्रतापकुमार रेड्डी नं० 1 और 3 बेंगलूर में और नं० 2 हैदराबाद में। (अन्तरक)

2. श्री कनय्यालाल घर नं० 5-9-22/31 आदर्शनगर हैदराबाद (2) श्रीमती रूप पति कनय्यालाल है (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तमाम जमीन और घर नं० 5-9-22/57 और 57/1 वीस्तेन 554-80 चौ यार्ड आदर्श नगर हैदराबाद में है रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2482/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 15-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 मार्च 1979

नं० 372/78-79—यतः मुझे के० एम० वेंकट रामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी नं० कुली जमीन घर नं० है, जो 6-2-30 लकड़ी का पुल हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कैरताबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979 की

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) श्री महमदी सुबान हसन औमदी (2) महमद रजवान हसन औमदी (3) दाऊद औमद हसन (4) महमद इलियास अहमदी (जमाम मैनर्स) हैं पिता रकवाला है (5) संत महमद इलयास औमदी श्रीमती महमूद बेगम हैदराबाद (अन्तरक)

2. सरदार अमलोक सिंह घर नं० 3-6-63 बशीरबाग हैदराबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कुल जमीन वीस्तेन 456 वर्ग यार्ड है कुछ बाग है घर नं० 6-2-30 एम सी यार्ड कैरताबाद हैदराबाद में है रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1958/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में।

के० एम० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 19 मार्च 1979

नं० 373/78-79—यतः मुझे के० एम० वेंकट रमन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1-7-293/1 और 1-7-293/1/ए एम जी रास्ता सिकन्द्राबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिकन्द्राबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 78 को

पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने म सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती हिल्डा गाॅफ्रे भम घर नं० 1-7-284/288 महात्मा गांधी मार्ग सिकन्दराबाद (अन्तरक)
2. श्री डी० यंकामब्बर (2) डी० विजय देवी (3) डी० विश्वेश्वर राउ (4) डी० पुष्पावती (5) डी० श्रीनन्दन राउ (6) श्री चन्द्राकला नं० 1 से 2 घर नं० 9/ए पद्मा-राउ नगर बर्कतबाग, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 1-7-293/1 और 1-7-293/1/ए कहा जाता है "लीडो रेस्टोरेन्ट" महात्मा गान्धी रास्ता सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1696/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में।

के० एम० वेंकट रामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 19-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 19 मार्च 1979

सं० आर० ए० सी० नं० 374/78-79—यतः मुझे के० एस० वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 195 तारबंद, सिकन्दराबाद है, जो.....में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 78 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, मैं, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्रीमति एम० होशांग बरूचा और दो व्यक्ति लोग (जी० पी० ए०) घर नं० 209 सीक रोड़ सिकन्दराबाद (अन्तरक)

2. श्री जार्ज पेरनानडेस घर नं० 25/बी, एनटैन्चमेन्ट रास्ता (2) श्री पेरडीक फेरनानडेस (3) श्रीमति अलप्रेड पेरनानडेस 25/बी एनट्रैन्चमेंट रास्ता सिकन्दराबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर इनमें से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आक्षेपकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मुलगी नं० 195 तारबंद में सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1923/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में ।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 19-3-79
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 19 मार्च 1979

नं॰ 375/78-79—यत. मुझे के॰ एस॰ वेंकट रामन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ 6-3-852/3 है, जो अमीरपेट हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. एम॰ एस॰ वेदामबल 6-3-852/ए/2 अमीरपेट हैदराबाद (अन्तरक)

2. श्रीमती कस्तूरी राजेन्द्रन-177 सापट कुवेट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं॰ 6-3-852/3 अमीरपेट हैदराबाद विस्तेन 176.88 वर्ग मीटर रजिस्ट्री दस्तावेज नं॰ 1818/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में

के॰ एस॰ वेंकट रामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 19-3-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 2 फरवरी, 1979

नं० पी० आर० 649/एक्वि० 23-1256/6-1,78-79---अत: मुझे एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० फ्लैट नं० 6ए विश्वास कालोनी रेस कोर्स रोड, बडौदा है। तथा जो बडौदा कसबा सं० नं० 532 प्लाट नं० 24, 25, 28, 29, 32 और 33 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बडौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-8-1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:---

1. के० ए० एम० पटेल एंड कम्पनी 205, यश कमल बिल्डिंग, बड़ौदा-390005 (अन्तरक)

2. श्री रामचन्द्र छोटुभाई मेहता, मारफत बी० के० नायक, "नायक विला" प्रताप गंज, बड़ौदा-390002। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप --

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 6ए जिसकी फ्लोर एरिया 1120 वर्ग फुट है तथा जो विश्वास कालोनी, रेस कोर्स रोड, बडौदा में स्थित मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ोदा द्वारा 17-8-1978 को दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3458 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II

तारीख : 2-2-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी०एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- , अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1979

नं० पी आर 650,एसीक्यु 23-1263/7-4/78-79—अतः मुझे एस० सी० पारीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० न्यू टीका नं० 60, सर्वे न० 2753 है तथा जो आशा नगर, नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1978

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, म उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री मोहनलाल नगीनदास बम्बईवाला वाडी स्ट्रीट, नवसारी (अन्तरक)

2. श्री सुशील एपार्टमेन्टस को० आ० हाउसिंग सोसायटी लि० (अन्तरिती)
   प्रसीडेन्ट : सुखाभाई राधाभाई पटेल
   आं० सेक्रेटरी : सुमनभाई रणछोडभाई जी नायक
   बम्बे हाउस, आशानगर नवसारी (अन्तरिती

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो न्यू टीका नं० 60 सव नं० 2753 आशा नगर, नवसारी में स्थित है जिसका कुल माप 495 वर्ग मीटर है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवसारी द्वारा 24-8-1978 को दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2623 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

तारीख : 14-2-1979
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 20 फरवरी, 1979

नं० पी०आर० 652,एसीक्यू० 23-1265/19-7/78-79—अत: मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० नोंध नं० 1867 वार्ड नं० 1 है। तथा जो महीधर पुरा, बालीशेरी, सूरत मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची म और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-8-1978

पूर्वोक्त, संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1 श्री कैलाश गौरी मूलशंकर आचार्य फ्लैट नं० 6, सेकण्ड फ्लोर, शिवम एपार्टमेन्टस, आठवा लाइन्स सूरत। (अन्तरक)

2 रमाबेन, कालीदास रतनजी की सुपुत्री, महीधरपुरा, बाली शेरी, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप.—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जिसका कुल माप 73-57-94 वर्ग मीटर है तथा जो बाली शेरी, महीधरपुरा, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा 29-8-78 को दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3585 मे प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I। अहमदाबाद

तारीख : 20-2-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 23 फरवरी, 1979

न० एसीक्यू-23-I-1912(786)/16-6/78-79—अत. मुझ एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० श्रीदीपाली पोरी के पास है। तथा जो ढेबर रोड़, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-8-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्राणलाल ओनमचंद शाह 12, लोअर-चीतपुर रोड़, कलकत्ता (अन्तरक)

2 श्री कानजीभाई जेराभाई मालवी, भटोला कोलमईन रोड़, (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान, जो 87 वर्गगज क्षेत्रफल वाली जमीन में स्थित है मीदीवाली शेरी के पास, ढेबर रोड़ राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज नं० 3256 में दिया गया है जो अगस्त, 1978 में रजिस्ट्री किया गया है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

तारीख: 23-2-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 फरवरी 1979

नं० एसीक्यू 23-1-1911(787)/16-6/78-79—अतः मुझे एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस नं० 457 टी० पी० एस० नं० 1 है तथा जो रैया रोड की दक्षिण साईड में, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-8-1978

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री कोली टपूभाई राघवभाई विजदा प्लाट, मेईन रोड राजकोट । (अन्तरक)
2. फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया एम्पलाइज को० आ० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, अमृता एस्टेट चौथी मंजिल एम० जी० रोड, राजकोट । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जो 1 एकड 15 गुंठा क्षेत्रफल वाली है जो टी० पी० एस० 1 में सर्वे नं० 457 वाली है तथा रैया रोड राजकोट में स्थित है जिसका पूर्ण वर्णन ता० 31-3-78 को रजिस्ट्री किये गये बिक्री दस्तावेज सं० 3634 में दिया गया है

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

तारीख: 23-2-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 फरवरी, 1979

नं० एसीक्यू 23-2-1914(788)/16-6/78-79—अतः मुझे एम० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० एम० नं० 868, प्लाट नं बी० है। तथा जो राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8-8-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमानय प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मुकुंदभाई केशवराम पंडित 'सुदर्शन' यूरोपीयन चर्च के पीछे रेसकोर्स रोड, राजकोट। (अन्तरक)
2. (1) श्री छोटालाल धरमशी, धरमशी कला एव यू० एफ० के कर्ता श्री हैसियन मे गीरदार सिनेमा, राजकोट (2) श्री रमेश जमनादास करारीया, सरदार नगर वेस्ट शोरी नं राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1313-2-28 वर्ग गज है जिसका सर्वे न 868, प्लाट नं० बी है जो नय्यूम्न नगर यूरोपियन चर्च के पीछे, राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन ता 8-8-1978 को रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज नं० 3359 में दिया गया है।

एम० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

तारीख : 23-2-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 फरवरी 1979

नं० एसीवयू 23-I-1909(789)/16-6/78-79—अतः, मुझे एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एम नं० 896 है। तथा जो ढेबर रोड़, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-8-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने म सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती इन्दीरा जयसुखलाल देसाई, "पितृस्मृति" 56, जनकल्याण सोसायटी, राजकोट (अन्तरक)

2. हरेन ट्रस्ट, ट्रस्टीम (1) श्री जयन्तकुमार मोती चंद भाईदोसी। (2) इन्दुमती मणीलाल शाह के मारफत "ईला बिला" आशापुरा रोड, राजकोट

(अन्तरिती)

3. (1) गेलोर्ड टेलर्स,
(2) बोली अम्पीरीयम
(3) कल्पना स्टील सेन्टर,
(4) श्री चमनभाई गाधयां
(5) क्रांति सेल एजेन्सी
(6) भारत सर्किल कार्पोरेशन
(7) महेन्द्रभाई कार्धीये
(8) रसीकलाल सागला
(9) सौराष्ट्र फर्टीलाईजर्स

सभी 'एरनवीला' ढेबर रोड, राजकोट

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

'हरेन वीला' नाम से प्रख्यात मकान जो, 90-6-095 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली जमीन पर ढेबर रोड राजकोट में स्थित है जिसका सर्वे नं० 896 है तथा जिसका पूर्ण वर्णन ता० 21-8-78 को रजिस्टर्ड किये गये बिक्री दस्तावेज नं० 3491 में दिया गया है।

एम० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख: 23-2-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अहमदाबाद, दिनांक 7 मार्च, 1979

सं० पी० आर० 653/एसीक्यू 23-1294/6-1/78-79—अतः मुझे एम० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 168/2 है। तथा जो सैयद वासना विस्तार, बड़ोदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ोदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 11-8-1978 तथा 13-9-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1 (1) रनजीभाई शिवाभाई पटेल
(2) नरेन्द्र कुमार रनजीभाई पटेल,
(3) चन्द्रकान्त भाई रणछोड़भाई पटेल,
'कुंज सोसायटी अलकापुरी, बड़ोदा (अन्तरक)

मैत्र मंदिर को० आ० हा० सिंग सोसायटी मारफत 17, अरुणोदय सोसायटी, अलकापुरी, बड़ोदा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खली जमीन जो सर्वे नं० 168/2 सैयद वासना, बड़ोदा में स्थित है तथा चार बिक्री दस्तावेजों क्रमशः (1) 3353/11-8-78 (2) 3354/11-8-1978 (iii) 3804/13-9-1978 (iv) 3805/13-9-1978 द्वारा बेचा गया है तथा उन बिक्री दस्तावेजों में जिस का पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एम० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 7-3-1979
मोहर

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज ।। अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 मार्च, 1979

नं० पीआर 654/एक्सीक्यू-23-1198/19-7/78-79—अतः मुझे, एस० सी० पारीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), कि धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नोंध नं० 100, खांडवाला शेरी, है। तथा जो वाडी फलिया, वार्ड नं० 9 सुरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) नलिनकांत छगनलाल, धीरज भवन, पेडर रोड, बम्बई।
   (2) हंसाबेन, नलिनकांत छगनलाल की पत्नी, धीरज भवन पेडर रोड, बम्बई।
   (3) धनसुखलाल छगनलाल, धीरज भवन पेडर रोड, बम्बई।
   (4) उर्वशी, धनसुख लाल छगनलाल की पत्नी, धीरज भवन, पेडर रोड, बम्बई।
   (5) जितेन्द्र छगनलाल, मिका नगर, खेतवाडी, बम्बई।
   (6) विभुती बेन जितेन्द्र लाल, मिका नगर, खेतवाडी, बम्बई।
   (7) निर्मला बेन छगन लाल, हनुमान निवास, 7वीं गली, खेतवाडी बम्बई।
   (8) अंसुबेन छगनलाल, हनुमान निवास, 7वीं गली, बम्बई। (अन्तरक)
2. श्री अंबालाल भूलजीभाई शाह, वाडी फालिया, खांडवाली शेरी, सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो नोंध नं० 100 खांड वाली शेरी, वाडी फालिया, वार्ड नं० 9 सूरत में स्थित है जिसका कुल माप 310 वर्ग गज है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा अगस्त 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 15-3-1979
मोहर :

प्रारूप भाई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 9 मार्च 1979

नं० पी० आर० 656/एसीक्यू-23-1199/19/7/78-79—अतः मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 1998 और 1999 है। तथा जो हनुमान पोल, सोनी फालिया, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त, 1978

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 69-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अ

1. (1) ताराबेन विठलदास मारफतिया सोनी फालिया, हनुमान पोल सूरत
   (2) चन्द्रकान्त विठलदास मारफतिया,
   (3) प्रफुल सी० मारफतिया
   (4) भारती चन्द्रकान्त मारफतिया, 'चित्रा' वेस्ट एवेन्यु, सांता क्रूज, बम्बई।
   (5) शशीकांत विठलदास मारफतिया,
   (6) माधुरी शशीकांत मारफतिया,
   (7) विठल शशीकांत मारफतिया, रतनाबाद, सलाटर रोड, बम्बई (अन्तरक)
2. (1) गोपालदास कमनदास बोडीवाला
   (2) अमृतलाल गोपालदास बोडीवाला,
   (3) ठाकोरदास गोपालदास बोडीवाला
   (4) अरविंद लाल गोपालदास बोडीवाला,
   (5) पूर्वीनचन्द्र, गोपालदास बोडीवाला
   (6) चंदीबेन गोपालदास बोडीवाला,
   (7) ताराबेन अमृतलाल बोडीवाला
   (8) मंजूलाबेन अमृतलाल बोडीवाला
   (9) मीनाक्षीबेन पूर्वीणचन्द्र, बोडीवाला सोनी फालिया हनुमान पोल, सुरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो नोंध नं० 1998 और 1999, हनुमान पोल, सोनी फालिया, सूरत में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा अगस्त 1978 में रजिस्टर किया गया है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 9-3-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 मार्च 1979

नं० एसी क्यू० 23-I-2002(792)/16-6/78-79—अत: मुझे एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सं० नं० 476 पैकी प्लाट नं० 4-ए और 4-बी० है। तथा जो रेस कोर्स के पीछे राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 14-8-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 डा० हर्षदभाई रमीकलाल शाह, गोन्डल रोड, राजकोट। (अन्तरक)

2 मजुलाबेन गोकलदास थाडिया मेहुलनगर, राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में तथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जो सं० नं० 476 पैकी प्लाट नं० 4ए और 4बी रेस कोर्स के पीछे, आशा सोसायटी के उत्तर में राजकोट में स्थित है जिसका कुल माप 776-8-0 वर्ग गज है। जैसा कि 14-8-1978 को रजिस्टर किये गये बिक्री दस्तावेज में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख 12-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 16 मार्च 1979

नं० एसीक्यू 23-I-1796(793)/18-5/78-79—अत: मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सीम सर्वे नं० 1722 है। तथा जो एम० पी० शाह आर्ट्स एण्ड सायन्स कालेज के सामने, सुरेन्द्रनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वढ़वाण में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1978 में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 संघवी प्राइवेट्स, सुरेन्द्रनगर भागीदार श्री हीमतलाल बचुभाई संघवी के मारफत कुकडा प्रेस, सुरेन्द्रनगर। (अन्तरक)

2 एसर्मन इंजीनियरिंग एन्टरप्राईस, भागीदार श्री खजीभाई आपाद जी भाई पटेल के मारफत रेलवे गेट स्टेशन के पास सुरेन्द्रनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका सीम सर्वे नं० 1722 है तथा क्षेत्रफल 1112 वर्ग गज है, जो मेन रोड, एम० पी० शाह आर्ट्स एन्ड सायन्स कोलेज के सामने सुरेन्द्रनगर में स्थित है तथा जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वढ़वाण द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 1943 अगस्त, 1978 में रजिस्टर्ड किया गया है तथा मिलकत का पूर्ण वर्णन दस्तावेज में दिया गया है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 16-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० ए० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 21 मार्च, 1979

एसीक्यू 23-I-1814(794)/11-4/78-79—अतः मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 1990 है । तथा जो खोजडी चौक, भोजेश्वर प्लाट, पोरबंदर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पोरबंदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-8-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती निर्मलाबेन बल्लभदास नरोत्तमदास आनन्दजी बुद्धदेव नटवरलाल, पोरबंदर (अन्तरक)
2. श्री रमणीकलाल जीवन लाल गज्जर भद्रकाली रोड़, गज्जर एन्जीनियरिंग वर्क्स पोरबंदर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 379-3-9 वर्ग गज है जिसका सर्वे नं० 1990 है जो वार्ड नं० 3 में खीसडी चौक, भोजेश्वर प्लाट पोरबंदर में स्थित है तथा ता० 19-8-1978 को रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज नं० 2889 में जिसका पूर्ण वर्णन दिया गया है ।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I अहमदाबाद

तारीख: 21-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 9 जनवरी 1979

निर्देश सं॰ III–298/अर्जन/78–79—अतः मुझे, ज्योतिन्द्र नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269–ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपए से अधिक है और जिसकी सं॰ खाता नं॰ 248, खसरा नं॰ 156, 157, 158 (पुराना) और खाता नं॰ 209 (नया) वार्ड नं॰ 32 है, तथा जो महल्ला मिथनपुर लाला, जिला मुजफ्फरपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुजफ्फरनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23–7–78 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269–ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269–घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री किशन तिवारी, वल्द श्री गुलाम तिवारी, साकिन मिथनपुर लाला, जिला मुजफ्फरपुर। (अन्तरक)

2. श्री प्रमोद कुमार, आनन्द कुमार, विनोद कुमार एवं सुबोध कुमार (नाबालिग) वल्द श्री राम श्रेष्ठ सिंह क्लब रोड़ मिथनपुर लाला, जिला मुजफ्फरपुर। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20–क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का रकबा 6 कट्टा है, जिसका खाता नं॰ 248, खसरा नं॰ 156, 157, 158 (पुराना) एवं खाता नं॰ 87, खेसरा नं 209 (नया), जो वार्ड नं॰ 32, मुजफ्फरपुर में स्थित है जिसका विवरण दस्तावेज संख्या 9935 दिनांक 23–7–1978 में पूर्णतया वर्णित है, जो जिला अवर निबंधक मुजफ्फरपुर में निबंधित है।

ज्योतिन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार पटना।

तारीख: 9-1-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 10 जनवरी 1979

निदेश सं० III-209/अर्जन/78-79—अतः मुझे, ज्योतिन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० हो० ल० 37, वार्ड नं० 5, सर्किल नं० 2, खाता नं० 559 एवं प्लाट नं० 1394 है, तथा जो सा० मेहदीचक, भागलपुर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भागलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-7-1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

श्रीमती मीरा देवी, जौजे श्री अजय कुमार सिंहा वकील, महल्ला—मशकचक, थाना—कोतवाली, जिला—भागलपुर।

(अन्तरक)

2. श्री राजबल्लभ नारायण सिंहा वल्द श्री राम सुन्दर सिंह साकिन/पत्रालय—रामपुर, जिला भागलपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का रकबा 6188 वर्गफीट है, जिसका होल्डिंग नं० 17, वार्ड नं० 5, सर्किल नं० 2, खाता नं० 559 एवं प्लाट नं० 394 है, जो महदीचक, जिला भागलपुर में स्थित है, जिसका विवरण दस्तावेज संख्या 7910, दिनांक 25-7-78 में पूर्ण तथा वर्णित है, जिसका निबंधक जिला अवर निबंधक भागलपुर में हुआ है।

ज्योतिन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज परिक्षेत्र, बिहार पटना

तारीख : 10-1-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 12 फरवरी 1979

निदेश सं० III-306/अर्जन/78-79—अत: मुझे, जे० नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० तौजी नं० 8/1 प्लाट नं० 310, 311, और 316 है, तथा जो होल्डिंग नं० 7, पुराना नं० 16, फोरबिसगंज, म्यूनिसिपल्टी, फोरबिसगंज, जिला पुर्णियां में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 27-7-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन, कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती गिनिया देवी पति श्याम सुन्दर दास साह 55, लेन्स डौन रोड़, कलकत्ता (अन्तरक)

(i) इन्दु देवी मसकरा, पति राजेन्द्र कुमार मसकरा (ii) निर्मला देवी मसकरा, पति दिलीप कुमार मसकरा, (iii) सावित्री देवी मसकरा, पति जगदीश प्रसाद मसकरा, (iv) सिमा देवी मसकरा पति ज्योति प्रकाश मसकरा, पता-9, जगमोहन मलिक लेन, कलकत्ता (v) सरोज देवी मसकरा, (vi) शारदा देवी मसकरा पति विजय कुमार मसकरा पता बेगुसराय, बिहार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरारी जमीन जिसका रकबा 7 बिघहा 7 कट्ठा और 15 धुर जिसमें गद्दीधर, गोदाम और मकान सहित जिसका तौजी नं० 8/1, प्लाट नं० 310, 311, और 316 म्यूनिसिपल होल्डिंग नं० 7 पुराना नं० 16 जो फोरबिसगंज, जिला पूर्णिया तथा फोरबिसगंज म्यूनिसिपल्टी के अंतर्गत है, जो पूर्ण रूप से दस्तावेज संख्या I-3614, दिनांक 21-7-1978 में वर्णित है और जो जिला अवर निबंधक पदाधिकारी कलकत्ता के द्वारा पंजीकृत है।

ज्योतिन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 12-2-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 8 मार्च 1979

निदेश सं० III–305/अर्जन/78–79—अतः मुझे, जे० नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० तौजी नं० 8/1 ए प्लाट नं० 310, 311, और 316 होल्डीगंज–7 है तथा जो पुराना नं 176 फोरबिसगंज, म्यूनिसिपल्टी, फोरबिसगंज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21–7–1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती गिनीया देवी पति श्री श्याम सुन्दर साह, 55–लैन्स डौन रोड, कलकत्ता। (अन्तरक)

2. श्री राज विजय सिंह डुंगर पिता स्व० असकरण डुंगर, निवासी फोरबिसगंज, जिला पूर्णिया। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरारी जमीन जिसका रकबा 17 कट्टा 14 धुर गेंही घर, गोदाम और मकान सहित जिसका तौजी नं० 8/1, प्लाट नं० 310, 311 और 316 होल्डीगंज–7 पुराना नं० 16 जो फोरबिसगंज, जिला, पूर्णिया तथा फोरबिसगज म्यूनिसिपल्टी के अंतर्गत है जो पूर्णरूप से दस्तावेज संख्या 1–3619 दिनाक 21–7–1978 में वर्णित है और जो जिला अवर निबंधक पदाधिकारी कलकत्ता के द्वारा पंजीकृत है।

ज्योतिन्द्र नाथ
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 12–2–1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना,

पटना, दिनांक 28 फरवरी 1979

निदेश स० 111-312/अर्जन/78-79—अतः मुझे, ज्योतिन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी स० थाना नम्बर 137, होल्डिंग नम्बर 175 (पुराना) है, तथा जो 240 (नया) वार्ड नम्बर 10 (पुराना) नम्बर 2 (नया) सर्किल नम्बर 9, सीट नम्बर 32, प्लाट न० 727, 728, 729 महल्ला मुहर्रमपुर, पटना मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-7-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण मे हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1 श्री फनीन्द्र प्रसाद वल्द श्री महेश्वर प्रसाद सिन्हा साकिन स्टेशन रोड, पटना वर्तमान काँके रोड, राची। (अन्तरक)

2 श्री अर्जुन प्रसाद वल्द श्री राम किशुन प्रसाद निवासी उत्तरी मन्दरी, पटना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरारी जमीन का रकबा 2 कट्टा 6 धूर 11 धुरकी जिसका थाना नम्बर 137 होल्डिंग नम्बर 175 (पुराना) 240 (नया), वार्ड नम्बर 10 (पुराना) नम्बर 2 (नया) सर्किल नम्बर 9 सीट नम्बर 32 प्लाट न० 727, 728 और 729 और जो मुहर्रमपुर महल्ला थाना कोतवाली पटना मे स्थित है और जो पूर्ण रूप से दस्तावेज स० 4784 दिनांक 21-7-1978 मे वर्णित है, और जो जिला अवर निबन्धन पदाधिकारी पटना के द्वारा पजीकृत है।

ज्योतिन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 28-2-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

मद्रास, दिनांक 28 फरवरी 1979

निदेश सं० 111-307/अर्जन/78-79--यत: मुझ, ज्योतिन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एक भाग होल्डिंग नं० 172 तथा सर्किल नम्बर 9, वार्ड नं० 2 एम० एस० प्लाट नं० 857 है, तथा जो ऐक्जिबीशन रोड़, पटना में स्थित है (और इससे उपाबन्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-7-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: —

1. श्री अभय नाथ बैनर्जी पुत्र स्व० नरेन्द्र नाथ बैनर्जी फ्रेजर रोड़, पटना। (अन्तरक)

2. सर्वश्री उमाकान्त साहू, राधा कांत प्रसाद साहू, रमाकांत प्रसाद साहू, लक्ष्मी कांत प्रसाद साहू, रत्ना कांत प्रसाद साहू, कमल कांत प्रसाद साहू सभी पुत्र श्री कृष्णा मोहन प्रसाद साहू, साहू रोड़, मुजफ्फरपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पुरानी आसामी किरायादार खाली स्थान तथा खपडपोस मकान वृक्ष सहित जिसका रकबा एक कट्टा साढ़े दस धूर जिसका अंश होलिंग नंबर 172 नया, सर्किल नम्बर 9, वार्ड नम्बर 2 एम० एस० प्लाट नम्बर 857 जो ऐक्जीबीशन रोड, जिला पटना के अन्तर्गत है जो पूर्णरूप से दस्तावेज संख्या 4610 दिनांक 13-7-78 में वर्णित है तथा जिला अवर निबन्धन पदाधिकारी पटना के द्वारा पंजीकृत है।

ज्योतिन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख: 28-2-1979
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिपार, पटना,

पटना, दिनांक 28 फरवरी 1979

निदेश सं० III-308/अर्जन/78-79—यत. मुझे, ज्योतिन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एक भाग होल्डिंग नम्बर 172 (नया) सर्किल नम्बर 9, वार्ड नम्बर 2, एम० एस० प्लाट नं० 857 है, तथा जो एक्जिबीशन रोड़, पटना में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 13-7-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती अनिमा बैनर्जी, विधवा स्व० श्री अमर नाथ बनर्जी अपने अभिभावक उसके नाबालिग पुत्र, नाम अम्बरन्थ बनर्जी, अरूप नाथ बनर्जी, अप्रभुन्थ बनर्जी और नाबालिग पुत्री नाम चन्द्र राय बनर्जी, फ्रेजर रोड़, पटना। (अन्तरक)

2. श्री उमाकांत प्रसाद साहू, रमाकांत प्रसाद साहू, राधा कांत प्रसाद साहू, लक्ष्मी कांत प्रसाद साहू, रत्नाकांत प्रसाद साहू, कमल कांत प्रसाद साहू सभी पुत्र श्री कृष्ण मोहन प्रसाद साहू, साहू रोड़, मुजफ्फरपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पुरानी आसामी किरायादार खाली स्थान तथा खपड़पोस मकान वृक्ष सहित जिसका रकबा एक कट्ठा साढ़े दस धूर जिसका अंश होल्डिंग नम्बर 172 (नया) सर्कील नम्बर 9, वार्ड नम्बर 2, एम० एस० प्लौट नम्बर 857 जो एकजीविशन रोड पटना के अन्तर्गत है, जो पूर्ण रूप से दस्तावेज संख्या 4611 दिनांक 13-7-78 में वर्णित है तथा जिला अवर निबन्धन पदाधिकारी पटना के द्वारा पंजिकृत है।

ज्योतिन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार पटना

तारीख : 28-2-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना दिनांक 28 फरवरी 1979

निर्देश सं० III309/अर्जन/78-79—यतः मुझे ज्योतीन्द्र नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० होल्डिंग नम्बर 172, एस० एस० प्लाट नम्बर 857, सर्किल नम्बर 9, वार्ड नम्बर 2 है, तथा जो एक्जिबीशन रोड, पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-7-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अशोक नाथ बनर्जी पुत्र श्री स्व० नरेन्द्र नाथ बनर्जी, फ्रेजर रोड़, पटना (अन्तरक)।

2. श्री उमाकांत प्रसाद साहू, राधा कांत प्रसाद साहू रमाकांत प्रसाद साहू, लक्ष्मी कांत प्रसाद साहू, रत्न कांत प्रसाद साहू, कमल कांत प्रसाद साहू, सभी पुत्र श्री कृष्णा मोहन साहू, साहू रोड़, मुजफ्फरपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पुरानी आमामी किराया खाली स्थान तथा खपडपोस मकान वृक्ष सहित जिसका रकबा एक कट्टा साढे दस धूर तथा अंश होल्डिंग नम्बर 172 एम० एस० प्लाट नम्बर 857 सर्किल नम्बर 9, वार्ड नम्बर 2 जो ऐक्जिबीशन रोड़, पटना के अन्तर्गत है जो पूर्णरूप से दस्तावेज संख्या 4612 दिनांक 13-7-1978 में वर्णित है तथा जिला अवर निबंधन पदाधिकारी पटना के द्वारा पंजीकृत है।

ज्योतिन्द्र नाथ,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार पटना।

तारीख : 28-2-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र पटना

पटना, दिनांक 28 फरवरी, 1979

निदेश सं० 111-310/अर्जन/78-79—यतः मुझे, ज्योतिन्द्र नाथ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एक भाग होल्डिंग नम्बर 173, (नया) सर्किल नम्बर 9, वार्ड नम्बर 2 (एम० एस० प्लाट नम्बर 857 है, तथा जो एक्जिबीशन रोड़, पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-7-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम य धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अम्बूज नाथ बनर्जी पुत्र स्व० नरेन्द्र नाथ बनर्जी फेजर रोड़, पटना। (अन्तरक)

2. श्री उमाकांत प्रसाद साहू, राधा कान्त प्रसाद साहू, रमा कांत प्रसाद साहू, लक्ष्मी कांत प्रसाद साहू, रत्ना कांत प्रसाद साहू, कमल कांत प्रसाद साहू सभी पुत्र श्री कृष्णा मोदेन प्रसाद साहू, साहू रोड़, मुजफ्फरपुर। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पुरानी आमामी किरायादार, खाली स्थान तथा खपड़ापोस मकान वृक्ष सहित, जिसका रकबा एक कठ साढ़े दस धूर तथा अंश होल्डिंग नम्बर 172, तथा सर्किल नम्बर 9, वार्ड नम्बर 2, एम० एस० प्लौट नंबर 857 जो एक्जबीशन रोड़, पटना के अंतर्गत है, जो पूरी रूप से दस्तावेज संख्या 4613 दिनांक 13-7-78 में वर्णित है तथा अवर जिला निबन्धन पदाधिकारी पटना के द्वारा पंजीकृत है।

ज्योतीन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र पटना

तारीख: 28-2-1979
मोहर:

प्ररूप भाई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 28 फरवरी, 1979

निदेश सं० 111–311/अर्जन/78–79—यत: मुझे, ज्योतिन्द्र नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० होल्डींग नम्बर 172 नया, सर्किल नम्बर 9, वार्ड नम्बर 2, एम० एस० प्लाट नं० 857 है, तथा जो एकजीबीशन रोड, में स्थित है (और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13–7–1978 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अजय नाथ बनर्जी पुत्र स्व० नरेन्द्र नाथ बनर्जी, फ्रेजर रोड, पटना। (अन्तरक)

2. सर्वश्री उमाकान्त प्रसाद साहू, राधाकान्त प्रसाद साहू, रमाकांत प्रसाद साहू, लक्ष्मी कांत प्रसाद साहू, पटना कांत प्रसाद साहू, कमल कांत प्रसाद साहू, सभी पुत्र श्री कृष्णा मोहन प्रसाद साहू, साहू रोड, मुजफ्फरपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पुरानी आसामी किराएदार, खाली स्थान तथा खपडपोस मकान वृक्ष सहित जिसका रकवा एक कट्टा साढे दस धूर तथा अंश होल्डींग नम्बर 172 तथा नया सर्किल नम्बर 9, वार्ड नम्बर 2, एम० एस० प्लैट नम्बर 857 जो एक एकजिबीशन रोड, पटना के अन्तर्गत है जो पूर्ण रूप से दस्तावेज संख्या 4614 दिनांक 13–7–78 में वर्णित है, तथा जिला अवर निबन्धन पदाधिकारी पटना के द्वारा पंजीकृत है।

ज्योतिन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

तारीख: 28–2–1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कानपुर

कानपुर, दिनांक 16 मार्च, 1979

निदेश सं० 79/अलीगढ़/78-79—यत. मुझे, भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अलीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-8-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शंकर झा पुत्र श्री पन्नालाल झा, निवासी मैरिस रोड, अलीगढ़। (अन्तरक)

2. श्री घनश्याम दास माहेश्वरी पुत्र श्री मूलचन्द माहेश्वरी पुरानी कोतवाली, जैगंज रोड, अलीगढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिली दुकान नम्बर 13/54 स्थित बाजार कलां (सर्राफा) अलीगढ़ 40000/- मे बेची गयी जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 60000/- है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
कानपुर

तारीख : 16-3-1979
मोहर :

11—36GI/79

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर दिनांक 17 मार्च 1979

निदेश सं० 233/एक्वी०/इटावा/78-79—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इटावा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 क 16) के अधीन, तारीख 21-8-1978

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. डा० अफताब अहमद शाह पुत्र मौलवी गुलाम जमरिया शाह मरहूम साकिन मो० कटरा शमशेर खाँ बहैसियत मुख्तारआम मुसम्मात हुसैन व अन्य (अन्तरक)।

2. श्रीमती रईस फातमा उर्फ शहजाद जहाँ जौजा मो० अनवर हुसैन राहत अनील इशरत अनवार पुत्र मो० अनवार हुसैन व कनीज मोहसिन जौजा मो० मोहसिन मरहूम साकिनान इटावा मोहल्ला मैंदवाड़ा। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 9 का खण्डहर न० 8 मोहल्ला सराय शेख, इटावा 32000/- में बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 50000/- है।

भ० च० चतुर्वेदी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख: 17-3-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कानपुर

कानपुर, दिनांक 17 मार्च 1979

निदेश सं० 466/अर्जन /आगरा/78-79—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आगरा मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-8-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती चन्दा बाई बेवा देवदास व अन्य निवासी 17/30 टीलामाई थान घटिया आजम खां शहर, आगरा (अन्तरक)

2. श्रीमती शीला देवी जैन स्त्री परम चन्द जैन व श्रीमती रतन देवी जैन स्त्री पुरुष चन्द्र जैन निवासी कचहरी घाट, आगरा। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान एक मंजिला नं० 17/30 टीला माई थान घटिया आजम खां हरी पर्वत वार्ड आगरा 66000/ में बेची गयी जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 103600/- आंका गया है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 17-3-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० ए ०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 19 मार्च, 1979

निदेश सं० 555/अर्जन/कानपुर/78-79—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,
और जिसकी सं० है तथा जो
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रान नाथ कपूर, पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद, कानपुर। (अन्तरक)।

2. श्री राम रक्ता कर्ता एच० यू० एफ० राज खत्तर कमल किशोर अरोड़ा, श्रीमती शशी 492/292 बी० पार्ट स्वरूप नगर, कानपुर। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

संपत्ति मकान नं० 112/292 बी० पार्ट स्वरूप नगर, कानपुर 200000/ में बेची गयी जिसका कि मूल्यांकन 250000/- किया गया है।

भ० च० चतुर्वेदी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 19-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 19 मार्च, 1979

निदेश सं० 552/अर्जन/कानपुर/7879—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1978

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर इस के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती इन्द्रा गुप्ता, विभू गुप्ता व अन्य पुत्री श्री शिवपाल नवाब नगर, लखनऊ। (अन्तरक)

2. श्री जमुना प्रसाद अग्रवाल व अन्य पुत्रान श्याम सुन्दर अग्रवाल 112/212 स्वरूप नगर, कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 117/128 सर्वोदय नगर कानपुर 220000/- में बेची गई जिसका कि उचित बाजारी मूल्य 343,750/- आंका गया है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 19-3-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 21 मार्च 1979

निदेश सं० 440/अर्जन/जालौन/78-79—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालौन में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-8-78

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री राजनारायण पुत्र श्री मातादीन निवासी पोस्ट नावर प्रगना व जिला जालौन (अन्तरक)

2. श्रीमती जमेली शुक्ला स्त्री अंजनी कुमार शुक्ला निवासी व डा० जावर परगना व जिला जालौन। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है वही अर्थ होगा गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि 6.52 एकड़ स्थित मौजा नावर परगना व जिला जालौन 30,000/- में बेची गई जिसका अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 55500/- है ।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 27-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

कानपुर, दिनांक 21 मार्च, 1979

निदेश सं० 109/कानपुर/78-79—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

1. श्री रघुवीर सिंह पुत्र सरदार कुन्दन सिंह क्वार्टर नं० 98 ब्लाक ए० एल० आई० जी० म्यूनि० ने 133/27/98 किदवई नगर, कानपुर। (अन्तरक)

2. सरदार अमरजीत सिंह पुत्र ब्रजमोहन सिंह भाटिया एल० आई० जी० 133/27/98 किदवई नगर, कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 133/27/98 किदवई नगर, कानपुर 42000/- में बेची गई जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 60000/- है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 21-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 21 मार्च, 1979

निदेश सं० 819/अर्जन/फर्रूखाबाद/78–79—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है
और जिसकी सं० है तथा जो
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फर्रूखाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4–8–1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कैलाश नारायन पुत्र महाराज शिव नारायन निवासी मुहल्ला लोहाई पश्चिम फर्रूखाबाद। (अन्तरक)।

2. श्री शैलेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह, रामेन्द्र सिंह पुत्रान छविनाथ सिंह व विजायत सिंह पिता खुद निवासी नगला हरसिंह पुर मौजा गुडगांव परगना मोहम्मदाबाद पो० कमियाना, जिला फर्रूखाबाद। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 6.82 डि० स्थित मौजा निमाई परगना मोहम्मदाबाद जिला फर्रूखाबाद 16000/- में बेची गई, जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 82000/- है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 21–3–1979
मोहर :

प्रारूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

कानपुर, दिनांक 21 मार्च, 1979

निदेश सं॰ 110/कानपुर/78-79—अतः मुझे, भ॰ च॰ चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं॰ है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-8-1979

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री दानियाल रुस्तअली खां नल कुवर इस्माइल खां साकिन कोठी दारुस्लाम अमीर निशा सिविल लाइन शहर कोल जिला अलीगढ़, व अन्य (अन्तरक)।

2 श्री आशिक अली वल्द हाजी मरार बराक व मो॰ फाराग वल्द निजामुद्दीन 101/94 तलाक मोहाल कायस्थाना रोड़, कानपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं॰ 97/120 तलाक मोहाल अब्दुल गनी रोड कानपुर 45000/- में बेचा गया जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 57200/- है।

भ॰ च॰ चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 21-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 23 मार्च, 1979

निदेश सं० 677-ए—अतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-8-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बी० डी० मिश्रा पुत्र पं० बैजनाथ मिश्रा, 120/184 नारायनपुरवा लाजपतनगर, कानपुर। (अन्तरक)।

2. श्री कैलाशचन्द्र देवेन्द्र कुमार, अशोक कुमार, रमेश चन्द्र पुत्रगण श्री राम दास निवासी 122/69 सरोजनी नगर, कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 120/184 लाजपतनगर कानपुर में 70,000/- रुपया का बेचा गया जिसका उचित बाजारी मूल्य 1,03,869/- रुपये आंका गया है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 23-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 26 मार्च 1979

निर्देश सं० 222/अर्जन/राठ०/78-79—यतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राठ (हमीरपुर) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-9-78
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों), के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती सरोजनी बेवा श्री प्रागी लाल निवासी विहुवी परगना मुस्करा तह० मौरहा जिला हमीरपुर व अन्य (अन्तरक)

2. सर्वश्री मोहर सिंह, करन सिंह, राम कुमार, बाल मुकुन्द, रामलखन पुत्रान सरदोई परगना व तहसील राठ जिला हमीरपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 8.74 एकड़ स्थित नौरंगा तहसील राठ जिला हमीरपुर 16000/- में बेची गई जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 87400/- है।

भ० च० चतुर्वेदी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 26-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

कानपुर, दिनांक 26 मार्च, 1979

निदेश सं० 565/अर्जन/छिबरामऊ/78-79—अत: मुझे, भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० है, तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, छिबरामऊ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-9-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री योगेश चन्द्र व राजेश चन्द्र पुत्राण रामनरायन निवासी लछवाई पो० हिवरा परगना तहसील व जिला, इटावा। (अन्तरक)

2. श्री मुनीम, रामेश्वर, शांति स्वरूप रामबाबू पुत्राण हजारीलाल वर्तमान निवासी ऊंचा पोस्ट खास परगना व तहसील छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि सम्पत्ति 7.73 एकड़ का 1/2 भाग स्थित मौजा ऊंचा तहसील छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद 29000/ में बेची गई जिसका कि उचित बाजारी मूल्य 62020/ आंका गया है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 26-3-1979
मोहर.

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

कानपुर, दिनांक 26 मार्च, 1979

निदेश सं० 524/अर्जन/फिरोजाबाद/78-79—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिरोजाबाद मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-9-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों के अर्थात्:—

1. श्रीमती अम्बा देवी लाला बसन्त लाल व राजा बिहारी पुत्र लाला बसन्त लाल व अन्य निवासीगन जलेसर रोड, कस्बा फिरोजाबाद जिला आगरा। (अन्तरक)।

2. श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र लाला श्रीपत लाल व भोज कुमार पुत्र सुरेश चद निवासी हनुमानगंज कस्बा फिरोजाबाद जिला आगरा व अन्य। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति जमीन 22292 वर्ग फुट मोहल्ला नई बस्ती फिरोजाबाद 90000/- में बेची गयी जिसका कि उचित बाजारी मूल्य 375000/ब आंका गया है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख . 26-3-1979
मोहर .

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 26 मार्च 1979

निदेश सं० 566/अर्जन/छिबरामऊ/78–79—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी स० है तथा जो मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, छिबरामऊ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19–9–1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती श्यामप्यारी बवा जागेश्वर प्रसाद निवासी नगला दुर्गा मौजा कपो० मिधौली परगना व तह० छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद। (अन्तरक)

2. श्रीमती कटोरी देवी विधवा मातादीन निवासी मिधौला मौजा व पो० मिधौली परगना व तह० छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि सम्पत्ति 3.46 स्थित मौजामिधौली परगना छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद 36000- में बेची गयी है जिसका कि उचित बाजारी मूल्य 55360/- है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 26–3–1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

कानपुर, दिनांक 26 मार्च, 1979

निदेश सं० 583/अर्जन/कनौज/78-79—अत: मुझे, भ० च० चतुर्वेदी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कनौज में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 20-9-1978
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय, आयकर अधिनियम, 1922 (1922 की 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री गिरवर सहाय पुत्र सीताराम निवासी मानीकऊ परगना व तह० कन्नौज जिला फर्रुखाबाद। (अन्तरक)

2. श्री अजीत कुमार, प्रमोद कुमार, सतीश कुमार पुत्रगण मिठ्ठन लाल व अन्य निवासीगण नरायन पुरवा मौजा ऊदलपुर परगना कनौज जिला फर्रुखाबाद। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि सम्पत्ति 5.23 एकड़ स्थित मौजा मानीकऊ परगना कन्नौज जिला फर्रुखाबाद 80000/- में बेची गई है जिसका कि उचित बाजारी मूल्य 115000/- है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 26-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 28 मार्च, 1979

निदेश सं० 616-ए—अतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख, 8-8-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जैचन्द तथा श्री जै किशन निवासी 235 नई बस्ती, पुरानी मुन्सफी, गाजियाबाद। (अन्तरक)।

2. श्री ब्रह्मा नन्द पुत्र लक्खी राम द्वारा मैसर्स लक्खी राम ब्रह्मा नन्द ,क्लाथ मर्चेन्ट, जवाहर गेट, गाजियाबाद। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

संपत्ति नम्बर 249 तथा 249-ए जवाहर गेट गाजियाबाद में 55,000/- रुपये की बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 1,02,000/- रुपये आंका गया है ।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 28-3-1979
मोह

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 29 मार्च, 1979

निदेश सं० 242-ए०/पी०एन०—अतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-8-1978

में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) से अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गिरधारी लाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ जी निवासी कस्बा हापुड़ मोहल्ला खिड़की बाजार जिला, गाजियाबाद। (अन्तरक)।

2. श्री सरफराज खां व उसमान खां व विजवान खां पुत्र मो० मोहम्मद इस्माइल निवासीगण ग्राम असोडा परगना व तह० हापुड़ पोस्ट खास जिला गाजियाबाद। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि ग्राम धीरखेड़ा जिला मेरठ में 1,65,000/- रुपये की बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 2,40,000/- आंका गया है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 29-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,

कानपुर, दिनांक 30 मार्च, 1979

निदेश सं० 236-ए/पी० एन०—अतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० है, तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-8-1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब; उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री अनिल कुमार उर्फ अनिल सिंह व श्री अजय कुमार उर्फ अजय सिंह पुत्रगण श्री कृपाल सिंह निवासीगण मोहल्ला मोहनपुरी शहर मेरठ द्वारा श्री कृपाल सिंह पिता चौ० घनश्याम सिंह मुख्तयार पिता स्वयं (अन्तरक)

2. श्री जगवीर सिंह खोकर पुत्र श्री मुल्तन सिंह साकिन मौजा बदरवा डा० छपरौली तह० बागपत जिला मेरठ। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक गृह सम्पत्ति स्थित मोहल्ला मोहनपुरी शहर मेरठ में 10,000/- रुपये की बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 1,33,275/- रुपये आंकी गई है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 30-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 29 मार्च, 1979

निदेश सं० 658—ए—अतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, घाटमपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-8-1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्,—

1. श्री शिवकरन व गोपरन व जय करन पुत्र श्री राम नाथ मिश्रा निवासीगण ओरिया पो० व तह० घाटमपुर जिला कानपुर। (अन्तरक)

2. श्री भगवान दीन पुत्र श्री कामला व शिव नारायन सिंह व देवी सिंह निवासी दनदर्श पो० व तह० छाटमपुर, जिला कानपुर। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि स्थित गुनयूपुर तह० घाटमपुर स्थित में रकबा 2211/1 44,600/- रुपये में बची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 74,500/- रुपये आंका गया है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 29-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 29 मार्च, 1979

निदेश सं० 828—ए,—यतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है**

और जिसकी सं० है तथा जो मे स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप म वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बुध ना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17—8—1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) **अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) **ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जोडीलाल पुत्र सरूपा नि० कांधला परगना खास तहसील बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर। (अन्तरक)।

2. श्री पाल जैन पुत्र जियालाल जिन्दा पुत्र मोहम्मद यासीन निवासी गढ़ी दौलत परगना खास बनाम तहसील बुढाना जिला मुजफ्फरनगर। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;**

(ख) **इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि स्थित ग्राम कांधला में 38,000/- रुपये की बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 70,000/- रुपये आंका गया है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 29—3—1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 अप्रैल, 1979

निदेश सं० 262-ए-—अतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० है तथा जो मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बुढ़ाना मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-8-1978 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व म कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री आनन्द प्रकाश पुत्र ब्रह्म सिंह त्यागी नि० दिनमरपुर परगना शिकारपुर, तहसील बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर। (अन्तरक)

2. श्री हरीकिशन व हरपाल सिंह व रिशीपाल सिंह व कृष्णपाल सिंह पुत्रगण हिरदेराम व भूपेन्द्र पुत्र ब्रह्मसिंह संरक्षक हिरदेराम पुत्र राजसिंह व निरजन सिंह पुत्र मंगल सिंह नि० रसूलपुर जाटान परगना शिकारपुर तहसील बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि स्थित ग्राम दिनमरपुर परगना शिकारपुर मे 38,000/- रुपये की बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 68,000/- रुपये आंका गया है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 4-4-1079
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कानपुर

कानपुर, दिनांक 3 अप्रैल 1979

निदेश सं० 244—ए—अतः मुझे भरत चन्द्र चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है ।

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सरधना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 9—8—1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह व विरेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मन सिंह द्वारा श्रीमती महेन्द्र पाल कुमारी विधवा लक्ष्मण सिंह माता व मुख्त्यार खास विरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम तामनोली परगना बरनावी सील करधना जिला मेरठ। (अन्तरक)

2. श्री कटार सिंह व विक्रम सिंह पुत्र अमन सिंह व महेन्द्र सिंह व रनवीर सिंह पुत्र अमेराम निवासी ग्राम किरकली परगना बरनावा तहसील सरधना जिला मेरठ । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि ग्राम सिरकली में 39,000/- रुपये की बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 57,000/- रुपया आंकी गई है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 3—4—1979
मोहर:

प्ररूप आई०टी०एन०एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 3 अप्रैल, 1979

निदेश सं० 250-ए—अतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सरधना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-8-1978

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री तारीफ पुत्र करम सिंह नि० ग्राम दुल्हेडा चौहान परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ। (अन्तरक)।

2. श्री ओंकार सिंह, राजकुमार व विनोद कुमार, पुत्रगण रघुवर दयाल निवासीगण ग्राम दुल्हेडा चौहान परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि ग्राम दुल्हेडा चौहान परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ में 36,450/- रुपये में बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 56,000/- रुपये में बेची गई।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 3-4-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ कार्यालय

लखनऊ, दिनांक 30 मार्च 1979

निर्देश सं० एस०-172/अर्जन—यत, मुझे, अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 53 है, तथा जो शाहगन्ज इलाहाबाद में है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21 अगस्त 1978

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सुधीर टण्डन व अन्य

(अन्तरक)

2. श्री सुधीर कुमार केसवानी व अन्य

(अन्तरिती)

3. श्री सुधीर टण्डन (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(अन्तरिती)

3. श्री सुधीर टण्डन (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री सुधीर टण्डन (वह व्यक्ति, जिसके बारे में हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में सितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दो मंजिला मकान नं० 53, शाहगंज इलाहाबाद व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो फार्म 37 जी संख्या 3758/78 तथा सेलडीड में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद के कार्यालयमें दिनांक 21-8-78 को पंजीकृत हैं ।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 30-3-1979
मोहर :

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

सहायक इंजीनियर (के० लो० नि० वि०) के ग्रेड में पदोन्नति हेतु समिति विभागीय प्रतियोगिता प्रतीक्षा (1979)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल, 1979

सं० एफ० 25/1/79-प० I (ख)--भारत के राजपत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1979 में निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों (सिविल वैद्युत्) की सहायक इंजीनियरों के ग्रेड (सिविल वैद्युत्) में पदोन्नति हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 18 सितम्बर, 1979 को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, डिमपुर (गोहाटी), कठमांडू, मद्रास, नागपुर और पोर्ट ब्लेयर में एक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी ।

आयोग यदि चाहे तो परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीख में परिवर्तन कर सकता है । परीक्षा में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों को परीक्षा की समय सारणी तथा स्थान अथवा स्थानों के बारे में सूचित किया जाएगा । (देखिए अनुबंध पैरा 8) ।

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की लगभग संख्या निम्नलिखित है :--

(i) सहायक इंजीनियर (सिविल) 124 (अ० जा० के उम्मीदारों के लिए 19 और अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए 9 आरक्षित रिक्तियां सम्मिलित हैं) ।

(ii) सहायक इंजीनियर (वैद्युत्) 27 (अ० जा० के उम्मीदवारों के लिए 4 और अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए 2 आरक्षित रिक्तियां सम्मिलित हैं) ।

उपर्युक्त संख्याओं में परिवर्तन किया जा सकता है ।

ध्यान दें : उम्मीदवार जिस ग्रेड अर्थात् सहायक इंजीनियर (सिविल) या सहायक इंजीनियर (वैद्युत्) की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, अपने आवेदन पत्रों में उसका स्पष्ट उल्लेख करें ।

3. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदनपत्र पर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को आवेदन करना चाहिए । निर्धारित आवेदन प्रपत्र तथा परीक्षा से संबंध पूर्ण विवरण दो रुपये देकर आयोग से डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं । यह राशि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को मनीआर्डर द्वारा या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली जनरल डाकघर पर देय भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा भेजी जानी चाहिए । मनीआर्डर/पोस्टल आर्डर के स्थान पर चैक या करेंसी नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे । ये आवेदन पत्र आयोग के काउंटर पर नकद भुगतान द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं ।

दो रुपये की यह राशि किसी भी हालत में वापस नहीं की जाएगी ।

नोट : उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र सहायक इंजीनियर (के० लो० नि० वि०) के ग्रेड में पदोन्नति हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (1979) के लिए निर्धारित मुद्रित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें । सहायक इंजीनियर (के० लो० नि० वि०) के ग्रेड में पदोन्नति हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (1979) के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्रों से इतर प्रपत्रों पर प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

4. भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक प्रलेखों के साथ सचिव, संघ लोक सेवा आयोग धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के पास 11 जून, 1979 को या उससे पूर्व (11 जून, 1979 से पहले की तारीख से विदेशों में या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के मामले में 25 जून, 1979 तक) अवश्य पहुंच जाना चाहिए । निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा ।

विदेशों में या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवार से, आयोग यदि चाहे तो, इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि वह 11 जून 1979 से पहले की किसी तारीख से विदेशों में या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में रह रहा था ।

5 परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आयोग को रु० 28 00 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले में रु० 7.00) का शुल्क भेजना होगा जो कि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर या सचिव संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली की स्टेट बैंक आफ इंडिया की मुख्य शाखा पर देय स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा से जारी किए गए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो ।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश स्थित प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय में जमा करना होगा ताकि वह "051 लोक सेवा आयोग--परीक्षा शुल्क" के लेखाशीर्ष में जमा हो जाए, और उन्हें आवेदन पत्र के साथ उसकी रसीद जमा कर भेजनी चाहिए ।

जिन आवेदन-पत्रों में यह अपेक्षा पूरी नहीं होगी उन्हें एक दम अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

6. जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया हो किन्तु उसे आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया हो तो उसे रु० 15.00 (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में रु० 4.00) वापस कर दिए जाएंगे ।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़ कर अन्य किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा का चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा ।

7 आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारी की वापसी के लिए उम्मीदवार के किसी प्रकार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।

आर० एस० आहलुवालिया
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

अनुबन्ध

उम्मीदवारों को अनुदेश

1. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे आवेदन-प्रपत्र भरने से पहले नोटिस और नियमावली को ध्यान से पढ़ कर यह देख लें कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र भी है या नहीं, निर्धारित शर्तों में छूट नहीं दी जा सकती है ।

आवेदन पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के पैरा 1 में दिए गए केन्द्रों में से किसी एक को, जहां वह परीक्षा देने का इच्छुक है, अंतिम रूप से चुन लेना चाहिए । सामान्यतः चुने हुए स्थान में परिवर्तन से सम्बन्ध किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

2. उम्मीदवार को आवेदन प्रपत्र तथा पावती कार्ड अपने हाथ से ही भरने चाहिए । सभी प्रविष्टियां/उत्तर शब्दों में होनी/होने चाहिए

रेखा या बिन्दु आदि के द्वारा नहीं । अधूरा या गलत भरा हुआ आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है ।

उम्मीदवार अपना आवेदन-पत्र अपने विभाग या कार्यालय के प्रधान को प्रस्तुत करें जो आवेदन-पत्र के अन्त में पृष्ठांकन को भर कर उसे आयोग को भेज देंगे ।

3 उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख अवश्य भेजने चाहिए :—

(i) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हुए भारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट (देखिए नोटिस का पैरा 5) ।

(ii) उम्मीदवार के हाल ही के पास पोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटो की दो एक जैसी प्रतियां ।

(iii) जहां लागू हो वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (देखिए नीचे पैरा 4 (iv)) ।

(iv) भरा हुआ उपस्थिति पत्रक (आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न) ।

नोट : उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्रों के साथ उपर्युक्त मद (iii) मे उल्लिखित प्रमाण पत्रों की केवल प्रतियां ही प्रस्तुत करनी है जो सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हों अथवा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सही प्रमाणित हों । लिखित परीक्षा के परिणाम सम्भवतः दिसम्बर, 1979 में घोषित किए जाएंगे । जो उम्मीदवार परीक्षा परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें उपर्युक्त प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा । उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय उक्त प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखना चाहिए । जो उम्मीदवार उस समय अपेक्षित प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जएगी और उनका आगे विचार किए जाने का दावा स्वीकार नहीं होगा ।

4 पैरा 3 की मद (i) से (iii) तक उल्लिखित प्रलेखों के विवरण नीचे दिए गए हैं,

(i) (क) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हुए, भारतीय पोस्टल आर्डर प्रत्येक पोस्टल आर्डर अनिवार्यतः रेखांकित होना चाहिए और उस पर "सचिव, संघ लोक आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाक घर पर देय" लिखना चाहिए ।

किसी अन्य डाकघर पर देय पोस्टल आर्डर किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे । विरूपित या कटे फटे पोस्टल आर्डर भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

सभी पोस्टल आर्डरों पर जारी करने वाले पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट मोहर होनी चाहिए ।

उम्मीदवारो को यह अवश्य नोट कर लेना चाहिए कि जो पोस्टल आर्डर न तो रेखांकित किए गए हों और न ही सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के जनरल डाकघर पर देय हों, उन्हें भेजना सुरक्षित नहीं है ।

(ख) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट :—

बैंक ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया कि किसी शाखा से प्राप्त किया जाए और वह सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बैंक आफ इंडिया की मुख्य शाखा नई दिल्ली में देय हो तथा विधिवत् रेखांकित किया गया हो ।

किसी अन्य बैंक में देय बैंक ड्राफ्ट किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे । विरूपित या कटे फटे बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

(ii) फोटो की दो प्रतियां :—उम्मीदवार को अपने हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटों की दो एक जैसी प्रतियां अवश्य भेजनी चाहिए । इनमें से एक प्रति आवेदन प्रपत्र के पहले पृष्ठ पर और दूसरी प्रति उपस्थिति पत्रक में दिए गए स्थान पर चिपका देनी चाहिए । फोटों की प्रत्येक प्रति पर सामने की ओर उम्मीदवार को स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए ।

(iii) यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हो, जिला अधिकारी या उप मण्डल अधिकारी या निम्नलिखित किसी अन्य ऐसे अधिकारी से जिसे संबद्ध राज्य सरकार ने यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किया हो, नीचे दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र लेकर उनकी एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए । यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आम तौर पर रहता हो ।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और जनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म :—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* —————— सुपुत्र/सुपुत्री*———————————जो गांव/कस्बा* ——————————जिला/मंडल*——————— ———————————राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र ———— ——————————————के/की* निवासी हैं ——— ————————————————————जाति/जन* जाति के/की* हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित* जन जाति के रूप में मान्यता दी गई है ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 ।*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश, 1950 ।*

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 ।*

संविधान (अनुसूचित जन जातिया) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 ।*

(अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां सूच (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित) ।

संविधान (जम्मू और कश्मर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 ।*

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जन जातिया आदेश, 1959 ।

अनुसूचित जातिया तथा अनुसूचित जन जातिया आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976* द्वारा यथा संशोधित) ।

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 ।*

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जातिया आदेश, 1962 ।*

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित आदेश, 1964।*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967।*

संविधान (गोवा, दमन तथा दियु) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968।*

संविधान (गोवा, दमन तथा दिव) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968।*

संविधान (नागालैन्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970।*

2. श्री/श्रीमती/कुमारी* ——————————
और/या*उनका परिवार आमतौर से गांव/कस्बा*——————————
जिला/मण्डल*——————————में राज्य/संघ*
राज्य क्षेत्र——————————में रहते/
रहती* हैं।

हस्ताक्षर ——————
**पदनाम ——————

स्थान——————

(कार्यालय की मोहर सहित)

तारीख ——————

राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र

*जो शब्द लागू न हो उन्हें कृपया काट दें।

नोट :—यहां प्रयुक्त "आम तौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो "रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, 1950" की धारा 20 में है।

**जाति/जन जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी।

(i) जिला मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/कलैक्टर/डिप्टी/कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टीकलैक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट/ताल्लुक मेजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट/एक्सट्रा असिस्टेंट कमिश्नर। (प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मैजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं)।

(ii) चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट/ऐडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट।

(iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस इलाके का सब डिवीजनल अफसर यहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।

(v) ऐडमिनिस्ट्रेटर/ऐडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डेवलपमेंट अफसर लक्षद्वीप।

ध्यान दें :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र के साथ ऊपर पैरा 3(ii) में उल्लिखित प्रलेख संलग्न न होगा और उसे न भेजने का उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया होगा तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है और इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। यदि कोई प्रलेख आवेदन-पत्र के साथ न भेजे गए हों तो उन्हें आवेदन-पत्र भेजने के बाद शीघ्र ही भेज देना चाहिए और वे हर हालत में आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद एक महीने के भीतर आयोग के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

5. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र भरते समय कोई झूठा ब्यौरा न दें अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएं।

उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी प्रलेख अथवा उसकी प्रति की किसी प्रविष्टि को किसी भी स्थिति में न तो ठीक करें न उसमें परिवर्तन करें और न कोई फेरबदल करें और न ही कोई फेरबदल किए गए झूठे प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि ऐसे दो या इससे अधिक प्रलेखों या उनकी प्रतियों में कोई अशुद्धि अथवा विसंगति हो तो विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

6. आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत किए जाने पर देरी के कारण के रूप में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आवेदन-प्रपत्र ही अमक तारीख को भेजा गया था। आवेदन-पत्र का भेजा जाना ही स्वत: इस बात का सूचक न होगा कि आवेदन-प्रपत्र पाने वाला परीक्षा में बैठने का पात्र हो गया है।

7. यदि परीक्षा से संबद्ध आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की आखिरी तारीख से एक महीने के भीतर उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र की पावती न मिले तो उसे पावती प्राप्त करने के लिए आयोग से तत्काल सपर्क करना चाहिए।

8. इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन-पत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी। किन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि परिणाम कब सूचित किया जाएगा। यदि परीक्षा के शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से कोई सूचना न मिले तो परिणाम की जानकारी के लिए उसे आयोग से तत्काल संपर्क स्थापित करना चाहिए। यदि उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया तो वह अपने मामले में विचार किया जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग से कोई यात्रा भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

10. आवेदन-पत्रों से संबद्ध पत्र-व्यवहार :—आवेदन पत्रों से संबद्ध सभी पत्र आदि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011, को भेजे जाए तथा उनमें नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से दिया जाए :—

(1) परीक्षा का नाम
(2) परीक्षा का महीना और वर्ष
(3) उम्मीदवार का रोल नम्बर अथवा जन्म की तारीख यदि रोल नम्बर सूचित नहीं किया गया है।
(4) उम्मीदवार का नाम पूरा तथा बड़े अक्षरों में।
(5) आवेदन-पत्र में दिया गया पत्र-व्यवहार का पता

ध्यान दें :—जिन पत्रों आदि में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभवत: उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

11. पते में परिवर्तन :—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन पत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि, आवश्यक होने पर, उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना, उपर्युक्त पैरा 10 में उल्लिखित ब्यौरे के साथ, यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। यद्यपि आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा पूरा प्रयत्न करता है किन्तु इस विषय में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 22nd March 1979

No. A.12019/1/75-Admn.II.—The Secretary, Union Public Service Commission hereby appoints the following Assistant Superintendents (Holl.) in the office of Union Public Service Commission to officiate on an *ad hoc* basis as Section Officer (D.P.) for the period from 2-3-1979 to 31-5-1979, or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri S. P. Bansal,
2. Shri M. M. Sharma,
3. Shri B. R. Gupta.

S. BALACHANDRAN, Under Secy.
for Secy.

New Delhi-110011, the 22nd March 1979

No. A. 12019/1/75-Admn.II.—The Chairman, Union Public Service Commission hereby appoints the following Superintendents (Holl.) in the office of the Union Public Service Commission to officiate on an *ad hoc* basis as Assistant Controller (D.P.) in the Commission's office for the period from 2-3-1979 to 31-5-1979, or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri J. L. Kapur,
2. Kumari Santosh Handa.

S. BALACHANDRAN, Under Secy.
for Chairman.

New Delhi-110011, the 30th March 1979

No. A. 32013/1/79-Admn. I—The President is pleased to appoint the following officers in the office of the Union Public Service Commission to officiate as Under Secretaries on ad hoc basis in Grade I of the Central Secretariat Service for the period shown against each, or until further orders, whichever is earlier.

S. No.	Name		Period
1.	Shri B. B. Mehra	(Permanent Officer of Grade A of CSSS)	1-3-79 to 18-4-79.
2.	Shri B. S. Kapur	(Permanent Officer of Section Officer's Grade of CSS)	1-3-79 to 9-4-79.

S. BALACHANDRAN
Under Secy.
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & A.R.)
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 2nd April 1979

No. A-19014/4/78-Ad.V.—The President is pleased to appoint Shri Ripdaman Singh, a permanent Section Officer of the C.S.S. Cadre of the Ministry of Home Affairs, to officiate as Administrative Officer in the C.B.I. on *ad-hoc* basis for the period 16-8-78 (FN) to 28-12-78.

The President is also pleased to appoint Shri Ripdaman Singh, Grade I Officer of C.S.S., to officiate as Administrative Officer in the C.B.I. with effect from 29-12-78 and until further orders.

S. K. JHA, Dy. Dir. (Admn) C.B.I.

New Delhi, the 4th April 1979

No. PF/P-91/70-Ad.I.—Shri P. S. Chatterjee, an officer of West Bengal State Police on deputation to C.B.I. as Inspector of Police, has been relieved of his duties in the C.B.I., E.O.W., Calcutta Branch on the afternoon of 12-3-1979 on repatriation to the West Bengal State Police.

JARNAIL SINGH, Adm. Officer (E), C.B.I.

New Delhi, the 6th April 1979

No. A-19036/13/76-AD.V.—The Director, Central Bureau of Investigation and Inspector General of Police, Special Police Establishment, hereby appoints Shri A. Chakravarti, an Officer of the Border Security Force, as Dy. Superintendent of Police in the C.B.I. on deputation with effect from the forenoon of 21-3-1979 until further orders.

RIPDAMAN SINGH, Adm. Officer (A) C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110011, the 2nd April 1979

No. O.II-1052/77-Estt.—Reference this Directorate General Notification of even number dated 3rd February 1977.

2. The President is pleased to decide that the appointment of Dr. Shatanjay Gupta as General Duty Officer, Grade-I (Assistant Commandant) in the CRP should be treated as on *ad-hoc* basis with effect from 17-1-77 to 18-2-77. This will not, however, affect his seniority as G.D.O. Grade-I.

3. The appointment of Dr. Shatanjay Gupta as a General Duty Officer, Grade-I (Assistant Commandant) will be treated as regular with effect from 19-2-77 i.e the date on which he completed 4 years experience in the profession after registration, as per CRPF (Medical Officer Cadre) Rules, 1976.

A. K. BANDYOPADHYAY, Asstt. Dir. (Adm)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 4th April 1979

No. E-16013(2)/1/78-Pers.—On transfer on deputation Shri S. K. Chatterjee, IPS (MT—SPS) assumed the charge of the post of Commandant, CISF Unit, Farakka Barrage Project, Farakka w.e.f. the afternoon of 8th March 1979 vice Col. N. S. Puri, Commandant, who on transfer to Hoshangabad relinquished the charge of the said post with effect from the same date.

No. E-38013(2)/1/79-Pers.—On transfer from Farakka, Col. N. S. Puri, assumed the charge of the post of Commandant/CISF Unit, SPM Hoshangabad w.e.f. the forenoon of 21st March 1979.

The 5th April 1979

No. E-38013(3)/2/78-Pers.—On transfer from Calcutta Shri B.A. Devaya assumed the charge of the post of Assistant Commandant CISR Unit Mormugao Port Trust, Gao with effect from the afternoon of 12th February 1979 vice Shri K. A. Belliappa Assistant Commandant who on transfer to Thumba relinquished the charge of the said post with effect from the same date.

A. N. BHALLA, Asstt. Inspector General (Pers)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 9th April 1979

No. 11/66/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri D. N. Dhir, an officer belonging to the Punjab Cadre of the Indian Administrative Service, as Director of Census Operations, Punjab, Chandigarh, with effect from the afternoon of 31 March, 1979, until further orders.

2. The headquarters of Shri D. N. Dhir, will be at Chandigarh.

P. PADMANABHA, Registrar Genl. India.

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 19th April 1979

No. 48 PST 4.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri K. L. Malhotra, a permanent Section Officer

of the Central Vigilance Commission, as Under Secretary in the Commission, in an officiating capacity, with effect from the forenoon of 19th April, 1979.

R. K. SHARMA
Secretary
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF FINANCE
DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS
BANK NOTE PRESS, DEWAS

Dewas, the 27th March 1979

File No. BNP/C/5/79.—Shri V. Venkatramani, a permanent Junior Supervisor (Intaglio Printing) is promoted on *ad-hoc* basis as Technical Officer (Printing & Platemaking) in the scale of pay Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 (Group 'B' Gazetted) with effect from 27-3-1979 for a period of Three months or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

The ad-hoc appointment does not confer any prescriptive right on the promotee for continuing in the post or being appointed thereto on a regular basis, the *ad-hoc* appointment can be discontinued at any time without assigning any reason.

P. S. SHIVARAM,
General Manager

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL-II, WEST BENGAL,
LOCAL AUDIT DEPARTMENT,

Calcutta-1, the 5th February 1979

No. LA/Admn./96.—The Accountant General (II), West Bengal has been pleased to appoint Sri Upendra Nath Ghoshal, an Offg. Section Officer of Local Audit Deptt. of this office as an Assistant Examiner of local Accounts, West Bengal in officiating capacity in the scale of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from 5-2-79 (F.N.) until further orders.

(Sd.) Examiner of Local Accounts,
West Bengal

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION.
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS,

New Delhi, the 2nd April 1979

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(Establishment)

No. 6/485/58-Admn(G)/2637.—On attaining the age of superannuation, Shri S. K. Mondal relinquished the charge of the post of Deputy Chief Controller of Imports and Exports in the office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta, on the afternoon of the 31st January, 1979.

No. 6/1251/78-Admn(G)/2640.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Shri A. K. Noormohamed as Controller of Imports and Exports Class-II (Non CSS) in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay, in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 26th February, 1979, until further orders.

2. Shri A. K. Noormohamed will draw pay according to rules in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35 880-40-1000-EB-40-1200.

RAJINDER SINGH,
Dy. Chief Controller of Imports and Exports.
for Chief Controller of Imports & Exports

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(DEPARTMENT OF MINES)
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 2nd April 1979

No. A19011(242)/78-Estt.A.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Dipankar Nag to the post of Asstt. Controller of Mines in an officiating capacity with effect from the forenoon of 14-3-79.

No. A-19011(251)/78-Estt.A.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, Shri Sankaraiyar Hariharan, Office Superintendent Grade-I, Air Armament Inspection Wing, Khamaria, Jabalpur (M.P.) is appointed to the post of Administrative Officer in Indian Bureau of Mines in the officiating capacity with effect from the forenoon of 19th March, 1979.

The 7th April 1979

No. A-19011(15)/74-Estt.A.—On his being absorbed in the Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance in the post of Deputy Adviser (Production), the lien of Shri I. M. Aga, in the post of Deputy Controller of Mines in the Indian Bureau of Mines is terminated with effect from 7th March, 1978.

No. A-19011(238)/78-Estt.A.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri D. K. Kundu, Assistant Mining Geologist, Indian Bureau of Mines to the post of Junior Mining Geologist in the Indian Bureau of Mines with effect from the forenoon of 26th February, 1979, until further orders.

S. BALAGOPAL,
Head of Office

ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA,

Calcutta-12, the 3rd April 1979

No. F.92-118/76-Estt./5830.—Dr. A. C. Misra, Assistant Zoologist in Zoological Survey of India, Calcutta, having been offered the post of Senior Research Officer at the National Institute of Virology, Poona, on a pay of Rs. 1100/- in the scale of Rs. 1100-50-1600, has relinquished the charge of the post of Assistant Zoologist in Zoological Survey of India with effect from 15-3-1979 (afternoon) to enable him to join his new assignment.

DR. T. N. ANANTHAKRISHNAN,
Director,
Zoological Survey of India.

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi-1, the 4th April 1979

No. 5(100)/67-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri S. P. Likhar, Transmission Executive, All India Radio, Indore as Programme Executive, All India Radio, Port Blair in a temporary capacity with effect from 17th March, 1979 and until further orders.

The 6th April 1979

CORRIGENDUM

No. 5(118)/67-SI.—Please read 'appoints' for the word 'declares' appearing in the 2nd line of this Directorate's notification No. 5(118) 67-SI dated 23-2-79.

O. B. SHARMA,
Deputy Director of Administration
for Director General

New Delhi, the 7th April 1979

No. 10/15/79-SIII.—The Director General, All India Radio, is pleased to appoint Shri Nazeer Ahmed of the cadre of Senior Engineering Assistant, All India Radio to Officiate on promotion in the cadre of Assistant Engineer, All India Radio, and post him at All India Radio, Hyderabad with effect from 28-2-79 (F/N) till further orders.

J. R. LIKHI,
Deputy Director of Administration,
for Director General.

(CIVIL CONSTRUCTION WING)

New Delhi-110001, the 6th March 1979

No. A-12023/1/78-CW.I.—The Director General, All India Radio, New Delhi is pleased to appoint Shri VIMAL KUMAR SINGH as Assistant Engineer (Electrical), Civil Construction Wing, All India Radio, Jullundur in an officiating capacity in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- with effect from the forenoon of 5th February, 1979.

2. The appointment of Shri Singh will be governed, inter-alia, by the terms and conditions contained in the offer of appointment already issued to him.

S. RAMASWAMY,
Engineer Officer to Addl. CE(Civil),
for Director General.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY

New Delhi, the 2nd April 1979

No. A.12026/5/79-Est.—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri D. L. Ghoshal, Distribution Assistant to officiate as Assistant Distribution Officer in this Directorate on *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of 14th March, 1979 *vice* Shri Amar Singh, Assistant Distribution Officer, granted leave.

The 6th April 1979

No. A-20012/8/70-Exh.(A).—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri S. S. Mehra to officiate as Field Exhibition Officer in the Field Exhibition Office of this Directorate at Kohima with effect from 5-1-1979 (F.N.) until further orders.

R. NARAYAN,
Deputy Director (Advtg.)
for Director of Advertising and Visual Publicity.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

(DIRECTORATE OF FILM FESTIVALS)

New Delhi-11, the 7th April 1979

No. 2/7/78-FFD—It is hereby notified that in pursuance of Rule 9 of the Rules for the National Film Festival, 1979 published in the Directorate of Film Festivals Notification No. 2/5/78-FFD dated 21st December, 1978 the Central Government on the basis of the recommendations submitted by the two National Juries have decided to give awards to the following films/producers/directors/artistes/technicians, namely :—

S. No.	Title of film and language	Name of the Award Winner	Award
1	2	3	4
		I—FEATURE FILMS	
1.	Award for the Best Feature Film with mass appeal, wholesome entertainment and aesthetic value:—		
	GANDEVATA (Bengali)	PRODUCER Deptt. of Information & Cultural Affairs, Govt. of West Bengal, Writers Building, Calcutta-700001.	'Swaran Kamal' (Golden Lotus)
		DIRECTOR Shri Tarun Majumdar, 25/4-B, M. N. Sen Lane, Calcutta-7000040.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus)
2.	Award for the Best Feature Film on National Integration :		
	GRAHANA (Kannada) . . .	PRODUCER M/s Harsha Pictures No. 94, Ist Main Road Hanumanth Nagar Bangalore-19	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 30,000/- (Rupees Thirty thousand only)
		DIRECTOR Shri T. S. Nagabharana No. 9, Sriramamandiram Road, Bangalore-560004.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only.)
3.	Best Feature Films in each Regional Language :		
	DOORATWA (Bengali) . . .	PRODUCER Shri Buddhadeb Dasgupta 29, Jatin Das Road, Calcutta-700029.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only)
		DIRECTOR Shri Buddhadeb Dasgupta 29, Jatin Das Road, Calcutta-700029.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)
4.	KASTURI (Hindi) (Jointly with JUNOON) . . .	PRODUCER Shri Bimal Dutt, 13-B, "Trilok" Dr. Ambedkar Road, Bandra, Bombay-50.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)
		DIRECTOR Shri Bimal Dutt, 13-B, "Trilok" Dr. Ambedkar Road, Bandra, Bombay-50.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 2,500/- (Rupees Two thousand and five hundred only)
	JUNOON (Hindi) (Jointly with KASTURI)	PRODUCER Shri Shashi Kapoor, 112-A Atlas Apartment, Harkness Road, Bombay-400 006.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)

1	2	3	4
		DIRECTOR Shri Shyam Benegal, 103, Sangam, G. Deshmukh Marg, Bombay-400 026.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 2,500/- (Rupees Two thousand and five hundred only)
5.	ONDANONDU KALADALLI (Kannada)	PRODUCER M/s. L. N. Combines, No. 4 Malini, 4th Cross, Lakshmi Road, Shantinagar, Bangalore.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only)
		DIRECTOR Shri Girish Karnard, 18, Saraswathpur, Dharwar-580002.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)
6.	THAMP (Malayalam) . . .	PRODUCER Shri K. Ravindranathan Nair, General Pictures, Quilon-691001, Kerala.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only)
		DIRECTOR Shri G. Aravindan, 26/89, Uppalam Road, Trivandrum-695001.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)
7.	NIMAJJANAM (Telugu) . . .	PRODUCER M/s Red Rose Art Films, No. 1, Journalist Colony, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad-500034.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only)
		DIRECTOR Shri B. S. Narayana, 2-C Rajaram Colony, Kodembakkam, Madras-600 024.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)
8.	Award for the Best Children's Film :		
	JOI BABA FELUNATH (Bengali)	PRODUCER Shri R. D. Bansal, 45, Lenin Sarani, Calcutta-700 013.	'Swaran Kamal' (Golden Lotus) and a cash prize of Rs. 15,000/- (Rupees Fifteen thousand only)
		DIRECTOR Shri Satyajit Ray, 1/1, Bishop Lefroy Road, Calcutta-700 020.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only)
9.	Award for the Best Direction :		
	Thamp (Malayalam)	DIRECTOR Shri G. Aravindan, 26/89 Uppalam Road, Trivandrum-695 001.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 20,000/- Rupees Twenty thousand only)
10.	Award for the Best Screenplay : GRAHANA (Kannada)	SCREENPLAY WRITER Shri T. S. Ranga & Shri T. S. Nagabharana, No. 9, Sriramamandiram, Road, Bangalore-560004.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only) to each.
11.	Award for the Best Acting : (ACTOR) PARASHURAM (Bengali)	Shri Arun Mukherjee, C/o Information & Cultural Affairs Deptt., Govt. of West Bengal, Writers Building, Calcutta-700001.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only)
12.	Award for the Best Acting :	ACTRESS	
	NIMAJJANAM (Telugu) . . .	Smt. Sharada, 3, Saraswathi Street, Mahalingapuram, Madras-600 034.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only)
13.	Award for the Best Child Acting :	CHILD ACTOR	
	GANADEVATTA (Bengali) . .	Master Kanchan De Biswas, C/o. Kartick Ch-D Biswas 17, B, Bhabanath Sen Street, Calcutta-700004.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)

1	2	3	4
14.	Award for the Best Cinematography (Colour)		
		CAMERAMAN	
	JUNOON (Hindi)	Shri Govind Nihalani, C/o. Sahyadri Films, 19/20 A, Everest, Tardeo Road, Bombay-400 034.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)
15.	Award for the Best Cinematography (Black & White)		
		CAMERAMAN	
	THAMP (MALAYALAM) . .	Shri Shaji, 24, Shanthi Nagar, Trivandrum-695001.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only.)
16.	Award for the Best Sound Recording :		
		SOUND RECORDIST	
	JUNOON (Hindi) . .	Shri Hitendra Ghosh, C/o, Shyam Benegal, 103, Sangam, G. Deshmukh Marg, Bombay-400 026.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)
17.	Award for the Best Editing :		
		EDITOR	
	PARASHURAM (BENGALI) . .	Shri Gangadhar Naskar, 3, Harisabha Road, Calcutta-700041.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)
18.	Award for the Best Music Direction :		
		MUSIC DIRECTOR	
	GAMAN (Hindi)	Shri Jaidev, Lily Corn., Ground Floor, Near Ritz Hotel, Church Gate, Bombay.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only)
19.	Award for the Best Male Playback Singer :		
		Male Singer	
	KAADU KUDRE (Kannada) . .	Shri Shivamoga Subbanna, 75, Banashankari Market, J. M. Road, Bangalore-2.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only)
20.	Award for the Best Female Playback Singer :		
		FEMALE SINGER	
	GAMAN (Hindi)	Ms. Chhaya Ganguli C/o Shri Jaidev, Lily Corn., Ground Floor, Near Ritz Hotel, Church Gate, Bombay.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only)
	Special commendation by the Jury :		
	PARASHURAM (Bengali) . . .	Shri Mrinal Sen	
	GAMAN (Hindi)	Shri Muzaffar Ali	
		II—SHORT FILMS	
	BEST INFORMATION FILM (DOCUMENTARY)	PRODUCER	
	RUMTEK—A MONASTERY WREATHED IN A HUNDRED THOUSAND RAINBOWS (English)	Shri Ramesh Sharma, Raj Emporium, Kalimpong-734301 (Darjeeling)	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)
		DIRECTOR Shri Ramesh Sharma, Raj Emporium, Kalimpong-734301 (Darjeeling)	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 4,000/- (Rupees Four thousand only)
2.	BEST EDUCATIONAL/INSTRUCTIONAL FILM	PRODUCER	
	THE MAGIC HANDS (English) .	M/s Little Cinema, (Calcutta) Pvt. Ltd. 9/1 Lovelock Place, Calcutta-700 019	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)
		DIRECTOR Shri Santi P. Chowdhury C/o Instle Cinema, (Calcutta) Pvt. Ltd., 9/1 Lovelock Place, Calcutta-700 019	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 4,000/- (Rupees Four thousand only)

1	2	3	4
3. BEST PROMOTIONAL FILM (NON-COMMERCIAL COMMERCIAL)			
IT IS INDIAN IT IS GOOD (English)	PRODUCER	Films Division, Govt. of India, 24-Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-4000026.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus)
	DIRECTOR	Shri B. D. Garga, C/o, Films Division Govt. of India, 24-Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-4000026.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus)
4. Best Newsreel Cameraman :			
DAWN OVER GURAIS (INR NO. 1568)	CAMERAMAN	Shri C. L. Kaul, Films Division, Govt. of India, 24-Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-400 026.	'Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)
5. BEST INDIAN NEWS REVIEW			
UTTAR PRADESH SAMACHAR 54 (Hindi)	PRODUCER	Director of Information and Public Relations, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.	Rajat Kamal' (Silver Lotus) and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)
Special commendation by the Jury			
BURNING STONE (English)	PRODUCER	Films Division, Govt. of India,	
	DIRECTOR	Shri Loksen Lalvani Films Division, 24-Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-400 026.	
	III. DADA SAHEB PHALKE AWARD		
	Shri R. C. Boral	1/1 Premchand Boral Street, Calcutta-700 012.	'Swaran Kamal' (Golden Lotus) and a cash prize of Rs. 40,000/- (Rupees Forty thousand only) and a Shawl.

K. BIKRAM SINGH
Joint Director

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 2nd April 1979

No. 33-15/75-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to accept the resignation of Kumari Pushpa Devi Sharma, Pharmaceutical Chemist in the Safdarjang Hospital, New Delhi, with effect from the afternoon of the 13th January, 1978.

The 7th April 1979

No. A. 12023/1/77-Admn. I.—Consequent on reversion to his parent Department viz. Directorate General of Supply & Disposal, Delhi, Shri N. Ramasubramani relinquished charge of the post of Administrative Officer at B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras on the afternoon of 20th February, 1979.

No. A.12026/25/78-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Budh Singh to the post of Accounts Officer, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi with effect from the forenoon of the 18th December, 1978, on an *ad-hoc* basis and until further orders.

S. L. KUTHIALA
Deputy Director Administration (O&M)

New Delhi, the 3rd April 1979

No. A.19019/2/78-CGHS-I.—Consequent upon her transfer from CGHS Delhi to CGHS Allahabad, Dr (Miss) Raj Mehra, Homoeopathic Physician relinquished charge of the post of Homoeopathic Physician, under CGHS, Delhi, with effect from the forenoon of the 16th October, 1978 and assumed charge of the post of Homoeopathic Physician under CGHS, Allahabad, with effect from the forenoon of the 10th January, 1979.

No. A.19019/3/79-CGHS-I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. (Kumari) Amar Bir to the post of Homoeopathic Physician in the Central Government Health Scheme, Delhi under this Directorate, on a purely temporary basis with effect from the forenoon of the 15th December, 1978.

N. N. GHOSH,
Dy. Director Admn. (CGHS)

KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA

(KRISHI VIBHAG)

VISTAR NIDESHALAYA

New Delhi, the 2nd April 1979

No. 5-40/79-Estt.(I).—On reaching the age of superannuation, Shri A. R. Puri, officiating Superintendent (Grade I), Group 'B' (Gazetted) in the Directorate of Extension, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation, retired from Government service w.e.f. the afternoon of 31st March, 1979.

B. N. CHADHA,
Director of Administration.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay 5, the 5th March 1979

No PPED/3(283)76 Adm /2941 —Director, Power Projects Engineering Division Bombay hereby appoints Shri M. K Iyer, a permanent Selection Grade Clerk and Officiating Assistant Accounts Officer in this Division as Accounts Officer-II in the same Division in a temporary capacity with effect from the forenoon of March 5, 1979 to the afternoon of April 25, 1979 *vice* Shri R G. Masurkar, Accounts Officer-II proceeded on leave

The 23rd March 1979

No. PPED/3(283)/76-Adm —Director, Power Projects Engineering Division Bombay hereby appoints Shri B. D Tambe, a permanent Lower Division Clerk of BARC and officiating Assistant Accounts Officer in this Division as Accounts Officer-II in the same Division in a temporary capacity with effect from the forenoon of February 26, 1979 to the afternoon of April 18, 1979 *vice* Shri C P Joshi, Accounts Officer II proceeded on leave

B. V Thatte
Administrative Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400 001, the 6th April 1979

No DPS/21/1(2)/78-Est 10,197 —The Director, Directorate of Purchase and Stores, appoints Shri D D Nayak a temporary Purchase Assistant to officiate as an Assistant Purchase Officer in the scale of pay of Rs 650-30 740 35 810-EB-35 880-40 1000-EB-40-1200 on an *ad-hoc* basis in the Delhi Regional Purchase Unit of the same Directorate with effect from March 8, 1979 (AN) to December 31, 1979 (AN), or until further orders whichever is earlier

K P JOSEPH,
Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 31st March 1979

No A 12025/1/79-I C —The President is pleased to appoint the following three officers in the Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation Department in an officiating capacity in the grade, w e f the date and at the station indicated against each —

S No	Name & Designation	Stn of posting	Date from which appointed
1	Shri Bhupinder Singh Koochar, Technical Officer	Radio Const & Dev Unit, N Delhi	1-3-79 (FN)
2	Shri Devendra Nath Tripathi Technical Officer	Radio Const & Dev Units, N Delhi	13-3-79 (FN)
3	Shri Sanjeev Kumar Seth, Communication Officer	Aero. Comm Stn Bombay	7 3-79 (FN)

The 3rd April 1979

No. A 32013/2/78 EC —The President is pleased to appoint the following two Assistant Technical Officers to the grade of Technical Officers on ad-hoc basis for a period of six months or till the vacancies are available whichever is earlier w e f the date indicated against each

S No	Name & Designation	Stn of posting	Date of taking over charge
1	Shri K Chandra Chudan Technical Officer	Aero Comm Stn Madras	22-1 79 (FN)
2	Shri P S Venkitaraman, Technical Officer	Aero Comm Stn Nagpur	22-1-79 (FN)

No A 32014/1/78-EC —The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following four Communication Assistants to the grade of Assistant Communication Officer on regular basis w e f the date and at the station indicated against each until further orders

S No	Name	Present Stn of posting	Station to which posted	Date of taking over charge
	S/Shri			
1	G P Sengupta	Aero Comm Stn Calcutta	Aero Comm Stn Calcutta	1 3 79 (FN)
2	G K Guha Roy	Aero Comm Stn Calcutta	Aero Comm Stn Calcutta	26-2-79 (FN)
3	B K Bose	Aero Comm Stn, Calcutta	Aero Comm Stn, Calcutta	26 2-79 (FN)
4	Radha Krishan Gupta	D G C A (HQ)	Aero Comm Stn Safdarjung Airport N. Delhi	26-2-79 (FN)

No A 38012/1/79 EC —The undermentioned two Officers relinquished charge of office on retirement from Govt service on attaining the age of superannuation on the date and at the station indicated against each —

S No	Name & Design	Station of Posting	Date of retirement
1.	Shri R C Pant, Asstt Tech Officer	Aero. Comm Stn Calcutta	28-2-79 (AN)
2	Shri R Subramanyam Asstt Comm Officer	Aero Comm Stn New Delhi	28 2 79 (AN)

S D SHARMA,
Deputy Director of Administration

New Delhi, the 30th March 1979

No. A.12025/16/77-ES.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint S/Shri Harihar Prasad and A. K. Ray, Aircraft Inspectors in the Civil Aviation Department in officiating capacity with effect from 22-1-1979 and until further orders.

S. L. KHANDPUR,
Assistant Director of Administration,
for Director General of Civil Aviation.

New Delhi, the 29th March 1979

No. A.32013/8/77-E.I.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri S. R. Bhatia, a permanent Accountant in this Department to the post of Accounts Officer, Civil Aviation Department on *ad-hoc* basis for a further period from 26-2-1979 (Afternoon) to 31-5-1979 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier, in continuation of this Department Notification No. A.32013/8/77-E.I, dated the 5th February, 1979

The 30th March 1979

No. A.32013/1/79-E.I.—The President is pleased to appoint Shri P. R. Chandrasekhar, Deputy Director, Research and Development, Civil Aviation Department, to the post of Director, Research and Development, Civil Aviation Department, on an *ad-hoc* basis with effect from the 16th March, 1979 for a period of six months or till the post is regularly filled, whichever is earlier.

V. V. JOHRI.
Assistant Director of Administration

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 2nd April 1979

No. 1/4/79-Est.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri D. D. Malhotra, Supervisor, New Delhi Branch, as Deputy Traffic Manager, in an officiating capacity on *ad-hoc* basis in the same Branch from 1-9-78 to 30-9-78 and from 4-12-78 to 22-12-78 against short-term vacancies and from 23-12-78 and until further orders, on a regular basis

No. 1/28/79-Est.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri B. K. Mandal, Technical Assistant, Calcutta Branch, as Assistant Engineer, in an officiating capacity, in the same Branch, for the period from 12-12-1978 to 30-1-1979, on *ad-hoc* basis.

No. 1/478/79-Est.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri P. Chandrasekaran as Assistant Engineer, in New Delhi Branch in a temporary capacity, with effect from the forenoon of the 15th January, 1979 and until further orders

No. 1/479/79-Est.—The Director General Overseas Communications Service, hereby appoints Shri Saibal Chatterjee, as Assistant Engineer in New Delhi Branch in a temporary capacity, with effect from the forenoon of the 15th January, 1979 and until further orders.

No. 1/480/79-Est.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri Rajiv Kumar Agrawal as Assistant Engineer in New Delhi Branch in a temporary capacity, with effect from the forenoon of the 6th February, 1979, and until further orders.

H. L. MALHOTRA,
Dy. Director (Admn.)
for Director General

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(COMPANY LAW BOARD)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Macmull's Garage (Pvt.) Limited

Bombay, the 26th March 1979

No. 7942/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Macmull's Garage (Private) Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Registrar and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Relava Textiles & Garments Private Limited

Bombay, the 26th March 1979

No. 17299/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Relava Textiles and Garments Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

T. M. GUPTA,
Asstt. Registrar of Companies,
Maharashtra, Bombay.

In the matter of the Companies Act, 1956
and
In the matter of Omega Cables Limited

(IN LIQUIDATION)

(Sec. 445 of the Companies Act 1956)

Madras, the 31st March 1979

No. 3987/C.Liqn/445/78.—Notice is hereby given that by an order of the High Court of Judicature at Madras, dated 2-3-78 passed in C.P. No. 50 of 1977 and 89 of 1977 the company "Omega Cables Limited" was wound up.

Madras-600 006, the 3rd April 1979

No. 1787/Liqn/560/79.—Whereas The Nellikuppam Industries Limited (in liquidation) having its registered office at Kudithangi, Nellikuppam is being wound up,

AND WHEREAS the undersigned has reasonable cause to believe that no Liquidator is acting and that the statement of accounts required to be made by the Liquidator have not been made for a period of six consecutive months.

NOW THEREFORE, in pursuance of the provisions of sub section (4) of Section 560 of The Companies Act 1956, notice is hereby given that at the expiration of three months from the date of this notice the name of The Nellikuppam Industries Limited will unless cause is shown to the contrary be struck off the register and the company will be dissolved.

Sd./ Illegible
Asstt. Registrar of Companies,
Tamil Nadu, Madras.

Bombay, the 4th April 1979

No. 8473/Liq/560(4).—Whereas, M/s. K. D. VASWANI and Company Private Limited, having its registered office at 499, Kalbadevi Rd. Bombay-2, is being wound up;

And whereas the undersigned has reasonable cause to believe that liquidation has been died.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 560 of the Companies Act, 1956, (1 of 1956), notice is hereby given that at the expiration of three months from the date of this notice the name of M/s K. D. VASWANI & CO. PVT. LIMITED will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the company will be dissolved.

Sd./- Illegible.
Asstt. Registrar of Companies,
Maharashtra, Bombay-2.

"In the Matter of the Companies Act, 1956 and of Keselec Railway Supply Company Private Limited."

Sri Nagar-190008, the 30th March 1979

No. PC/379/1058.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the KESELEC RAILWAY SUPPLY COMPANY PRIVATE LIMITED unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

O. P. JAIN,
Registrar of Companies.

"In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Annal Nadu Publications Limited."

Madras-600 006, the 4th April 1979

No. 3243/560(5)/78.—Notice is hereby given pursuant to sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ANNAI NADU PUBLICATIONS LIMITED, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

K. PANCHAPAKESAN,
Asstt. Registrar of Companies,
Tamil Nadu

In the matter of the Companies Act 1956 and of Siva Associates Private Limited

Delhi the 4th April 1979

No. 7208/7/6076.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Siva Associates Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

SMT. C. KAPOOR,
Asstt. Registrar of Companies Delhi.

In the matter of the Companies Act 1956 and of Ramakrishna Steel Industries Private Limited.

Jullundur, the 6th April 1979

No. G/Stat/560/3428/120.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Ramakrishna Steel Industries Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956 and of Jagg's Export Private Limited.

Jullundur, the 6th April 1979

No. G/Stat/560/3662/118.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Jagg's Export Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956 and of Zanni & Company Private Limited

Jullundur, the 6th April 1979

No. G/Stat/560/2225/122.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Zanni & Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. TAYAL,
Registrar of Companies
Punjab, H.P & Chandigarh.

OFFICE OF THE INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL CENTRAL GOVT. OFFICES BUILDING, 4th FLOOR,

Bombay-400020, the 30th March 1979

No. F 48-Ad(AT)/1978.P.II.—1. Shri Y. Balasubramaniam, Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay who was continued to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on *ad hoc* basis in a temporary capacity for a period of six months from 1-9-1978 to 28-2-1979, *vide* this office Notification No. F.48-Ad(AT)/1978. P.II, dated 9th October, 1978 is now permitted to continue in the same capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches Bombay for a further period of three months from 1-3-1979 to 31-5-1979, or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is *ad-hoc* and will not bestow upon Shri Y. Balasubramaniam, a claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on *ad-hoc* basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to next higher grade.

2. Shri S. V. Naravanan, Senior Stenographer, Income-tax Appellate Tribunal Hyderabad Benches, Hyderabad, who was continued to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Calcutta Benches, Calcutta (now at Bombay w.e.f. 15-1-1979) on *ad-hoc* basis in a temporary capacity for a period of six months from 1-9-1978 to 28-2-1979, *vide* this office Notification No. F.48-Ad(AT)/1978 P.II. dated 9th October, 1978, is now permitted to continue in the same capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay for a further period of three months from 1-3-1979 to 31-5-1979 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is *ad-hoc* and will not bestow upon Shri S. V. Naravanan, a claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on *ad-hoc* basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to next higher grade.

3. Shri Niranjan Dass, Officiating Assistant Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Delhi Benches, Delhi, who was continued to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Amritsar Bench, Amritsar on *ad-hoc* basis for a period from 17-10-1978 (F.N.) to 28-2-1979, *vide* this office Notification No. F.48-Ad(AT)/78 P.II, dated 7th December, 1978 is now permitted to continue in the same capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tirbunal, Amritsar Bench, Amritsar, on *ad-hoc* basis for a further period of three months from 1-3-1979 to 31-5-1979, or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is *ad-hoc* and will not bestow upon Shri Niranjan Dass a claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on *ad-hoc* basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to next higher grade.

4. Shri M. K. Dalvi, Personal Assistant to the Vice-President, Income-tax Appellate Tribunal (Northern Zone) New

Delhi, who was continued to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on *ad-hoc* basis for a period from 14-11-1978 (FN) to 28-2-1979, *vide* this office Notification No. F. 48-Ad(AT)/78.P.II, dated 7th December, 1978, is now permitted to continue in the same capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on *ad-hoc* basis for a further period of three months from 1-3-1979 to 31-5-1979 or till the post is filled up on regular basis ,whichever is earlier.

The above appointment is *ad-hoc* and will not bestow upon Shri M. K. Dalvi, a claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on ad-hoc basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to next higher grade.

P. D. MATHUR,
President.

WEALTH TAX DEPARTMENT
(CENTRAL-I), BOMBAY

Bombay, the 17th February 1979

No. R.18(WT)78-79.—The Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to publish the names and other particulars relating to the assessees who have been assessed under Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), on the net wealth exceeding Rs. 10 lakhs during the financial year 1977-78, and has therefore in exercise of the powers conferred by Section 42A of the said Act, and all other powers enabling it in this behalf, directed that the names and other particulars of the assessees aforesaid be published, wherein the first appeal has either been disposed of or the time for presenting the first appeal has expired where an appeal has not been presented, indicating : (i) Status 'I' for individual, (ii) Assessment year, (iii) Figures of wealth returned, (iv) Wealth assessed (v) Wealth-tax payable by the assessee and (vi) Wealth-tax paid by the assessee, the same are hereby published

1. Shri Ambani Dhirajlal H., 4th floor, Court House, Lokmanya Tilak Marg, Dhobi Talao, Bombay. (i) I, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 6,41,220 (iv) Rs. 14,55,420 (v) Rs. 28,662, (vi) Rs. 28,662. (ii) 1974-75, (iii) Rs. 8 36,310 (iv) Rs. 20,28 330 (v) Rs. 72 266 (vi) Rs. 72,266, (ii) 1975-76, (iii) Rs. 14,67,150, (iv) Rs. 29,41,580, (v) Rs. 1,55,327, (vi) Rs. 1,55,327.

2. Shri Patel J. V., Mewar, 40-A, Pedder Road, Bombay. (i) I, (ii) 1974-75, (iii) Rs. 12,38,600, (iv) Rs. 12,53,018, (v) Rs. 22,591, (vi) Rs 22,591. (ii) 1975-76, (iii) Rs. 13,40,000. (iv) Rs. 13,05,205, (v) Rs. 32 208, (vi) Rs. 32 208.

S. S. KAPUR,
Commissioner of Wealth-Tax,
Central-I), Bombay.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX
BOMBAY CITY

AAYAKAR BHAVAN, MAHARSHI KARVE ROAD

Bombay-400 020, the 23rd February 1979

INCOME-TAX ESTABLISHMENT

No. 834.—The following officers are hereby appointed substantively to the posts of Income-tax Officer, Group B with effect from 19th February, 1979 :—

S/Shri

1. V. K. Shivashankaran
2. I. M. Anand
3. P. N. Krishnan
4. K. V. G. Pillai
5. J. V. Paithankar
6. A. S. Ahuja
7. S. B. Kamat
8. Miss R. A. Manjrekar
9. O. Somasekharan
10. S. J. Joshi
11. Smt. S. S. Kulkarni
12. K. V. Karnik
13. K. H. Bhuraney
14. V. B. Kale
15. P. K. Patwardhan
16. M. S. Pereira
17. M. V. Sreedharan

M. L. C. D'SOUZA
Commissioner of Income-tax
Bombay City-II, Bombay

K. N. ANANTHARAMA AYYAR
Commissioner of Income-tax
Bombay City-V, Bombay

R. VENKATARAMAN
Commissioner of Income-tax
Bombay City-VIII, Bombay

S. Y. GUPTE
Commissioner of Income-tax
Bombay City-XI, Bombay

V. D. SONDE
Commissioner of Income-tax
Bombay City-I, Bombay

V. R. TALUADKAR
Commissioner of Income-tax
Bombay City-IV, Bombay

KANWAL KRISHAN
Commissioner of Income-tax
Bombay City-VII, Bombay

R. C. D. S'OUZA
Commissioner of Income-tax
Bombay City-VX, Bombay

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600006

Madras-600006, the 2nd January 1979

Ref. No. 4801.—Whereas, I, T. V. G. KRISHNAMURTHY being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Site No. 12 (Door No. 6/11), situated at
Krishnaswamy Nagar Lay out, Coimbatore
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Coimbatore (Doc. No. 2632/78) on August 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising form the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. U. R. Ramaswamy Naidu
S/o Rangaswamy Naidu,
2. Prema W/o Bakthaseelan,
3. Vasantha W/o Narayanaswamy,
4. Savithri W/o Selvaraj,
5. Chandrika W/o Srinivasalu Naidu,
18, Badhrakalimman Koil St.,
Uppilipalayam, Coimbatore.

(Transferor)

(2) K. Chinnammal W/o R. Krishnaswamy,
6/11, Krishnaswamy Nagar, Ramanathapuram,
Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at (Site No. 12) Door No. 6/11, Krishnaswamynagar, Coimbatore (Doc. No. 2632/78).

T. V. G KRISHNAMURTHY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-600006.

Date : 2-1-1979
Seal :

FORM ITNS ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th April 1979

Ref. No. AP-1890.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As in the Schedule situated at G.T. Road, Bye Pass, Juc. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur on August, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Om Parkash s/o Jagan Nath
A/G of Shri Kamal Kumar S/o Jagan Nath and
A/G of Ved Parkash S/o Jagan Nath
Chuk Hussaina, Lamba Pind, Jullundur.
(Transferor)

(2) Vee Kay Chemical & Rubber Industry,
G.T. Road, Bye Pass near Lamba Pind Chowk,
Jullundur through Shri Vipan Kumar.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3849 of August, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 7-4-1979
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1979

Ref No. AP 1891 —Whereas, I, B S DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No As per Schedule situated at Model Town, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on August, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) Shri Bhola Nath Sharma S/o Rishikesh Sharma C/o Col H S Warriach 1-Cool Road Jullundur

(Transferor)

(2) Smt Asha W/o Surinder Mohan Kamboja, 91-L, Model Town, Jullundur

(3) As per S No 2 above

(Transferee)

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

House as mentioned in the Registration Sale Deed No 3885 of 17-8-78 of the Registering Authority, Jullundur

B. S DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date 31-3-79
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th April 1979

Ref. No. AP-1892.—Whereas, I, B. S. DEHIYA,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule
situated at Saidan Gate, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Jullundur on August, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparant consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(b) facilitating the concealment of any income or any to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

16—36GI/79

(1) Shri Harbans Lal adopted son of Ghanya Lal C/o Nand Lal Sohan Lal, Sabzi Mandi, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Avinash Chander S/o Sardari Lal Sudershan Rani W/o Avinash Chander, Bharat Metal Company, Bazar Peer Bodla, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3875 of August, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Jullundur.

Date : 7-4-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th April 1979

Ref. No. AP-1893.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No. As per Schedule situated at Shiv Raj Garh, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on August, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Nirmal Kumari Wd/o Kanti Krishan, EK-181, Phagwara Gate, Jullundur. (Transferor)

(2) Shri Ram Lal S/o Bhagat Ram Darshan Lal S/o Bhagwan Dass, Shivraj Garh, Jullundur (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in the Registration Sale Deed No. 4196 of August, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-4-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th April 1979

Ref. No. AP-1894.—Whereas, I, B. S. DEHIYA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Adarsh Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Jullundur on August, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Banarsi Dass S/o Thakur Dass C/o Saw Mills Qazi Mandi, Near Railway Goods Office, Jullundur. (Transferor)

(2) Smt. Mohani Devi W/o Madan Gopal, 158-Adarsh Nagar, Jullundur. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of in the Official Gazette o a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 portion of House No. 158 as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 3880 of August 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 7-4-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th April 1979

Ref. No. AP-1895.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the competent authority under section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Adarsh Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on August, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Banarsi Dass S/o Thakur Dass C/o Saw Mill Qazi Mandi, Near Railway Goods Office, Jullundur. (Transferor)

(2) Shri Madan Gopal Gandhi S/o Mool Chand Gandhi 158-Adarsh Nagar, Jullundur. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 portion of House No. 158 as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 4249 of September, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 7-4-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th April 1979

Ref. No. AP-1896.—Whereas, I, B. S. DEHIYA being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act,'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE
situated at Romesh Colony, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Jullundur on August, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sneh Lata W/o Shri Jugal Kishore,
Gali No. 2 Namak Mandi, Jullundur
(Transferor)

(2) S/Shri Vijay Kumar, Bikram Jeet Singh and Kiran Kumar
Near New Courts, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3893 of August, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 7-4-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 9th April 1979

Ref. No. AP-1897.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and bearing No. AS PER SCHEDULE situated at G.T. Road, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on August, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Sutlej Chit Fund & Financers (P) Ltd., G.T. Road, Jullundur.
(Transferor)

(2) S/Shri Ajit Singh, Rachhpal Singh, Kirpal Singh, David Singh, Ss/o Harbans Singh, Mrs. Parkash Kaur W/o Harbans Singh, V. and P.O. Sarhal Quazian, Teh. Nawanshahr.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 and Bank of India Commercial) Jullundur (Tenant).
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property on G.T. Road, Jullundur as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 4178 of August, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 9-4-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th April 1979

Ref. No. AP-1898.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at
Basti Sheikh, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Jullundur on August, 1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Niranjan Singh S/o Udham Singh
S/o Hira Singh,
Basti Guzan, Jullundur.
(Transferor)

(2) Smt. Kartar Kaur W/o Lal Singh
S/Shri Gurdeep Singh, Gurbachan Singh, Nirmal Singh, Rajinder Pal Singh Ss/o Lal Singh and Lal Singh S/o Budh Singh,
Basti Sheikh, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration Sale Deed No. 4151 of August, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-4-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th April 1979

Ref. No. 1899.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under section 269B of he Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at
Raj Nagar, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on August, 1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, on the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Lachhman Singh, Pritam Singh
Ss/o Sewa Singh,
Amar Kaur D/o Sewa Singh,
Kapurthala Road, Jullundur.
Saudagar Singh S/o Suchet Singh,
Tanda Road, Jullundur.
Sant Kaur Wd/o Sadhu Singh,
Kapurthala Road, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Madan Mohan S/o Gurdial Singh,
Vidya Wati Wd/o Gurdial Singh,
Near Madan Flour Mills, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3898 of August, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-4-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th April 1979

Ref No AP-1900.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No As per Schedule situated at Village Kishan Garh, Jue. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on August, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the above said property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

17—36GI/79

(1) Shri Charan Singh S/o Boor Singh, Village Kishan Garh, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Major Singh S o Charan Singh, Village Kishan Garh, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3980 of August, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Jullundur

Date : 11-4-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th April 1979

Ref. No. AP-1901.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No As per Schedule situated at Village Gill, Teh. Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on August, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Mohan Singh S/o Bhagat Singh, Village Gill Teh. Jullundur.
(Transferor)

(2) S/Shri Shingara Singh, Nirmal Singh Ss/o Mohan Singh, Village Gill Teh. Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3550 of August, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 11-4-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BOMBAY

Bombay, the 31st March 1979

Ref No AR III/AP 293/78-79 —Whereas, I V. S. SESHADRI being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing S. No 77 (Part) Plot No 7 situated at Majas (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 1 9-78 (Document No 5873/72 R) for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhagwandas Dwarkadas Kapadia (Transferor)

(2) M/s Ajit Radio Corporation Pvt Ltd (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No 5873/72 as registered on 1-9-1978 with the Sub-Registrar, Bombay.

V S SESHADRI
Competent Authority,
Inspecting Asstt Commissioner of Income tax
Acquisition Range Bombay

Date : 31-3-1979
Seal .

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME--TAX,

ACQUISITION RANGE, BHAWKAR BHAWAN,
PLOT NO. 31, GANESH KHIND ROAD,
PUNE-411005.

Pune-411 005, the 30th March 1979

Ref. No. CA5/SR. JALGAON/Nov '78, 434.—Whereas, I SMT. P. LALWANI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market
value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
R. S. No. 214B-1/2B plot No. 7 situated at Jalgaon
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jalgaon on 28-11-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer, with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mishrilal Onkardas Joshi & Sons, Jalgaon, Partner Shri Purshottam Mishrilal Joshi, 195, Bhavani Peth, Jalgaon.
(Transferor)

(2) 1. Shri Omprakash Sitaram Agrawal
2. Shri Ramnarayan Jagannath Agrawal
3. Shri Soma Shivram Bhole
4. Shri Chandrakant Kesharimal Rathi,
122, Navi Peth, Jalgaon.

Partners—M/s. Hira Panna Builders, Jalgaon.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land at R.S. No. 214B-1/2B plot No. 7 at Jalgaon.

Area : 6104 sq. ft.

(Property as described in the sale deed registered under No. 2436 dated 28-11-78 in the office of the Sub-Registrar, Jalgaon).

SMT. P. LALWANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 20-31979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHAWKAR BHAWAN, PLOT NO. 31, GANESH KHIND ROAD, PUNE-411005.

Pune-411 005, the 30th March 1979

Ref. No. CA5/SR. JALGAON Nov. '78/433.—Whereas I, SMT. P. LALWANI,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- only bearing No
R.S. No. 214/B1/2B plot No. 6 situated at Jalgaon
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jalgaon on 28-11-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mishrilal Onkardas Joshi & Sons, Jalgaon,
Partner,
Shri Purushottam Mishrilal Joshi,
195, Bhavan Peth, Jalgaon.
(Transferor)

(2) 1. Omprakash Sitaram Agrawal
2. Ramnarayan Jagannath Agarwal,
3. Soma Shivaram Bhole
4. Chandrakant Keshavmal Rathi,
122, Navi Peth, Jalgaon.
Partners of M/s. Hira Panna Builders, Jalgaon.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land at R.S. No. 214/B1/2B plot No. 6, at Jalgaon.
Area : 6480 sq. ft.
(Property as described in the sale deed registered under No. 2435 dated 28-11-78 in the office of the Sub-Registrar, Jalgaon).

SMT. P. LALWANI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 20-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHAWKAR BHAWAN, PLOT NO. 31, GANESH KHIND ROAD, PUNE-411005.

Pune-411 005, the 29th March 1979

Ref. No. CA5/SR. Rahata/Dec. '78/436.—Whereas, I SMT. P. LALWANI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 4/2A situated at Shiridi, Dist. Ahmednagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rahata on Dec. 78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the of this notice under sub-section (1) of Section 269 D of the Said Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : —

(1) Shri Annasaheb Baburao Shende,
Shirdi.

(Transferor)

(2) Shri Suresh Mohanrao Gordia,
C/o Suresh Gordia & Co.
Estate C. Consultant,
24, Veer Nariman Road, Rehman Building, 2nd floor, Bombay.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at S. No. 4/2A at Shirdi, Dist. Ahmednagar.
Area : 21520 sq. ft.
(Property as described in the sale deed registered under No. 1439 dated Dec. 78 in the office of the Sub-Registrar, Rahata).

SMT. P. LALWANI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 29-3-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 2nd April 1979

Ref. No. IAC/Acq. II/August-23 '78-78/79.—Whereas I, R. B. L. Aggarwal
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. M-8 situated at Rajouri Garden, New Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Delhi on August 1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Satya Bhushan, & Sh. Subhash Chander, ss/o Sh. Devki Nandan, r/o E-3, Rattan Park, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ashok Kumar Sethi, s/o Sh. Ram Parkash Sethi, r/o J-12/44, Rajouri Garden, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storyed measuring 202 sq. yds. bearing No. M-8, situated in residential colony known as Rajouri Garden, New Delhi and bounded as under :—
East : Plot No. M-9
West : Plot No. M-7
North : Road
South : Plot No. 56 & 57 Block No. O.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range II,
Delhi/New Delhi

Date : 2-4-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 2nd April 1979

Ref. No. IAC/Acq. II/August-109/3163/78 79 —Whereas, I, R. B. L. AGGARWAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No. A-7/5 situated at Rana Partap Bagh, Subzi Mandi, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Delhi on 24-8-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manna Singh, s/o Sh. Jawahar Singh, r/o A-7/5, Rana Partap Bagh, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ram Chand, s/o Sh Kimat Ram Kalra, r/o A-16/1, Rana Partap Bagh, Delhi.
(2) Sh Arjan Dass, s/o Sh. Kimat Ram Kalra &
(3) Sh. Vishan Dass Kalra, r/o C/o Rajasthan Jewellers, Malhwala, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A 2½ storyed building built on a plot of land measuring 490 sq. yds. bearing No A-7/5 situated at Rana Partap Bagh, Subzi Mandi, Village Sadhora Kalan, Delhi and bounded as under :—
East : Road
West : Property No. A-6/5
North : Road
South : Property No. A-7/4.

R. B L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range II,
Delhi/New Delhi

Date : 2-4-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 2nd April 1979

Ref. No. IAC/Acq. II/August-57/3044/78-79.—Whereas, I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No 39 situated at Punjabi Bagh, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi on 14-8-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Yash Pal Madan, s/o Late Dr. Sewa Madan, r/o F-38, Green Park, New Delhi Ram
(2) Sh. Satya Pal Madan, s/o Late Dr. Sewa Madan, r/o 21, Park Area, Karol Bagh, New Delhi

(Transferor

(2) Smt. Tejinder Wadhawan, w/o S. Aya Singh Wadhawan &
(2) Nirmal Kaur, w/o S. Harminder Singh, both r/o 19, West Avenue Road, Punjabi Bagh, Delhi.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 654.63 sq. yds. bearing No. 39 situated at North West Avenue Road, Punjabi Bagh, Village Bassai Darapur, Delhi and bounded as under :—

East : Property No. 37
West : Lane
North : Service Lane
South : North West Avenue Road.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range II,
Delhi/New Delhi

Date : 2-4-1979
Seal :

FORM ITNS————

ICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 2nd April 1979

Ref. No. IAC/Acq. II/August-72/3037/78-79.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 5212-5213 situated at Kohlapur Road, Subzi Mandi, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi on 17-8-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Prasanti Devi, w/o Late Sh. Ganga Ram Sharma, r/o 319, Model Town, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Om Parkash, s/o Sh. Jumma Mal, r/o 5212, Kohlapur Road, Subzi Mandi, Delhi.
(Transferee)

(3) Shri Mukesh Kumar Ramphul, Sh. Lehri Singh, Sh. Hari Ram Mehra & Smt. Shyam Devi.

[Persons in occupation of the property]

Objections, if any, to the acqusition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazeete or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A double storyed house with mazanine floor measuring 180 sq. yds. bearing Plot No. 8, property No. 5212-5213, situated at Kohlapur Road, Subzi Mandi, Illaqa No. 12, Delhi and bounded as under :—

East : 20 ft. Road Kohlapur House.
West : Main Bazar Kohlapur Road
North : Ch. Mohan Singh's House No. 5214
South : Sh. Kanshi Ram Sehgal's House No. 5211

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range II,
Delhi/New Delhi.

Date : 2-4-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th April 1979

Ref. No. IAC/Acq II/August-130/3231/78-79.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000[- and bearing No. 6943/2, Pvt. No. 5 situated at Gali Arya Samaj No. 2, Jaipuria Building, Kamla Nagar, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Delhi on 31-8-1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore in pursuance of Section 269 C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Girja Ben Trivedi, wd/o Late Sh. Kanti Lal Trivedi, r/o 6943/2 No. 2, Jaipuria Building, Kamla Nagar, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ashok Kumar Chopra, s/o Late Sh. Sat Pal Chopra, r/o 21A, Kohlapur Road, Kamla Nagar, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property Pvt. No. 5X, Municipal No. 6943/2 measuring 117 sq. yds. situated at Gali Arya Samaj No. 2, Jaipuria Building, Kamla Nagar, Delhi and bounded as under :—

East : Property of Sh Ram Narain
West : Road
North : Road
South : Road

R. B. L. AGGARWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range II,
Delhi/New Delhi

Date . 9-4-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 9th April 1979

Ref. No. IAC/Acq. II/August-90/78-78/3128/79.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. B-231, situated at D. I. Khan Cooperative House Building Society, Mubarak Bagh, G.T. Road, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi on 22-8-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Dera Ismail Khan Co-Operative, House Building Society Ltd., Mubarak Bagh, G.T. Road, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ganpat Ram, s/o Sh. Parmanand Matta, r/o B-2, Model Town, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 268.22 sq. yds. bearing No. B-231, situated at D.I. Khan Co-operative House Building Society Ltd., Mubarak Bagh, G.T. Road, Delhi and bounded as under :—

East : Service Late
West : Plot No B-230
North : Service Late
South : 30' wide Road.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 9-4-1979
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 6th March 1979

Ref. No. RAC. No. 357/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Shop No. 9 situated at 5-8-521 Chiragali lane, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad in July 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to bme disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Taramani, W/o Shri Giriraj Goyal, 5-3-1053 Shanker Bagh, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Shri Vijaya Kumar, H. No. 10-4-34 at Masab Tank, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expire later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 9 in the House No. 56-8-521 situated at Chiragali lane Hyderabad, registered vide Document No. 2552/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 6-3-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 6th March 1979

Ref. No. RAC. No. 358/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Shop No. 7, situated at 5-8-521 at Chiragali Lane, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hyderabad on 10-7-78
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Tara Mani, W/o Giriraj Goyal,
H. No. 5-3-1053 at Shanker Bagh, Osmangunj,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Husain Ali, S/o Hasan Ali,
H. No. L/28 at Kareembag Colony, Chiragali lane,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 7 in premises No. 5-8-521 in Jagdish market, at Chiragali lane, Hyderabad, registered vide Document No. 2638/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 6-3-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 6th March 1979

Ref. No. RAC. No. 359/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Shop No. 8 situated at 5-8-521 Chiragali Lane (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad in July 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1992) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforsaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Tara Mani, W/o Giriraj Goyal, 5-3-1053 at Osmangunj, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Ali Hussain, (Minor) under guardian Sri Hussain Ali, natural father, at Kareemabad colony Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 8 in the house of M. No. 5-8-521 at Chiragali lane, Hyderabad, registered vide Document No. 2639/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 6-3-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 6th March 1979

Ref. No. RAC. No. 360/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Shop No. 14, situated at 5-8-522/2 Chiragali Lane, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of (1908), in the office of the Registering Officer at
Hyderabad in July 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) faciliting the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) Sri Giriraj Gopal, H. No. 5-3-1053 at Osmangunj, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Kishan Parashar, 14-6-9, Begumbazar, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 14 in premises No. 5-8-522/2 situated at Chiragali lane Hyderabad, registered vide Doc. No. 2650/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 6-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 6th March 1979

Ref. No. RAC. No. 361/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Room No. 13, 14, situated at Chiragali Lane, Hyderabad (and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad in July 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

19—36GI/79

(1) Sri Giriraj Goyal, H. No. 5-3-1053 at Shankerbagh near Osmangunj, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Mrs. Dr. Sveda Ruqia, H. No. 10-2-317/31 at Vijayanagar Colony, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office room No. 13 and 14 in the premises No. 5-8-522/2 in situated at Chiragali lane, Hyderabad, registered vide Document No. 2967/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 6-3-1979.
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 6th March 1979

Ref. No. RAC. No. 362/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Shop No. 15-1-503/A/25, situated at Siddiamber Bazar, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad in July 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Dinanath Modi, S/o Hanumandas Modi, 21-1-624 Urdu Shariff (Patel Market) Hyderabad. (Transferor)

(2) Sri Abdul Razaack Khan, H. No. 14-1-358 at Agapura, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Mulgi No. 15-1-503/A/25 in the premises of 15-1-503 situated at Fheelkhana, Siddiamber Bazar, Hyderabad, registered vide Document No. 2976/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 6-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 6th March 1979

Ref. No. RAC. No. 363/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act),
have reason to believe that the immovable property having
a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 14, situated at 5-8-522, Chiragali Lane, Hyderabad
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto) has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad in July 1978
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Sri Jagdish Pershad, H. No. 21-1-293 at Rekabgunj, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Syed Mazhar Hussain, H. No. 17-5-113 at Kali Mazid, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA in the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 14 in the premises No. 5-8-522 situated at Chiragali lane Hyderabad, registered vide Document No. 2637/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Incometax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 6-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 6th March 1979

Ref. No. RAC. No. 364/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Portion of situated at 4-1-419 to 423 Troop Bazar, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad in July 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. Hotel Parklane, Pvt. Ltd., 4-3-16 at Rastrapati Road, Secunderabad.
(Transferor)

(2) Smt. Vijaya Devi, W/o Dandoo Ekambar, H. No. 9/A at Walker Town, Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that premises admeasuring 115.67 Sq. Mets. land super structure forming portion of the premises No. 4-1-419 to 423 at Troop Bazar Hyderabad, registered vide Document No. 2513/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 6-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1979

Ref. No. RAC. No. 365/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 233.76 Sq. mts. situated at 4-1- 419 to 423 Troop Bazar, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad in July 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Hotel Parklane Pvt. Ltd. 4-3-16 at Bastrapati Road, Secunderabad.
(Transferor)

(2) Kum. Dundoo Kanchana, 2. Kum Dundoo Karuna, H. No. 9/A Walker Town Secunderabad, (Minors) Represented by their father Dundoo Ekamber.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that premises admeasuring 233.76 Sq. Mts. land and super structure, portion of premises No. 4-1-419 to 423 at Troop Bazar Hyderabad, registered vide Document No. 2514/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1979

Ref. No. RAC. No. 366/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Portion of situated at 4-1-419 to 423 Troop Bazar, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad in July 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Hotel Parklane Pvt. Ltd., 4-3-16 R.P. Road, Secunderabad.
(Transferee)

(2) Kum. Dundoo Praveena, 9/A Walker Town, Secunderabad. (Minor) represented by her father Dundoo Ekamber.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that premises 138.02 Sq. Yds. land and super structure in portion of the premises No. 4-1-419 to 423 situated at Troop Bazar, Hyderabad, registered vide Doc. 2515/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1979

Ref. No. RAC. No. 367/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. E3 situated at Domalguda, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad in July-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Garinder Kaur Kandhari, W/o Sri Surender Singh Kandhari, Managing Partner of M/s. Kandhari Corporation, H. No. 15-1-53/3 Feelkhana, Hyderabad. (Transferor)

(2) Sri K. Veeraiah, S/o Ramalingam, 15-5-258 at Osmanshai, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any ohter person inerested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land No. E-3 at Ganganmahal Cooperative Development Society, at Domalguda, Hyderabad, registered vide Document No. 3008/78 in the Office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1979

Ref. No. RAC. No. 368/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. E-3 portion situated at Domalguda, Hyderabad (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad in July 1978
for an apparent consideration which is less than the fair marked value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Mrs. Garinder Kaur Kandhari, W/o Sri Surender Singh Kandhari, of M/s. Kandhari Corporation 15-1-53/3 at Feelkhana, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Mrs. K. Veera Lakshmi, W/o K. Raja Mowli, 15-5-258 at Osmanshai, Hyderabad.

(Transferee)

Objections if, any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land portion of plot No. E-3 at Gaganmahal Cooperative Development Society, Domalguda, Hyderabad, 299, Sq. Yds. registered vide Document No. 3009/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE NDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1979

Ref. No. RAC. No. 369/78-79.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No
3-5-784/15/1 situated at King Koti, Bishirbagh, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad in July-78
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Syed Osman-Al-Hasine, alias Azmat Alia,
S/o late Syed Asghar Al-Hasan,
H. No. 3-5-784/15 at King Koti, Hyderabad.
(Transferor)

(2) M/s. Kushal Apartments, Represented by its partner Smt. Nirmala Devi, Daga, W/o Sri S. L. Daga,
H. No. 4-6-489 (1st floor) Esamia Bazar,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazettee or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises bearing M. No. 3-5-784/15/1 at King Koti, Bashir Bagh Road, (Rajreddy Marg) Hyderabad, (admeasuring 1222 Sq. Yds.) registered vide Doc. No. 3012/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-3-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 15th March 1979

Ref. No. RAC. No. 370/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3-5-170/A/9 situated at Naranguda, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Hyderabad in July 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri D. Narasimha Sharma, S/o D. Rama Rao, H. No. 14 at M.I.G. Colony, Mehdipatnam, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri Bhagawati Prasad, H. No. 3-5-170/A/9 at Narayanguda, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 3-5-170/A/9 situated at Narayanguda, Hyderabad, 340 Sq. Yds. registered vide Document No. 2823/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-3-1979.
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 15th March 1979

Ref. No. RAC. No. 371/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 5-9-22/57, 57/1 situated at Adarshnagar Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Hyderabad in July 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Sri R. Madhusudan Reddy, 2. R. Raghupathi Reddy, 3. R. Pratapkumar Reddy, S. No. 1 & 3 residing at Bangalore, S. No. 2 residing at Begumpet, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri Kanayalal, H. No. 5-9-22/31 Adharshnagar, Hyderabad.
2. Smt. Roop, W/o Kanalyallal, Adharshnagar, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that land and Building No. 5-9-22/57, and 57/1 admeasuring 554.80 Sq. Yds. situated at Adarshnagar, Hyderabad, registered vide Document No. 2482/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 16th March 1979

Ref. No RAC No. 372/78-79—Whereas, I K . S VENKATARAMAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing

No. Open land situated at 6-2-30 Lakdikapul, Hyderabad (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Khairtabad in July 1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Sri Mohd. Subhan Hasan Ahmedi,
2 Mohd. Rizwan Hassan Ahmedi,
3 Dawood Ahmed Hassan Ahmedi,
4 Mohd. Ilyas Ahmedi.
Minors by guardian & father Seth Mohd Ilyas Ahmedi, residing at Road No 1, Banjara Hills, Hyderabad
5. Sri Seth Mohd Ilyas Ahmedi,
6 Smt Mahmooda Begum

(Transferor)

(2) Sri Sardar Amolak Singh, H. No 3-6-63 at Bashirbagh, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 456 Sq Yds. part of property M1 No 6 2-30 situated at A.C guards, near Lakdikapul, Hyderabad, registered vide Document No 1958/78 in the office of the Sub-Registrar Khairtabad

K. S VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date 16-3-1979
Seal .

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 19th March 1979

Ref No RAC No 373/78 79—Whereas, I K S VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
No 1-7 293/1, & 1-7-293/1/A at M G Road, Secunderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Secunderabad on July-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s Hilla Shapoor Moos,
H No 1-7-284/288 (126) at Mahatma Gandhi Road, Secunderabad
(Transferor)

(2) S/Sri D Ekamber, 2 D Vijyadevi,
3 D Vishweshwar Rao, 4 D Pushpavathi,
5 D Srinandan Rao, 6 D Chandrakala,
S No 1 to 2 H No 9-A at Padmaraonagar, Secunderabad
S No 3 to 6 at H No 5 9 30/1/10 Basheerbagh, Hyderabad
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Building H No 1 7-293/1 and 1-7-293/1/A known as Lido Restaurant' situated at Mahatama Ghandi Road, Secunderabad, registered vide Document No 1696/78 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad

K S VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date 19-3-1979
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 19th March 1979

Ref. No. RAC. No. 374/78-79.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 195 situated at Barbund Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Secunderabad on July-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Maimoona Hoshang Bharucha & Two others, Represented by S. M. Katrak, (G.P.A.) H. No. 209 at Sikh Road, Secunderabad.
(Transferor)

(2) Sri George Fernades, H. No. 25/B at Entrenchment Road, Secunderabad.
2. Sri Fedreic Fernandes,
3. Mrs. Alfred Fernandes,
R/o 25/B at Entrenchment Road, Secunderabad.
(Transferee)

Objectition, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bungalow No. 195 situated at Tarbund, Secunderabad, registered vide Doc. No. 1923/78 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 19-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 19th March 1979

Ref. No. RAC. No. 375/78-79.—Whereas, I K S. VENKATARAMAN,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. 6-3-852/3 situated at Ammerpet, Hyderabad

situated at

(and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Khairtabad on July-78

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, 1961 43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Smt. A. N. Vedambal, H. No. 6-3-852/A/2 at Ameerpet Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Kasturi Rajenderan, Post Box No. 177 Soft-Kwwait.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 6-3-852/3 situated at Ameerpet, Hyderabad, admeasuring 176.88 Sq. Mets. registered vide No. 1818 78 in the office of the Sub-Registrar Khairtabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 19-3-1979.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 2nd February 1979

Ref. No. P.R. N. 649Acq.23-1256/6-1/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 6A, Vishwas Colony, Race Course Rd. Baroda situated at Baroda Kasba S. No. 532, Plot Nos. 24, 25, 28, 29, 32 & 33
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 17-8-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. A. M. Patel & Co.,
205, Yashkamal Bldg.,
Baroda-390 005.
(Transferee)

(2) Shri Ramchandra Chhotubhai Mehta;
C/o Shri B. K. Naik,
'Naik Villa', Pratapganj,
Baroda-390 002.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6A with a floor area of 1120 sq. ft. in the Multi-storeyed building in Vishwas Colony, Race Course Road, Baroda 390 005 and fully described in the sale deed No. 3458 registered at the office of registering Officer, Baroda on 17-8-1978.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 2-2-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 14th February 1979

Ref. No. P.B. No. 650 Acq.23 1263/7-4/78-79.—Whereas, I S C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

New Tika No. 60, Survey No. 2753 in Ashanagar situated at Navsari

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Navsari in August, 1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohanlal Nagindas Bombaywala; Vadi Street, Navsari.

(Transferor)

(2) Sushil Apartment Coop. Housing Society Ltd., President : Shri Sukhabhai Raghabhai Patel; Hon. Secy. Shri Sumanbhai Ranchhodji Naik, Both Residing at Bombay House, Ashanagar, Navsari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX-A of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing New Tika No. 60, Survey No. 2753 in Ashanagar Navsari, admeasuring 495 sq. mts. and as described in the sale deed registered in August, 1978 vide Regn. No. 2623 by Registering Officer, Navsari.

S. C. PARIKH,
Competent Authority.
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 14-2-1979

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 20th February 1979

Ref. No. R.P. No. 652Acq.23-1265/19-7/78-79.—
Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Nondh No. 1867, Ward No. 1, situated at Mahidharpura, Balisheri, Surat
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 29-8-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kailashgauri Mulshanker Acharya;
Flat No. 6, 2nd Floor, Shivam Apartments, Athwa Lines, Surat.

(Transferor)

(2) Ramaben d/o Kalidas Ratanji
Mahidharpura, Balisheri, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building admeasuring 73-57-94 sq. mts. situated at Balisheri, Mahidharpura, Surat, registered under sale-deed No. 3585 on 29-8-1978 by the Registering Officer, Surat.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 20-2-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 23rd February 1979

Ref. No. Acq.23-I-1912(786)/16-6/78-79.—
Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Near Sidiwali Sheri, situated at Dhebar Road, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 5-8-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1992) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforsaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Pranlal Otamchand Shah,
12, Lower-Chitpur Road,
(Transferor)

(2) Shri Kanjibhai Jerambhai Malvi.
Mahila College,
Main Road, 'Parjiya",
Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A building standing on land admeasuring 87 sq. yds. situated near Sidiwalisheri, Dhebar Road, Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 3256 in the month of August, 1978.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 23-2-1979
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad 380 009, the 23rd February 1979

Ref. No. Acq 23-I-1911(787)/16-6/78-79.—
Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing
S. No. 457, T.P.S. No. 1 situated at Southern side to Raiya Road, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on 31-8-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely : —

(1) Koli Tapubhai Raghavbhai,
Vijaya Plot, Main Road,
Rajkot.

(Transferor)

(2) Food Corporation of India,
Employees Co-operative Housing Society Ltd.,
Amruta Estate, 4th Floor,
M.G. Road, Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 1 acre & 15 gunthas bearing S. No. 457 situated at T.P.S. No. 1, Raiya Road, Rajkot and as fully described in the sale deed registered vide R. No. 3634 dt. 31-8-1978.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 23-2-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE I, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 23rd February 1979

Ref. No. Acq 23-I-1914(788)/16-6/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 868, Plot No. B, situated at Rajkot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 18-8-1878 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mukundbhai Keshavram Pandit, "Sudarshan", Behind European Church, Race Course Road Rajkot

(Transferor)

(2) 1. Shri Chhotalal Dharamshi, Karta of Dharamshi Kala, H.U.F. Girnar Cinema, Rajkot.
2. Shri Ramesh Jamnadas Kantariya, Sardarnagar West Sheri No. 4, Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land adm. 1313-2-28 sq. yds. bearing S. No. 868, Plot No. B situated at Pradhyuman Nagar, Behind European Church, Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 3359 dated 8-8-1978.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 23-2-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 23rd February 1979

Ref. No. Acq.23-I-1909(789)/16-6/78-79.—
Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 896, situated at Dhebar Road, Rajkot,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Rajkot on 21-8-1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not **been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—**

(a) **facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;** and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, **1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Indira Jaysukhlal Desai,
"Pitru Smruti",
56, Jankalyan Society,
Rajkot.
(Transferor)

(2) Haren Trust,
through : trustees :
1. Shri Jayantkumar Motichandbhai Doshi,
2. Indumati Manilal Shah,
'Ila Villa', Ashapura Road,
Rajkot.
(Transferee)

(3) 1. Galord Tailors,
2. Voil Emporium,
3. Kalpana Steel Centre,
4. Shri Chamanbhai Gadhia,
5. Kranti Sales Agency,
6. Bharat Surgical Corporation,
7. Mahendrabhai Karthie,
8. Rasiklal Sagla,
9. Saurashtra Fertilisers.
"Haren Villa",
Dhebar Road, Rajkot.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) **by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from** the service of notice on the respective persons, **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in **the said immovable** property, within 45 days from the **date of the** publication of this notice in the **Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used **herein as** are defined in Chapter XXA of the said Act, **shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

A building known as "Haren-Villa" standing on land admeasuring 90.6-095 sq. yds. bearing S. No. 896 situated at Dhebar Road, Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 3491 dated 21-8-78.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 23-2-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 7th March 1979

Ref. No. P.R. No. 653 Acq.23-1294/6-1/78-79.—
Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing land Survey No. 168/2 situated at Sayed Vasna area, Baroda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 11-8-78 & 13-9-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269-D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Ravjibhai Shivabhai Patel;
2. Shri Narendrakumar Ravjibhai Patel,
3. Shri Chandrakantbhai Ranchhodbhai Patel,
All staying in 'Kunj Society' Alkapuri, Baroda.

(Transferor)

(2) Matrimandir Co-op. Housing Society, C/o 17, Arunoday Society, Alkapuri, Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property, being land bearing Survey No. 168/2 at Sayed Vasna, sold under 4 sale-deeds (i) 3353 on 11-8-78 (ii) 3354 on 11-8-78 (iii) 3804 on 13-9-78 (iv) 3805 on 13-9-78 and fully described in the above sale-deeds.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ahmedabad.

Date : 7-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE II 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009 the 9th March 1979

Re No P R 654 Acq 23-1198/19 7 78 79 —
Whereas, I, S C PARIKH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
Nondh No 100 situated at Khandwala Sheri, Wadi Falia Ward No 9, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat in August, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1 Nalinkant Chhaganlal
Dhiraj Bhavan, Peddar Road,
Bombay
2 Smt Hansaben
w/o Nalinkant Chhaganlal
Dhiraj Bhavan Peddar Road
Bombay
3 Dhirsukhlal Chhaganlal
Dhiraj Bhavan, Peddar Road,
Bombay
4 Smt Urvashi
w/o Dhirsukhlal Chhaganlal,
Dhiraj Bhavan Peddar Road,
Bombay
5 Jitendra Chhaganlal,
Sikkanagar, Khetwadi
Bombay
6 Vibhutiben Jitendra lal
Sikkanagar Khetwadi
Bombay
7 Nirmalaben Chhaganlal
Hanuman Nivas, 7th Gali Khetwadi
Bombay
8 Ansuben Chhaganlal
Hanuman Nivas 7th Gali Khetwadi,
Bombay

(Transferors)

(2) Shri Ambalal Mulubhai Shah
Wadi Falia, Khandwala Sheri
Surat

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land and building situated at Nondh No 100 in Khandwala Sheri Wadi Falia Ward No 9 Surat admeasuring 310 sq yds duly registered with registering authority at Surat in the month of August 1978

S C PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Ahmedabad

Date 9 3 1979
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 9th March 1979

Ref. No. P.R No. 656 Acq 23-1199/19-7/78-79.—
Whereas, I, S. C PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 1998 and 1999 situated at Hanuman Pole,
Soni Falia, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Surat in August, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Taraben Vithaldas Marfatia,
Soni Falia, Hanuman Pole, Surat.
2. Chandrakant Vithaldas Marfatia
3. Pratul C. Marfatia,
4. Bharati Chandrakant Marfatia
c/o 'Chitra' West Avenue, Santacruz,
Bombay.
5. Sashikant Vithaldas Marfatia,
6. Madhuri Sashikant Marfatia,
7. Vithal Sashikant Marfatia,
Ratnabad, Slater Road,
Bombay

(Transferor)

(2) 1. Shri Gopaldas Kasandas Bodiwala,
2. Shri Amratlal Gopaldas Bodiwala,
3. Shri Thakordas Gopaldas Bodiwala,
4. Shri Arvindlal Gopaldas Bodiwala,
5. Shri Pravinchandra Gopaldas Bodiwala,
6. Smt. Chandiben Gopaldas Bodiwala
7. Smt. Taraben Amrutlal Bodiwala,
8. Smt. Manjulaben Arvindlal Bodiwala,
9. Smt Minakshiben Pravinchandra Bodiwala,
Soni Falia, Hanuman Pole, Surat

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated Nondh No. 1998 and 1999, Hanuman Pole, Soni Falia, Surat, registered with Registering authority at Surat in August, 1978.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ahmedabad

Date : 9-3-1979
Seal ;

22—36GI/79

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD

Ahmedabad 380 009, the 12th March 1979

Ref. No. Acq.23-I-2002(792)/16-/78-79.—
Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable properyt, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 476, Paiki Plot No. 4-A and 4-B situated at
Behind Race Course, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on 14-8-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such trasnfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the libility of the transferor to pay tax under the 'said Act,' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Harshadbhai Rasiklal Shah,
Gondal Road, Rajkot.
(Transferor)

(2) Smt. Manjulaben Gokaldas Wadia,
Mehulnagar, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 776-8-0 sq. yds. bearing S. No. 476, Paiki Plot Nos. 4A and 4B situated behind Race Coure and north of Adarsh Society, Rajkot, and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 3402 dated 14-8-1978.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12-3-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 16th March 1979

Ref. No.Acq.23-I-1796(793)/18-5/78-79.—
Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 161), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sim Survey No. 1722 situated at Opp : to M.P Shah Arts & Science College, Surendranagar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Wadhavan in August, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the of this notice under sub-section (1) of Section 269 D of the Said Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : —

(1) Sanghvi Products, Surendranagar,
through : partner Shri Himmatlal Vakhatchand Sanghvi, Kukda Press, Surendranagar.
(Transferor)

(2) Emersion Engineering Enterprise,
through partner Shri Ravjibhai Anandjibhai Patel,
Nr. Railway Gate Station,
Surendranagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing Sim Survey No. 1722, admeasuring 1112 sq. yds. situated on main road, opp : to Shri M. P. Shah Arts & Science College, Surendranagar, duly registered by Registering Officer, Wadhwan, vide Saledeed No. 1943/August, 1978 and property as fully described therein

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 16-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD

Ahmedabad-890 009, the 21st March 1979

Ref No Acq 23-I 1814(794)/11-4/78 79 —
Whereas, I, S C PARIKH,
being the Competent Authority, under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No 1990 situated at Khjadi Chowk Bhojeshwar Plot Porbandar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Porbandar on 19 8-1979
for an apparent consideration which is less than than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitatin gthe concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely —

(1) Smt Nirmalaben Valabhdas;
w/o Narottamdas Anandji Buddhdev,
Natver Chowk, Porbandar
(Transferor)

(2) Shri Ramniklal Jivanlal Gajjar,
Bhadrakali Road, Gajjar Engineering Works,
Porbandar
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 379 3 9 sq yds bearing Survey No 1990, situated in Ward No 3, at Khjadi Chowk Bhojeshwar Plot, Porbandar and as fully described in the sale deed Registered vide Registration No 2889 dated 19 8 1978

S C PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I Ahmedabad

Date 21-3--979
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BIHAR

Patna, the 9th January 1979

Ref. No. III-298/Acq/78-79.—Whereas I, J. NATH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Khata No. 248, Khesra No. 156, 157, 158(old), and Khata No. 87, Khesra No. 209 (new) in Ward No. 32,
situated at Mohalla Mithanpura-lala, Dist. Muzaffarpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Muzaffarpur on 23-7-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such trasnfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kishan Tiwary S/o
Shri Gulam Tiwari,
r/o Mithanpur-lala, Dist. Muzaffarpur.
(Transferor)

(2) S/Shri Pramod Kumar, Anand Kumar and Binod Kumar and Subodh Kumar minor sons of Shri Ram Shresth Singh
r/o Club Road, Mithanpur-lala in Muzaffarpur town.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other, person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land area 6 Khathas bearnig Khata No. 248, Khesra No. 156, 157, 158 (old) and Khata No. 87, Khesra No. 209 (new) in Ward No. 32 of Muzaffarpur Municipality more-fully described in deed No. 9935 dated 23-7-1978 registered with D.S.R., Muzaffarpur.

J. NATH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar.

Date : 9-1-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
BIHAR

Patna, the 10th January 1979

Ref. No. III-299/Acq/78-79.—Whereas I, J. NATH, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
holding No. 37, Ward No. 5, Circle No. 2, Khata No. 559 plot No. 1394
situated at Mehdichak, Bhagalpur
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bhagalpur on 25-7-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Meera Devi w/o
Shri Ajoy Kumar Sinha, advocate
r/o Mohalla Mashakchak,
P.S. Kotwali, Distt. Bhagalpur
(Transferor)

(2) Shri Rajballabh Narain Sinha, s/o
Shri Ram Sunder Sinha,
At/P.O. Rampur, Distt. Bhagalpur.
(Transferee)

(3) Transferee (Person in occupation of the property)
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land area 6188 sq. ft. bearing holding No. 37, Ward No. 5, Circle No. 2, Khata No. 559, Plot No. 1394, situated at Mehdichak, Bhagalpur described morefully in deed No. 7980 dated 25-7-1978 registered with the D.S.R., Bhagalpur.

J. NATH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar,
Patna

Date: 10-1-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BIHAR

Patna, the 9th February 1979

Ref. No. III-306/Acq/78-79.—Whereas I, J. NATH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Touzi No. 8/1, Plot No. 310, 311 and 316, Municipal Holding No. 7, formerly No. 16 under forbesganj Municipality,
situated at Forbisganj, Dist. Purnea
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, at Calcutta on 27-7-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Ginia Devi,
w/o Shyamsunder Shah,
55, Lansdowne Road,
Calcutta.
(Transferor)

(2) 1. Smt. Indu Devi Maskara
w/o Sri Rajendra Kumar Maskara.
2. Smt. Nirmala Devi Maskara
w/o Sri Dilip Kumar Maskara.
3. Smt. Savitri Devi Maskara
w/o Sri Jagdish Prasad Maskara.
4. Smt. Seema Devi Maskara
w/o Sri Jyoti Prakash Maskara
r/o 9, Jagmohan Mallick Lane,
Calcutta.
5. Smt. Saroj Devi Maskara.
6. Smt. Sharda Devi Maskara,
w/o Bijoy Kumar Maskara
r/o Begusarai, Bihar.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 7 Bighas 7 Kathas and 15 Dhurs with building, godowns, gaddi house, being Touzi No. 8/1, Plot No. 310, 311 and 316, Municipal Holding No. 7, formerly No. 16, under Foresganj Municipality, situated at Forbesganj, Dist. Purnea, described in deed No. I-3614 dated 21-7-1978 registered with the District Sub Registrar, Calcutta.

J. NATH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar.

Date : 12-2-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BIHAR

Patna, the 9th February 1979

Ref No III-305/Acq /78-79.—Whereas I, J NATH, being the competent authority under section 269 of the Income tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25 000/ and bearing No
Touzi No 8/1, Plot No 310, 311 316, Municipal Holding No 7 formerly No 16, under Forbesganj Municipality, situated at Forbganj, Dist Purnea
(and more fully described in the Schedule annexed herto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely —

(1) Smt Gima Devi,
w/o Sri Shyamsundar Shah
55, Lansdowne Road
Calcutta
(Transferor)

(2) Shri Raj Bijoy Singh Dugar,
s/o Late Askaran Dugar
Residing at Forbesganj
Dist Purnea
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land measuring 17 Kathas and 14 Dhurs with building godowns, gaddi house, being Touzi No 8/1, Plot No 310, 311 and 316, Holding No 7 formerly No 16, under Forbesganj Municipality, situated at Forbesganj, Dist Purnea described in deed No 13613 dated 21-7-1978 registered with the District Sub Registrar Calcutta

J NATH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax
Acquisition Range, Bihar

Date 9-2-1979
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
BIHAR

Patna, the 28th February 1979

Ref. No. III-312/Acq/78-79.—Whereas I, J. NATH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Thana No. 137, holding No. 175(old), 240(new), Ward No. 10(old), No. 2(new), Circle No. 9, sheet No. 32, plot No. 727, 728 & 729, situated at Mohalla Moharampur, Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 21-7-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

23—36GI/79

(1) Shri Fanindra Prasad,
s/o Sri Maheshwar Pd. Sinha,
resident of Station Road, Patna
Presently Kanke Road, Ranchi.
(Transferor)

(2) Sri Arjun Prasad,
s/o Sri Ram Kishun Pd.,
resident of North Mandiri,
Patna.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Homestead land measuring 2 kathas 6 dhur 11 dhurki, situated at Mahalla Moharampur, P.S. Kotwali, Patna bearing Thana No. 137, holding No. 175(old), 240(new), Ward No. 10(old), No. 2(new), circle No. 9, sheet No. 32, plot No. 727, 728 and 729 registered with the Dist. Sub Registrar, Patna morefully described in deed No. 4784 dated 21-7-78.

J. NATH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar.

Date : 28-2-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BIHAR

Patna, the 28th February 1979

Ref No III 307/Acq/78-79.—Whereas I, J NATH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
part of holding No 172 new, circle No 9, Ward No 2, M S Plot No 857
situated at Exhibition Road, Patna
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 13 7 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) Abhaya Nath Banerjee,
s/o late Narendra Nath Banerjee,
Frazer Road, Patna
(Transferor)

S/Shri
(2) Umakant Pd Sahu,
Radhakant Pd Sahu,
Ramakant Pd Sahu,
Lakshmikant Pd Sahu,
Ratnakant Pd Sahu,
Kamalkant Pd Sahu,
Sons of Sri Krishna Modan Pd Sabu,
Sahu Road, Muzaffarpur
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Old tenaments with vacant land and brick built khapraposh with trees measuring 1 katha 10½ dhurs bearing part of holding No 172 new, circle No 9, Ward No 2, M S Plot No 857, situated at Exhibition Road, Patna (vide deed No 4610 dated 13 7 78 of D S R Patna).

J NATH
Competent Authority,
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar.

Date : 28 2 1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna, the 28th February 1979

Ref No III-308/Acq/78-79.—Whereas I, J. NATH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
part of holding No 172(new) in circle No 9, Ward No 2, M S Plot No 857
situated at Exhibition Road, Patna
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Patna on 13-7-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Anima Banerjee,
widow of late Sri Amar Nath Banerjee, as self and guardian of her minor sons namely Ambernath Banerjee, Arupnath Banerjee, Apurvanath Banerjee and minor daughter namely Chandrai Banerjee of Fraser Road, Patna
(Transferor)

S/Shri
(2) Umakant Pd Sahu,
Radhakant Pd Sahu,
Rumakant Pd Sahu,
Lakshmikant Pd Sahu,
Ratnakant Pd Sahu,
Kamalkant Pd Sahu,
Sons of Sri Krishna Modan Pd. Sahu,
Sahu Road, Muzaffarpur
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Old tenaments, brick built khapraposh with vacant land and tree measuring 1 katha 10½ dhurs of land bearing part of holding No 172 (new) in circle No 9, Ward No 2, M S Plot No 857 situated at Exhibition Road, Patna (as per deed No 4611 dated 13-7-78 of D S R, Patna).

J. NATH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Bihar,

Date 28 2 1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna, the 28th February 1979

Ref. No. III-309/Acq/78-79.—Whereas I, J. NATH, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Holding No. 172, S.M.P. No. 857 in circle No. 9, ward No. 2 (
situated at Exhibition Road, Patna
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Patna on 13-7-1978
market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Asok Nath Banerjee,
s/o late Narendra Nath Banerjee,
Frazer Road, Patna.
(Transferor)

S/Shri
(2) Umakant Pd. Sahu,
Radhakant Pd. Sahu,
Rumakant Pd. Sahu,
Lakshmikant Pd. Sahu,
Ratnakant Pd. Sahu,
Kamalkant Pd. Sahu,
Sons of Sri Krishna Modan Pd. Sahu,
Sahu Road, Muzaffarpur.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Old tenaments, brick built khapraposh with vacant land and tree measuring 1 katha 10½ dhurs of land bearing part of holding No. 172 (new) M.S. Plot No. 857, in circle No. 9, Ward No. 2 situated at Exhibition Road, Patna morefully described in deed No. 4612 dated 13-7-1978 of D.S.R. Patna.

J. NATH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar,
Patna

Date : 28-2-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BIHAR BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna, the 28th February 1979

Ref. No. III-310/Acq/78-79.—Whereas I, J NATH, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing part of holding No. 173(new) in circle No. 9, Ward No. 2, M.S. Plot No. 857 situated at Exibition Road, Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 13-7-1978 for an apparent consideration which is less than the fair arket value of the aforesaid property and have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ambuj Nath Banerjee, s/o late Narendra Nath Banerjee, Frazer Road, Patna.

(Transferor)

S/Shri
(2) Umakant Pd. Sahu,
Radhakant Pd. Sahu,
Ramakant Pd. Sahu,
Lakshmikant Pd. Sahu,
Ratnakant Pd. Sahu,
Kamalkant Pd. Sahu,
Sons of Sri Krishna Modan Pd. Sahu,
Sahu Road, Muzaffarpur.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Old tenaments, brick built khapraposh with vacant land and tree measuring 1 katha 10½ dhurs of land bearing part of holding No. 173(new) in circle No. 9, Ward No. 2, M.S. Plot No. 857, situated at Exhibition Road, Patna (as per deed No. 4613 dated 13-7-78 of D.S.R., Patna).

J. NATH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar,
Patna

Date : 28-2-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna, the 28th February 1979

Ref. No. III-311/Acq/78-79.—Whereas I, J. NATH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
part of holding No. 172(new) in circle No. 9, Ward No. 2, at M. S. Plot No. 857
situated at Exhibitoin Road, Patna
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Patna on 13-7-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) Facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ajoy Nath Banerjee,
s/o late Narendra Nath Banerjee,
Frazer Road, Patna.
(Transferor)

S/Shri
(2) Umakant Pd. Sahu,
Radhakant Pd. Sahu,
Ramakant Pd. Sahu,
Lakshmikant Pd. Sahu,
Ratnakant Pd. Sahu,
Kamalkant Pd. Sahu,
Sons of Sri Krishna Modan Pd. Sahu,
Sahu Road, Muzaffarpur.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Old tenaments, brick built khapraposh with vacant land and tree measuring 1 katha 10½ dhurs of land bearing part of holding No. 172(new) in circle No. 9, Ward No. 2, M.S. Plot No. 857, situated at Exhibition Road, Patna (as described morefully in deed No. 4614 dated 13-7-78 of D.S.R., Patna.

J. NATH
Acquisition Range, Bihar,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar.

Date : 28-2-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 16th March 1979

Ref. No. F. No 73/Acq/Aligarh/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per Schedule, situated at As per Schedule,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Aligarh on 1-8-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Prem Shanker Jha
S/o Panna Lal Jha
r/o Maris Road, Aligarh.
(Transferor)

(2) Shri Ghanshyam Das Maheshwari, s/o Mool Chand Maheshwari,
Old Kotwali Jaiganj Road,
Aligarh.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house property No. 13/54 situated at Bazar Kalan (Sarafa) Aligarh sold for an apparent consideration of Rs. 40,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 60 000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 16-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 16th March 1979

Ref. No. F. No. 233/Acq/Etawah/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule, situated at As per Schedule,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Etawab on 21-8-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely : —

(1) Dr. Aftab Ahmad Shah, s/o Maulavi Gulam Jakaria Shah Marhum r/o Mohalla Katra Shamsher Khan Bahaisiat Mukhtar-ai-am Mumtaj Hussain and others.
(Transferors)

(2) S/Shri Rais Fatma urf Shahjad Jahan Jauja Master anwar Hussain Rahat Akil 'Ishrat Anwar s/o Master Anwar Hussain and Kanij Mohsin Jauja Mohd. Mohsin Marhum r/o Etawah Mohalla Saidvara.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house property No. 9 & 8 Mohalla Sarai Sheikh, Etawah sold for an apparent consideration of Rs. 32,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 50,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 17-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 17th March 1979

Ref. No. IR/466/Acq/Agra/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule, situated at As per Schedule,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Agra on 3-8-1978
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Chanda Bai w/o
Devan Das & others, r/o
17/30 Tilamai Than Ghatia Ajam Khan,
Agra.
(Transferor)

(2) Smt. Shila Devi Jain,
w/o Padam Chand Jain,
Smt. Ratan Devi Jain,
w/o Puran Chand Jain
r/o Kutchehari Ghat, Agra.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 17/80 Tilamai Than Hatia Ajam Khan Hari Parvat Ward, Agra sold for an apparent consideration of Rs. 66,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 103,600/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 17-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 19th March 1979

Ref. No TR/No 555/Acq./Kpr/78-79.—Whereas I, B. C CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule, situated at As per Schedule,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Kanpur on August 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Pran Nath Kapoor, s/o
Sri Dwarka Pd.,
Kanpur.

(Transferor)

(2) Sri Ram Khattar, Karta HUF Raj Khattar,
Kamal Kishore Arora,, Smt Shashi,
112/212 B Part, Swaroopnagar,
Kanpur.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No 112/212 B Part, Swaroopnagar, Kanpur sold for an apparent consideration of Rs 200,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 250,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Seal :
Date : 19-3-1979

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 19th March 1979

Ref. No. 552/Acq./Kanpur/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to of the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule, situated at As per Schedule,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Kanpur on August 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Indra Gupta, Vibhu Gupta and others d/o Sri Shivpal Nawabnagar,
Lucknow.

(Transferor)

(2) S/Shri Jamuna Prasad Agrawal and others sons of Sri Shyam Sunder Agrawal,
112/212 Swaroopnagar,
Kanpur.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 117/128 Sarvodayanagar, Kanpur sold for an apparent consideration of Rs. 220,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 343,750/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 19-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 21st March 1979

Ref. No. F. No. 440/Acq/Jalaun/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per Schedule, situated at As per Schedule,
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jalaun on 5-8-1978
for an apparent consideration which is less than the fair marked value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Narain s/o Matadin
r/o post Navar Pargana & Distt. Jallaun.
(Transferor)

(2) Smt. Jamuna Devi Shukla
w/o Anjani Kumar Shukla
r/o post Navar Pargana & Distt. Jallaun.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land, situated at village Navar Pargana & Distt. Jalaun sold for an apparent consideration of Rs. 30,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 55,500/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 21-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1), OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 21st March 1979

Ref. No. F. No. 109/Acq/KPR/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per Schedule, situated at As per Schedule,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 14-8-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Raghuvir Singh s/o
Sardar Kundan Singh
Quarter No. 98 Block N.I.I.G. Municipal No. 133/27/98, Kidwainagar,
Kanpur.

(Transferor)

(1) Sardar Amarjit Singh,
s/o Brijmohan Singh Bhatia,
L.I.G. 133/27/98 Kidwainagar,
Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 133/27 98 Kidwainagar, Kanpur sold for an apparent consideration of Rs. 42,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 60,000/-

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 21-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 21st March 1979

Ref. No. TR No. 619 Acq/F. Bad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule, situated at As per Schedule, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Farrakhabad on 4-8-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrumem of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kailash Narain, s/o Maharaj Shiv Narain, r/o Mohalla Lohai, West Farrakhabad.

(Transferor)

(2) S/Shri Shailendra Singh, Jitendra Singh, Bhupendra Singh, Ramendra Singh, sons of Chavinath Singh, Vilayat r/o Nagala Harsinghpur, Mauja Gurgav, Pargana 'Mohamdabad', Post Kaghiana, Distt. Farrukhabad.

(Transferees)

Objections, if any to the acqusition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land, situated at Mauja Naigai, Pargana Mohamdabad, Distt. Farrakhabad sold for an apparent consideration of Rs. 16,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 82,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority.
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 21-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 21st March 1979

Ref. No. F. No. 110/Acq/KPr 78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule, situated at As per Schedule,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kanpur on 2-8-1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following person, namely :—

(1) S&Shri Danial Rasd Ali Khan s o Kunwar Ismail Ali,
r/o Kothi Darul-islam Amir Nisha,
Civil Lines Shahar kol, Distt. Aligarh
Mukhtar-al-am Mst. Amir Bano, w/o Majjur Husain,
Mohd. Ajum,
Mohd. Naim,
Mohd. Nadim Pisran,
Mu. Bibi Nighat Parvin,
Mu. Bibi Nujhat Parvin Dakhtar sa. Manjur Hussain
r/o Amir Nisha, Civil Lines,
Shahar Kol, Distt. Aligarh.

(Transferors)

(2) S/Shri Ashiq Ali s o Haji Madar Bux,
Mohd. Faruq, s o Nizamuddin,
r/o 101/94 Talaq Mohal,
Kayasthana Road, Kanpur.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 97/120 Talaq Mohal, Abdul Gani Road, Kanpur sold for an apparent consideration of Rs 45,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 57,200/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 21-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 23rd March 1979

Ref. No. 677-A Kanpur/78-79.—Whereas, I,
B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Kanpur on 23-8-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :

1. S Shri B. D. Mista s/o Baijnath Misra 120/184, Narainpurwa, Lajpatnagar, Kanpur.
(Transferor)
2. S/Shri Kailash Chandra, Devendra Kumar, Ashok Kumar Ramesh Chand sons of Sri Ram Das r/o 122/69 Sarojani Nagar, Kanpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any ohter person inerested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act,' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 120/184 Lajpatnagar, Kanpur sold for an apparent consideration of Rs. 80,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 103,869/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Seal :
Date : 23-3-1979

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 26th March 1979

Ref. No. F. No 222/Acq /Rath/78-79.—Whereas I B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No
number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rath (Hamirpur) on 28-9-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

25—36GI/79

1. Smt. Sarojini w/o Sri Pragi Lal r/o Vihuvi Pargana Muskara, Tah. Maudaha, Distt. Hamirpur and others
(Transferor)

2. S/Shri Mohar Singh, Karan Singh, Ram Kumar, Bal Mukund, Ram Lakhan s/o Sardoi Pargana & Teh. Rath, Distt. Hamirpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as giver in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 8 74 Acre situated at Nauranga Tehsil Rath Distt. Hamirpur sold for an apparent consideration of Rs. 16,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 87,400/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 26-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 26th March 1979

Ref. No. TR/565/Acq/Chh. Mau/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Chibramau on 19-9-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the of this notice under sub-section (1) of Section 269 D of the Said Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

1. S/Shri Yogesh Chandra, Rajesh Chandra sons of Sri Ram Narain r/o Lachwai Post Chibra Pargana, Tah. & Distt. Etawah.
(Transferor)

2. S/Shri Munim, Rameshwar, Shanti Swarup, Ram Babu sons of Hazari Lal present resident of Uncha Post Khas Pargana & Tah. Chibramau, Distt. Farrakhabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expire later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 7.73 Acre, half portion situated at Mauja Uncha Tahsil Chibramau Distt. Farrakhabad sold for an apparent consideration of Rs. 29,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 62,020/

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 26-3-1979

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 26th March 1979

Ref. No. TR/524/Acq./F.bad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Firozabad on 17-9-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely :—

1. Smt. Bramha Devi w/o Lala Basant Lal, Sajan Behari s/o Lala Basant Lal and others r/o Jalesar Road, Kasba Firozabad, Distt. Agra.
(Transferor)

2. S/Shri Suresh Chandra Agarwal s/o Lala Sripat Lal, Jhoj Kumar s/o Suresh Chandra r/o Hanumanganj, Kasba Firozabad, Distt. Agra and others.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property land 22292 sq. ft. Mohalla Nai Basti Firozabad sold for an apparent consideration of Rs. 90,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 3,75,000/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 26-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 26th March 1979

Ref No. TR/566/Acq /Chh Mau/78-79 —Whereas I, B C CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chibramau on 19 9-79
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Smt Shyam Payari w/o Jageshwar Prasad r/o Nagala Durga Mauja & Post Mighauli Pargana & Tahsil Chibramau, Distt Farrakhabad
(Transferor)

2 Smt Katori Devi w/o Matadin r/o Mighauli Mauja & Post Mighauli Pargana & Tah Chibramau, Distt Farrakhabad
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 3 46 Acres situated at village Mighauli, Pargana Chibramau, Distt Farrakhabad sold for an apparent consideration of Rs 36,000/ the fair market value of which has been determined at Rs 55,360/

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date 26 3 1979
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur the 26th March 1979

Ref No TR/582/Acq/Kannauj/78 79—Whereas I, B C CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kannauj on 20-8 78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1 S/Shri Girvar Sahai s/o Sitaram r/o Manimau Parg & Tah Kannauj, Distt Farrakhabad

(Transferor)

2 S/Shri Ajit Kumar, pramod Kumar, Rajnish Kumar sons of Sidhan Dayal and others r/o Narain Purwa Mauja Udalpur, Parg Kannauj, Distt Farrakhabad

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 5 23 Acre situated at Mauja Manimau Pargana Kannauj, Distt Farrakhabad sold for an apparent consideration of Rs 80,000/- the fair market value of which has been determined at Rs 115,000/

B C CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date 26 3-1979

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 28th March 1979

Ref. No. 616-A/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gaziabad on 8-8-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. S/Shri Jai Chand and Jai Kishan r/o 235 Nai Basti, Purani Munsafi, Gaziabad.

(Transferor)

2. S/Shri Bramha Nand s/o Lakhi Ram c/o M/s. Lakhi Ram Brahha Nand, Cloth Merchant Jawahar Gate, Gaziabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 248 and 249-A Jawahar Gate, Gaziabad sold for an apparent consideration of Rs. 55,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 102,000/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 28-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 29th March 1979

Ref. No. 242-A/Gaziabad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Meerut on 30-8-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1() S/Shri Girdhari Lal s/o Adopted Sri Kedarnath Ji r/o Kasba Hapur Mohalla Khirki Bazar, Gaziabad.
(Transferor)

(2) S/Shri Sarfraj Khan, Usman Khan, Rizvan Khan s/o Mohd. Ismail r/o vill. Asora Parg. & Tah. Hapur Post Khas, Distt. Gaziabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at vill. Dharlkhera, Distt. Meerut sold for an apparent consideration of Rs. 165,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 240,000/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 29-3-1979
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 29th March 1979

Ref. No. 236-A/PN.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Meerut on 16-8-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Anil Kumar Urf Anil Singh, Sri Ajai Kumar Urf Ajai Singh s/o Sri Kripal Singh r/o Mohalla Mohanpuri, Meerut through Sri Kripal Singh.
(Transferor)

(2) S/Shri Pisar Chaudhary Ghanshyam Singh Mukhtar-ai-am Sri Jagvir Singh Khokhar s/o Sri Mullan Singh r/o Mauja Badarkha Post Chaprauli, Tah. Bagpet, Distt. Meerut.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property situated at Mohalla Mohanpuri, Meerut sold for an apparent consideration of Rs. 90,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 133,275/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 29-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 29th March 1979

Ref. No. 658-A.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghatampur on 16-8-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Shiv Karan, Kokaran, Jai Karan s/o Ram Nath Misra r/o Oria Post & Tah. Ghatampur, Dist. Kanpur.

(Transferor)

(2) S/Shri Bhagwandin s/o Kamla Shiv Narain Singh Devi Singh r/o Dandari Post & Tah Ghatampur, Distt. Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at village Gunuthupur, Tah. Ghatampur sold for an apparent consideration of Rs. 44,600/- the fair market value of which has been determined at Rs. 74,500/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 29-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 29th March 1979

Ref. No. 828-A/M.Nagar/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Budhana on 17-8-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Jodilal s/o Sarupa r/o Kandhala Pargana Khas Tahsil Budhana, Distt. Muzaffarnagar.
(Transferor)

(2) S/Shri Sripal Jain s/o Jiya Lal, Jinda s/o Mohd. Yasin r/o Garhi Daulat Pargana Khas Tahsil, Budhana, Distt. Muzaffarnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at village Kandhala sold for an apparent consideration of Rs. 38,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 70,000/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 29-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 4th April 1979

Ref. No. 262-A.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Budhana on 17-8-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Anand Prakash s/o Bramha Singh Tyagi r/o Tinkarpur Pargana Shikarpur, Tahsil Budhana, Distt. Muzaffarnagar.

(Transferor)

(2) S/Shri Hari Kishan, Harpal Singh, Rishipal Singh, Krishnapal Singh sons of Hardayram, Bhupendra s/o Bramha Singh guardian Hardayram s/o Raj Singh, Niranjan Singh s/o Mangal Singh r/o Rasulpur Jatan Pargana Shikarpur, Tahsil Budhana, Distt. Muzaffarnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at village Dinkarur Pargana Shikarpur, Tahsil Budhana, Distt. Muzaffarnagar sold for an apparent consideration of 38,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 68,000/-

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 4-4-79
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 3rd April 1979

Ref. No. 244-A/PN/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Sardana on 9-8-78
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, 1961 43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Surendra Singh s/o Raghuvir Singh, Virendra Singh adopted son Laxman Singh through Smt. Mahendra Pal Kumari w/o Laxman Singh Mother and Mukhtar-ai-khas Virendra Singh s/o Laxman Singh r/o village Tamnoti Pargana, Varnavi, Tahsil Sardana, Distt. Meerut.

(Transferor)

(2) S/Shri Katar Singh, Vikram Singh s/o Aman Singh, Mahendra Singh, Ranvir Singh s/o Ameram r/o village Sirsali Pargana Varnata Tahsil Sardana, Distt. Meerut.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at village Sarsali Tahsil Sardana Distt. Meerut purchased for an apparent consideration of Rs. 39,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 57,000/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 3-4-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 3rd April 1979

Ref No 250 A/PN/Meerut—Whereas I, B C CHATURVLDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the said Act)
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/ and bearing number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sardana on 7 8 78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Tariff s/o Karam Singh r o village Dulheda Chauhan Uargana Daurala, Tahsil Sardana, Distt. Meerut

(Transferor)

(2) S/Shri Onkar Singh, Raj Kumar, Vinod Kumar sons of Raghuvar Dayal r/o village Dulheda Chauhan Pargana Daurala, Tahsil Sardana, Distt Meerut.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at village Dulheda Chauhan, Pargana Daurala, Tahsil Sardana, Distt Meerut sold for an apparent consideration of Rs 36,450/- the fair market value of which has been determined at Rs 56,000/-

B C CHATURVLDI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date 3 4 1979
Seal .

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW
57—RAM TIRATH MARG,
LUCKNOW

Lucknow, the 30th March 1979

Ref. No. S-172/Acquisition.—Whereas, I, AMAR SINGH BISEN
being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
53-Shahganj, Allahabad situated at Shahganj, Allahabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Allahabad on 21-8-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sudhir Tandon &others. (Transferor)

(2) Sudhir Kumar Keswani & others. (Transferee)

(3) Sudhir Tandon. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed house No. 53 Shahganj, Allahabad and all that description of the property which is mentioned in Form 37-G and sale-deed registered in the Office of the Sub-Registrar, Allahabad on 21-8-1978

AMAR SINGH BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 30-3-1979
Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION (1979) FOR PROMOTION TO THE GRADE OF ASSISTANT ENGINEER (C.P.W.D.)

New Delhi, the 28th April 1979

No. F.25/1/79-E.I.(B).—A limited departmental competitive examination for promotion of Junior Engineers (Civil/Electrical) to the Assistant Engineers' Grade (Civil/Electrical) in the Central P.W.D. will be held by the Union Public Service Commission on 18th September, 1979 at BOMBAY, CALCUTTA, DELHI, DISPUR (GAUHATI), KATHMANDU, MADRAS, NAGPUR and PORT BLAIR in accordance with the Rules published by the Ministry of Works and Housing in the Gazette of India, dated 28th April, 1979.

THE CENTRES AND THE DATE OF THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE COMMISSION. CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED OF THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF EXAMINATION (See Anexure, Para 8).

(i) Assistant Engineer (Civil .. 124
(includes 19 vacancies reserved for Scheduled Castes and 9 vacancies for Scheduled Tribes candidates).

(ii) Assistant Engineer (Electrical, .. 27
(includes 4 vacancies reserved for Scheduled Castes and 2 vacancies for Scheduled Tribes candidates).

The above numbers are liable to alteration.

N.B.—Candidates should indicate clearly in their applications the Grade *i.e.* Assistant Engineer (Civil) or Assistant Engineer (Electrical) for which they wish to compete.

3. A candidate seeking admission to the examination must apply to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011, on the prescribed form of application. The prescribed form of application and full particulars of the examination are obtainable from the Commission by post on payment of Rs. 2.00 which should be remitted to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011, by Money Order or by Indian Postal Order payable to the Secretary, Union Public Service Commission, at New Delhi General Post Office. Cheques or currency notes will not be accepted in lieu of Money Orders/Postal Orders. The forms can also be obtained on cash payment at the counter in the Commission's office. *This amount of Rs. 2.00 will in no case be refunded.*

NOTE.—Candidates are warned that they must submit their applications on the printed form prescribed for the Limited Departmental Competitive Examination (1979) for promotion to the grade of Assistant Engineer (C.P.W.D.). Applications on forms other than the one prescribed for the Limited Departmental Competitive Examination, (1979) for promotion to the grade of Assistant Engineer (C.P.W.D.) will not be entertained.

4. The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011, on or before the 11th June 1979 (25th June, 1979 in the case of candidates residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep from a date prior to 11th June, 1979, accompanied by necessary documents. *No application received after the prescribed date will be considered.*

A candidate residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep may at the discretion of the Commission be required to furnish documentary evidence to show that he was residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep from a date prior to 11th June, 1979.

5. Candidates seeking admission to the examination, must pay to the Commission with the completed application form a fee of Rs. 28.00 (Rs. 7.00 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes) through crossed Indian Postal Orders payable to the Secretary Union Public Service Commission at the New Delhi General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the State Bank of India, Main Branch, New Delhi.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative abroad, as the case may be, for credit to account head "051 Public Service Commission—Examination Fees" and attach the receipt with the application.

APPLICATIONS NOT COMPLYING WITH THE ABOVE REQUIREMENT WILL BE SUMMARILY REJECTED.

6. A refund of Rs. 15.00 (Rs. 4.00 in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be made to candidate who has paid the prescribed fee and is not admitted to the examination by the Commission.

No claim for a refund of the fee paid to the Commission will be entertained except as provided above, nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

7. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES

R. S. AHLUWALIA,
Deputy Secretary,
Union Public Service Commission

ANNEXURE

Instructions to Candidates

1. *Before filling in the application form, the candidates should consult the Notice and the Rules carefully to see if they are eligible. The conditions prescribed cannot be relaxed.*

BEFORE SUBMITTING THE APPLICATION THE CANDIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE NOTICE. THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO APPEAR FOR THE EXAMINATION. ORDINARILY NO REQUEST FOR A CHANGE IN THE PLACE SELECTED WILL BE ENTERTAINED.

2. The application form, and the acknowledgement card must be completed in the candidate's own handwriting. All entries/answers should be in words and not by dashes or dots. An application which is incomplete or is wrongly filled in, is liable to be rejected.

A candidate must submit his application through the Head of his Department or Office concerned, who will complete the endorsement at the end of the application form and forward it to the Commission

3 A candidate must send the following documents with his application :—

(i) CROSSED Indian Postal Orders or Bank Draft for the prescribed fee. (See para 5 of Notice)

(ii) Two identical copies of recent passport size (5 cm × 7 cm. approx.) photograph of the candidate.

(iii) Attested certified copy of certificate in support of claim to belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe where applicable [See para 4(iii) below].

(iv) Attendance Sheet (attached with the Application form), duly filled

NOTE.—CANDIDATES ARE REQUIRED TO SUBMIT ALONGWITH THEIR APPLICATIONS ONLY COPY OF CERTIFICATE MENTIONED AT ITEM (iii) ABOVE

ATTESTED BY A GAZETTED OFFICER OF GOVERNMENT OR CERTIFIED BY CANDIDATES THEMSELVES AS CORRECT. CANDIDATES WHO QUALIFY FOR INTERVIEW FOR THE PERSONALITY TEST ON THE RESULTS OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION WILL BE REQUIRED TO SUBMIT THE ORIGINAL OF THE CERTIFICATE MENTIONED ABOVE. THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION ARE LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF DECEMBER, 1979. THEY SHOULD KEEP THE ORIGINAL OF THE CERTIFICATE IN READINESS FOR SUBMISSION AT THE TIME OF INTERVIEW. THE CANDIDATURE OF CANDIDATES, WHO FAIL TO SUBMIT THE REQUIRED CERTIFICATE IN ORIGINAL AT THAT TIME WILL BE CANCELLED AND THEY WILL HAVE NO CLAIM FOR FURTHER CONSIDERATION.

4. Details of the documents mentioned in items (i) to (iii) of para 3 are given below :

(i) (a) CROSSED Indian Postal Orders for the prescribed fee—

Each Postal Order should invariably be crossed and completed as follows :—

"Pay to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi, General Post Office."

In no case will Postal Orders payable at any other Post Office be accepted. Defaced or mutilated Postal Orders will also not be accepted.

All Postal Orders should bear the signature of the issuing Post Master and a clear stamp of the issuing Post Office.

Candidates must note that it is not safe to send Postal Orders which are neither crossed nor made payable to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office.

(b) CROSSED Bank Draft for the prescribed fee—

Bank Draft should be obtained from any branch of the State Bank of India and drawn in favour of Secretary, Union Public Service Commission payable at the State Bank of India, Main Branch, New Delhi and should be duly Crossed.

In no case will Bank Drafts drawn on any other Bank be accepted. Defaced or mutilated Bank Drafts will also not be accepted.

(ii) *Two copies of Photograph.*—A candidate must submit two identical copies of his recent passport size (5 cm.× 7 cm. approx.) photograph, one of which should be pasted on the first page of the application form and the other copy on the Attendance sheet in the space provided therein. Each copy of the photograph should be signed in ink on the front by the candidate.

(iii) A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer, as indicated below, of the district in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate; and if both his parents are dead the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education.

The form of the certificate to be produced by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri*/Shrimati/Kumari —————— ——————son*/daughter of —————————— of Village*/town —————————— in District*/Division —————— of the State*/Union Territory of—————— belongs to the —————— Caste*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste*/Scheduled Tribe under the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951*;

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*;

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956. The Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976].

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes, Order, 1956*

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962*

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968*

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970*

2. Shri*/Shrimati/Kumari————————and*/or his*/her family ordinarily reside(s) in village*/town—————— of District*/Division —————— of the State*/Union Territory of ——————.

Signature . . . .

**Designation . . . .

(with seal of office)

Place . . . . .State*/Union Territory.

Date . . . .

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE—The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Officers competent to issue Caste/Tribe Certificates.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer, Lakshadweep.

N.B.—Candidates are warned that if an application is not accompanied with any one of the documents mentioned under paragraph 3(ii) and 3(iii) above without a reasonable explanation for its absence having been given, the application is liable to be rejected and no appeal against its rejection will be entertained. The documents not submitted with the application should be sent soon after the submission of the application and in any case they must reach the Commission's office within one month after the last date for receipt of applications. Otherwise, the application is liable to be rejected.

5. Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form.

Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or its copies, an explanation regarding the discrepancy may be submitted.

6. The fact that an application form has been supplies on a certain date will not be accepted as an excuse for the late submission of an application. The supply of an application form does not *ipso facto* make the receiver eligible for admsision to the examination.

7. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date of receipt of applications for the examination he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

8. Every candidate for this examination will be informed, at the earliest possible date, of the result of his application, It is not, however, possible to say when the result will be communicated. But if a candidate does not receive from Union Public Service Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

9. Candidates are not entitled to receive any Travelling Allowance from the Union Public Service Commission for attending the examination.

10. *Communications Regarding Applications.*—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI (110011), AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS.

(1) NAME OF EXAMINATION.

(2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.

(3) ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED.

(4) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS).

(5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B.—COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

11. *Change in Address.*—A CANDIDATE MUST SEE THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE REDIRECTED IF NECESSARY. CHANGE IN ADDRESS SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PARTICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 10 ABOVE, ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES, THEY CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979